खण्ड–41, अंक–04
बुधवार, 06 अग्रहायण, शक संवत्, 1936
(दिनांक 27 नवम्बर, 2014 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 41 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति – – –	"क"
प्रश्नोत्तर – – –	70
विपक्ष द्वारा हल्द्वानी में एक विवाह समारोह से गायब बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने सम्बन्धी दी गई नियम–310 की सूचना अन्तर्गत, घटना में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने की मांग – – –	70–73
विपक्ष द्वारा हल्द्वानी में एक विवाह समारोह से गायब बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने सम्बन्धी सूचना को नियम–310 में उठाये जाने की मांग – –	73
नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	74
विगत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत हरिद्वार विधान सभा में विभिन्न मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण की स्वीकृत योजनाओं में पर्यटन विभाग द्वारा आधे–अधूरे कार्य पूर्ण किये जाने से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत सूचना	74
विधान सभा क्षेत्र पुरोला (जनपद उत्तरकाशी) में विद्युत लाईन के अभाव के कारण उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट सब्सिडी अधिक से अधिक संख्या में दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	74–75
जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम टिमली के मजरा चिढ़ी बोली में आज तक बिजली की लाईन न होने के कारण मजरे के निवासियों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	75
जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	75–76
रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	76–77
जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	77

विषय	पृष्ठ–संख्या
किच्छा विधान सभा क्षेत्र में किच्छा नदी पर पुल अथवा रपटा पुल बनाकर उसे किच्छा शहर से सितारगंज रोड पर पिपलिया चौराहे तक सम्पर्क मार्ग बनाकर जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	77–78
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत फरवरी, 2014 में उप तहसील मछोड़ की स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा अधिसूचना निर्गत किये जाने के बाद भी तहसील के अस्तित्व में न आने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	78
जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत पथरी नदी पर ग्राम अकौढ़ा खुर्द व ग्राम सीधदू–ऐथल में दो छोटे पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	78
उत्तराखण्ड प्रदेश में वन विभाग के डिप्टी रेंजर के समकक्ष सहायक विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्तियों एवं नियमावली के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	78–79
देहरादून महानगर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	79–80
मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा रुड़की गंगनहर पर झूला पुल के स्थान पर सी०सी० पुल बनाने की घोषणा किये जाने के बाद भी पुल निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना...	80
विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत श्यामपुर ए०बी०सी० में पुनर्वासित परिवारों के बच्चों हेतु विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	80–81
विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत प्रा०पा० बॉकू के भवन की जीर्ण–शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	81
विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर, ग्राम तिलकपुरी तथा अन्य लगभग 20 ग्रामों की हाथियों से सुरक्षा करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	81
नियम–310 के अन्तर्गत सूचना – – –	82
भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये "राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन" एवं (प्रतिवेदन संख्या–1)" तथा (प्रतिवेदन संख्या–2)" (सदन के पटल पर रखा) – – –	82

विषय	पृष्ठ–संख्या
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा) – – –	82–83
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुंजरिया तथा ग्राम पंचायत एटनबाग के ग्राम उदियाबाग की भूमि वर्ग–6 की भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	83
जनपद देहरादून की विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाड़वाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	83–84
जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तौली–भूड़ में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	84
जनपद देहरादून की विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नवाबगढ़ में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	84
जनपद देहरादून की विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भलेर में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	84
जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–15 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	85
जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–14 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	85
जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–13 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	85
जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–12 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	86

विषय	पृष्ठ–संख्या

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–11 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – – 86

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–10 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – – 86

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–09 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – – 87

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–07 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – – 87

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–08 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – – 87

नियम–65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना – – 88

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश – – – 88–90

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं – – – 90–91

उत्तराखण्ड मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (पारित) – – 91–121

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) – – – 121–124

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 (पारित) – 124–134

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 (पारित) – 134–138

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 (पारित) 138–142

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में उपखनिज का चुगान कितने सालों से न किये जाने एवं उनके कारण नदी का जलस्तर तटबन्ध के बराबर हो जाने से ढालवाला एवं मुनी की रेती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–62 के सम्बन्ध में श्री सुबोध उनियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा जारी – – – 142

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी – – –	142-143
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं के लाभ हेतु विभागों की अलग-अलग बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य किये जाने विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी –	143
राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियाँ बसी हुई हैं जिनके पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र मोहन, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी –	143-144
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	144
जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत पट्टी सकलाना में 15 अगस्त, 2014 को आई भीषण आपदा से विभिन्न ग्रामों की विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	144-145
विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ऐतिहासिक प्रसिद्ध गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब एवं नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	145-146
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) – – –	146
राष्ट्रगान – – –	146-147
नस्थियाँ – – –	148

'क'

उपस्थिति

1–श्रीमती रेखा आर्या
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्री अरविन्द पाण्डे
5–श्री आदेश चौहान
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
8–श्री गणेश गोदियाल
9–श्री गणेश जोशी
10–श्री चन्द्र शेखर
11–डा0 जीतराम
12–श्री तीरथ सिंह
13–श्री दलीप सिंह रावत
14–श्री दिनेश धनै
15–श्री नवप्रभात
16–श्री नारायणराम आर्य
17–श्री पुष्कर सिंह धामी
18–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
19–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
20–श्री प्रीतम सिंह
21–श्री प्रीतम सिंह पंवार
22–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
23–श्री प्रेम सिंह
24–श्री बंशीधर भगत
25–श्री मदन कौशिक
26–श्री मदन सिंह बिष्ट
27–श्री मनोज तिवारी
28–श्री मयूख सिंह
29–श्री महावीर सिंह
30–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
31–श्री यतीश्वरानन्द
32–श्री यशपाल आर्य
33–हीरा सिंह बिष्ट
34–श्री राजकुमार
35–श्री राज कुमार ठुकराल
36–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
37–श्री राजेश शुक्ला
38–श्री विक्रम सिंह नेगी
39–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
40–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
41–श्री बिशन सिंह चुफाल
42–श्रीमती शैला रानी रावत
43–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
44–श्री संजय गुप्ता
45–श्रीमती सरिता आर्य
46–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
47–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
48–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
49–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
50–श्री हरक सिंह रावत
51–श्री हरबन्स कपूर
52–श्री हरभजन सिंह चीमा
53–श्री हरिदास
54–श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत
55–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
56–श्री हेमेश खर्कवाल

गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी–'क' अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 पुकारे जाने पर)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

ग्राम सभा औरंगाबाद विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार के लम्बे समय से बन्द पड़े पेयजल योजना के नलकूप के सम्बन्ध में

**01–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि ग्राम सभा औरंगाबाद विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार की पेयजल योजना का नलकूप लम्बे समय से बन्द पड़ा है जिस कारण ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना के बन्द पड़े नलकूप का रिबोर कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, छात्र कल्याण, पेयजल तथा विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

ग्राम सभा औरंगाबाद विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार की पेयजल योजना का नलकूप योजना वर्ष 2003–04 में सैक्टर रिफार्म कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित है। स्वजल द्वारा निरीक्षण के दौरान पानी कम होने एवं मिट्टी पाये जाने की पुष्टि की गयी है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (सैक्टर कार्यक्रम) के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं का रख–रखाव एवं संचालन उच्चीकरण, पुनर्गठन एवं जीर्णोद्धार सम्बन्धित ग्राम उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल में नियुक्त कार्मिकों से सभा सचिव तथा अध्यक्ष (विभिन्न आयोगों) के कार्यालयों में आशुलिपिक एवं लिपिकों का कार्य लिया जाना

**92–श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) के कार्मिकों को सभा सचिव तथा अध्यक्ष (विभिन्न आयोग, परिषद्) के कार्यालयों में आशुलिपिक एवं लिपिक के रूप में तैनात किया जा रहा है जो कि अनुचित है?

क्या मंत्री जी अवगत है कि पी0आर0डी0 कार्मिक उक्त प्रकार के कार्य करने में दक्ष नहीं है जिससे कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है एवं सरकारी कार्य बाधित हो रहे हैं ?

क्या पी0आर0डी0 कार्मिक से सुरक्षा एवं अनुसेवक के कार्य के अतिरिक्त भी लिपिकीय कार्य लिया जाना उचित है ?

यदि नहीं, तो क्या उक्त की त्रुटिपूर्ण तैनाती का कारण स्पष्ट कर उक्त प्रक्रिया को रोका जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन, संस्कृति, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेले तथा युवा कल्याण मंत्री (श्री दिनेश धनै)–

शासनादेश दिनांक 19–01–2006 में निर्धारित व्यवस्था के तहत शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिष्ठानों/सार्वजनिक उपक्रमों में चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक एवं वाहन चालक आदि के कार्य हेतु पी0आर0डी0 स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जाते हैं। यह व्यवस्था अनुचित नहीं है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0आर0डी0 स्वयं सेवक चौकीदार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक एवं चालक आदि के कार्य हेतु कार्य कुशल एवं दक्ष होते हैं, जिससे कार्य कुशलता एवं सरकारी कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत तृतीय सत्र 2014 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों में हो रहे प्रदूषण के लिए नीति निर्धारिण

*01–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के किनारे बसी बस्तियों द्वारा नदियों में सीवर बहाया जा रहा है जिससे नदियों में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है।

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा नदियों में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु कोई नीति तैयार की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी हाँ।

जी हाँ।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, भारत सरकार के अधीन गंगा स्वच्छता अभियान 2020 के सापेक्ष, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु वृहद कार्य योजना प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य में गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे बसे नगरों से उत्सर्जित सीवरेज को सीवर लाईन बिछाकर मल मल शोधन संयत्रों का निर्माण करते हुए शोधित कर, गंगा एवं सहायक नदियों को पूर्णतया प्रदूषण मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सन् 2014 की आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाएं तथा निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

*01–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 2014 की आपदा में जनपद पौड़ी गढ़वाल की कुल कितनी पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा कितना–कितना बजट इन योजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया है और कितना पैसा निर्माण कार्य में खर्च किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल की कौन–कौन की योजनायें स्वीकृत हैं और इनके लिए कितना बजट स्वीकृत है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष 2014 में जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत पेयजल निगम की 88 योजनायें एवं जल संस्थान की 166 योजनायें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 138 पेयजल योजनायें अस्थाई रूप से चालू की गयी हैं। जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा जल संस्थान को 35.00 लाख की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी है।

विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में 127 योजनायें स्वीकृत हैं, जिनकी लागत रू0 6317.57 लाख है, जिसके सापेक्ष रू0 2332.46 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। योजनाओं की सूची संलग्न है। †

वर्ष 2014 में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कांवड़ मेले में सम्मिलित यात्रियों की संख्या

*02–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत पड़ने वाले नीलकंठ सावन मेले में वर्ष 2014 में कुल कितने कांवड़ यात्री नीलकंठ पहुँचे ?

क्या सरकार ने पंजीकरण की व्यवस्था की थी ?

यदि हाँ, तो मेले की व्यवस्था के लिए बजट की क्या व्यवस्था है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार नीलकंठ सावन मेले को अभिसूचित कर बजट की समुचित व्यवस्था करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

वर्ष 2014 में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत पड़ने वाले नीलकंठ मेले में 22,64,157 कावड़ यात्री नीलकंठ पहुँचे।

जी हाँ।

इस मेले हेतु पृथक से बजट का कोई प्राविधान नहीं है।

वर्तमान में उक्त मेले के सम्बन्ध में पृथक से ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मेलों/उत्सवों हेतु सुसंगत मानक मद में प्रत्येक जनपद को धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु संस्कृति विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के सुचारू रूप से संचालन हेतु की गयी व्यवस्था

*03–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष राज्य में चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन हेतु सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है ?

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 148–153 पर)

इस वर्ष चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या क्या रही है ?

श्री दिनेश धनै–

चारधाम यात्रा के प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये गये, पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया एवं होर्डिंग लगाये गये।

वर्ष 2014 की चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रों में दवाईयों का छिड़काव, पार्ट टाईम स्वीपर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था हेतु उपकरणों के क्रय आदि हेतु ₹ 125.00 लाख की धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा आयुक्त गढ़वाल मण्डल को उपलब्ध करायी गयी।

यात्रा मार्गों के विभिन्न स्थलों पर अस्थाई फ्लैक्सी शौचालय/मूत्रालय स्थापित किये गये।

यात्रियों को पर्यटन/यात्रा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के मुख्यालय में चारधाम यात्रा कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी।

प्रदेश में पहली बार यात्रियों के बायोमैट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था की गयी।

केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था करवायी गयी।

इस वर्ष दिनांक 10 नवम्बर, 2014 तक चारधाम यात्रा में आने श्रद्धालुओं की संख्या कुल 2,77,878 रही।

उत्तरांचल में राजजात यात्रा में दिनांक 16 एवं 17 जून, 2013 से पूर्व किये गये कार्यों का विवरण

*04–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नन्दा राजजात यात्रा की तैयारी में कौन–कौन से कुल कितने निर्माण कार्य 16 एवं 17 जून, 2013 से पहले किये गये थे?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नन्दा राजजात यात्रा व्यवस्थाओं के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत था और कुल कितना व्यय किया गया ?

क्या नन्दा राजजात यात्रा सफलता पूर्वक सम्पन्न करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

श्री नन्दादेवी राजजात के आयोजन हेतु दि0 16 एवं 17 जून, 2013 से पूर्व निम्नलिखित विभिन्न निर्माण कार्य करवाये गये :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	थिंग गदेरा में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	2.63
2	पनियागाड़ में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	2.07
3.	मिलन केन्द्र केदारखाल से नौना तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	4.92
4.	कोंसुवा से नौना तक सी0सी0 मार्ग मरम्मत कार्य	5.38
5.	कोंसुवा से नौना मिलन केन्द्र तक सी0सी0 खड़िंजा कार्य	5.00
6.	मिलन केन्द्र नौना से बढ़ोला गाड़ तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	5.00
7.	रा0प्रा0वि0 भगोती की छत मरम्मत निर्माण कार्य	4.00
8.	नन्दादेवी राजजात यात्रा के दोपहर विश्राम स्थल फल्दियागाँव में प्रतिक्षालय निर्माण कार्य	3.50
9.	ग्राम पंचायत झिझोणी के फरसलिया में भूमि समतलीकरण, प्रतिक्षालय एवं खड़िंजा निर्माण कार्य	6.82
10.	वन विश्राम 2 भवन वाण में पाईप लाईन मरम्मत कार्य	1.07
11.	गैरालीपातल में स्थाई पाईप लाईन कार्य	3.94
12.	गैरोलीपातल में कैम्पिंग ग्राउण्ड	1.43
13.	वाण वन विश्राम गृह के कमरों, क्षतिग्रस्त फर्श, बरामदे के सी0सी0 कार्य, डिस्टेम्पर कार्य, बाउन्ड्री वाल आदि कार्य	2.07
	योग	48.03

पर्यटन विभाग द्वारा नन्दा राजजात यात्रा व्यवस्थाओं के लिये ₹ कुल 2587.76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष अब तक ₹ 2047.14 लाख का व्यय किया जा चुका है।

दिनांक 18–8–2014 से 06–9–2014 तक श्री नन्दा राजजात यात्रा सफलतापूर्वक सम्पादित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चमयाड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण

*05–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विश्व बैंक द्वारा पोषित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत सल्ट विधान सभा क्षेत्र में चमयाड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना "बहुल ग्राम योजना" जिसकी अनुमानित लागत 172.77 लाख थी निर्माणाधीन है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उपरोक्त ग्राम समूह पेयजल योजना की वर्तमान में लागत 2.22 करोड़ के आकलन शासन में उपलब्ध हैं ?

क्या सरकार उक्त पेयजल योजना का कार्य शीघ्र करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हाँ।

उक्त योजना के प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के आवास की व्यवस्था

*06–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रहने के लिए आवास न मिलने के कारण उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रहने हेतु आवासीय व्यवस्था करेंगे ताकि अध्यापकों के विद्यालय में ही रहने के कारण क्षेत्रों को अधिक लाभ मिल सके ?

यदि हाँ, तो कब तक आवासों की व्यवस्था की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राज्य सरकार के संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

राज्य के सभी शिक्षकों को नियमानुसार आवास किराया भत्ता अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के आवास गृहों की लाभ–हानि की स्थिति का विवरण

*07–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के पर्यटन आवास गृहों की लाभ हानि की स्थिति क्या है?

क्या सरकार उक्त आवास गृहों को लाभ में लाने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा संचालित पर्यटन आवास गृहों का लाभ हानि का विवरण निम्नवत् है :–

गढ़वाल मण्डल विकास निगम–

वर्ष	आय	व्यय	लाभ/हानि
2011–12	1320.68	1187.32	142.58
2012–13	1374.16	1204.78	169.38
2013–14	1038.69	1225.74	–187.05
2014–15 (सितम्बर 14 तक)	472.75	538.84	–66.09

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम–

वर्ष	आय	व्यय	लाभ/हानि
2011–12	1416.04	1457.14	–41.10
2012–13	1439.19	1404.40	34.78
2013–14	1160.16	1314.23	–154.08
2014 (अक्टूबर 14 तक)	1271.65	1053.78	217.13

जी हाँ।

- महानगरों में स्थित सभी जन सम्पर्क कार्यालयों द्वारा घाटे में चलने वाले पर्यटक आवास गृहों को अधिक से अधिक व्यवसाय दिये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
- निगमों द्वारा घाटे में चलने वाले पर्यटक आवास गृहों हेतु विभिन्न प्रकार के कस्टोमाइज पैकेज टुअर्स बनाकर पर्यटकों को दिये जा रहे हैं। जिससे अधिक से अधिक पर्यटक उन स्थानों पर भ्रमण कर सकें।
- आन लाइन आरक्षण के माध्यम से एवं जन सम्पर्क कार्यालयों से स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर घाटे में चलने वाले आवास गृहों हेतु आरक्षण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- घाटे में चलने वाले पर्यटक आवास गृहों में ऑफ सीजन से अधिक से अधिक छूट देकर पर्यटकों को आकर्षित कर व्यवसाय प्राप्त किया जा रहा है।

  ऐसे पर्यटक आवास गृह जिनके लाभ में चलने की सम्भावना नहीं है उन आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड में या किराये पर देने हेतु प्रयास किया जा रहा है।
- निगमों द्वारा उक्तानुसार विभिन्न प्रयास कर विगत वर्षों की तुलना में घाटे में चलने वाले पर्यटक आवास गृहों का घाटा कम हुआ है।
- गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा पर्यटक आवास गृहों एवं पर्यटन व्यवसाय को लाभ में लाने हेतु इस वर्ष शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शनार्थ चारधाम यात्रा का संचालन करने की कार्य योजना तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश के समीपवर्ती स्थलों के दर्शनार्थ अल्पकालीन भ्रमणों के संचालन की योजना बनाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने की नीति

*08–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सरकार रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने की कोई नीति बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली, 2014 प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के धनपूरा आदिचौरा सुनारखेत एवं चपढ़ाखेत पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

*9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ के धनपूरा आदेचौरा सुनारखेत एवं चपढ़ाखेत पेयजल योजना जगह–जगह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पेयजल की समस्या बनी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु योजना स्वीकृत करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष 2013 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल समस्या बनी हुई थी, परन्तु योजना की मरम्मत करा कर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है। वर्तमान में पेयजल समस्या नहीं है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से उक्त योजना में सम्मिलित बस्तियों में पेयजल आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में उक्त योजना की पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के विकासनगर में पेयजल विभाग के 34 नलकूपों का संचालन

*10–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में पेयजल विभाग के 34 नलकूपों पर जेनरेटर उपलब्ध नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने या वोल्टेज कम हो जाने की दशा में नलकूप से नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

विकास खण्ड विकासनगर में पेयजल विभाग के 38 नलकूपों में से मात्र 04 नलकूपों बाबूगढ़, बादामावाला, मेहूवाला खालसा एवं हरबर्टपुर पर ही जेनरेटर स्थापित हैं, शेष 34 नलकूलपों पर जनरेटर स्थापित नहीं है। विद्युत के किसी व्यवधान की स्थिति में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने पर प्रभावित क्षेत्रों को यथासम्भव टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है।

जनपद पिथौरागढ़ के घूरोली एवं सिरकुच पेयजल योजना में क्षतिग्रस्त पाईप लाईन के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या

*11–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के घूरोली एवं सिरकुच पेयजल योजना में पाईपों में जंग लगने से पाईप लाईन जगह–जगह क्षतिग्रस्त है जिस कारण पेयजल की समस्या बनी है ?

क्या सरकार उक्त पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन हेतु धन स्वीकृत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। घूरोली भण्डारी गाँव पेयजल योजना के पाईपों के जंग लगने से पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है तथा सिरकुच पेयजल योजना सड़क निर्माण से समय–समय पर क्षतिग्रस्त होती रही है।

ग्राम पंचायत से विधिवत खुली बैठक का प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा स्वच्छता अभियान 2020 के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लाण्ट के भौतिक कार्य की पूर्णता की स्थिति

*12–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंगा स्वच्छता अभियान 2020 के अन्तर्गत प्रस्तावित 16 सीवरेज एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कितना भौतिक कार्य 31 दिसम्बर, 2013 तक पूर्ण हो चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस तिथि को स्वीकृति धनराशि, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय की गयी कुल धनराशि का विवरण क्या है तथा इन 16 परियोजनाओं का परियोजनावार उपरोक्त विवरण क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

- 16 सीवरेज एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट योजनाओं के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2013 तथा 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत ₹ 251.21 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹ 68.67 करोड़ में से ₹ 52.50 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। 16 योजनाओं का विवरण संलग्न है। †

जनपद चम्पावत के लोहाघाट नगर तथा नगर से लगे गाँवों में पेयजल योजना हेतु सरयू नदी से लिफ्टिंग पेयजल योजना की माँग

*13–श्री पूरनसिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत, लोहाघाट नगर तथा नगर से लगे गाँवों में पानी की समस्या को लेकर कई वर्षों से सरयू नदी से लिफ्ट पेयजल योजना की माँग की जा रही है, जिसकी डी0पी0आर0 शासन में लम्बित पड़ी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

लोहाघाट नगर हेतु पेयजल योजना के पुनर्गठन का विस्तृत प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 4395.88 लाख विरचित कर पेयजल निगम द्वारा जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 (जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन) के अधीन यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 (अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स) कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सराकर से वित्तपोषण हेतु शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। दिनांक 31–03–2014 को जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 कार्यक्रम की अवधि समाप्त हो जाने के कारण अब इसके तहत भारत सरकार द्वारा कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा रही है। भारत सराकर के स्तर पर एक नये शहरी विकास मिशन पर विचार किया जा रहा है। नये मिशन की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद ही प्रश्नगत योजना नये मिशन के दिशा–निर्देशों अनुसार भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

---

† (देखिए 'नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 134–157 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज दूनाकोट में प्रवक्ता के रिक्त पदों की संख्या एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति

*14–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज दूनाकोट में प्रवक्ता के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन पदों पर नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राजकीय इण्टर कालेज दूनाकोट में प्रवक्ता के कुल 09 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रवक्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के 1213 रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें चयन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की स्थिति

*15–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन प्रस्तावित है तथा उनका विवरण एवं स्थिति क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रस्तावित योजनाओं का पुनर्गठन कब तक किया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 18 पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन प्रस्तावित है, जिनका विवरण संलग्न है। †

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

---

† (देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 158 पर)

प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित शिक्षकों का मानक

*16–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रा0 पाठशालाओं में कितनी छात्र संख्या पर कितने शिक्षकों का मानक है ?

क्या सभी विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक नियुक्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने ऐसे विद्यालय है जहाँ 20 से कम छात्र संख्या पर 2 से अधिक शिक्षक हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत छात्र अध्यापक मानक का विवरण निम्नवत् है :–

60 छात्र संख्या तक	:	02
61 से 90 तक	:	03
91 से 120 तक	:	04
121 से 150 तक	:	05
150 से अधिक पर	:	05 अध्यापक + 01 प्र0अ0
200 से अधिक पर	:	प्रति 30 छात्रों पर एक अध्यापक (छात्र अध्यापक अनुपात 1:40 से अधिक न हो)

राज्य के विद्यालयों हेतु मानक अनुसार शिक्षकों के पद सृजित हैं तथा रिक्तियाँ होने व उसके सापेक्ष नियुक्तियाँ करने की एक सतत् प्रक्रिया/व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालयों में मानक अनुसार नियुक्तियाँ की जाती हैं। इस व्यवस्थान्तर्गत रिक्तियों की पूर्ति एवं तब तक स्थानीय व्यवस्थान्तर्गत विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बनाये रखने के लिए कतिपय विद्यालयों में किसी दौरान मानक से अधिक शिक्षक कार्यरत होने की स्थिति रहती है, जिसे युक्तिकरण/स्थानान्तरण अथवा नियुक्ति के क्रियान्वयन के माध्यम से समायोजित किया जाता है।

वर्तमान सूचना अनुसार प्रदेश के ऐसे विद्यालयों की संख्या 134 है, जिनकी छात्र संख्या 20 से कम है तथा उनमें 02 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य के कुल प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे विद्यालय लगभग 01 प्रतिशत ही हैं।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खूना मलक पेयजल योजना का पुनर्गठन

*17–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खूना मलक पेयजल योजना 30 वर्ष पुरानी योजना है जो वर्तमान में अत्यन्त जीर्णशीर्ण हो चुकी है एवं क्या सत्य है कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र की जनसंख्या तीन गुना बढ़ चुकी है जिस कारण पेयजल की भारी समस्या हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त पुनर्गठन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकास खण्ड बाराकोट की जीर्णशीर्ण हुई मल्ला तथा तल्ला बापरू पेयजल योजना का पुनर्गठन

*18–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकास खण्ड बाराकोट की मल्ला तथा तल्ला बापरू पेयजल योजना 40 वर्ष पुरानी योजना है जो वर्तमान में अत्यन्त जीर्णशीर्ण हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना का पुनर्गठन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मल्ला बापरू पेयजल योजना वर्ष 1975 से जल संस्थान के अनुरक्षण में है। इस पेयजल योजना से बापरू एवं मल्ला बापरू ग्राम लाभान्वित है, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 410 एवं 275 है, स्रोत से प्राप्त स्राव 30 व 20 एल०पी०एम० है, जो वर्तमान जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त है।

तल्ला बापरू पेयजल योजना वर्ष 2005 से जल संस्थान के अनुरक्षण में है। इस पेयजल-योजना से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 250 है, योजना में 40 एल०पी०सी०डी० पेयजल उपलब्ध है, तल्ला बापरू में स्थापित टैंक वर्तमान में क्षतिग्रस्त है, जिसा योजना वर्ष 2014-15 में मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में उक्त योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है।

*19-श्री गणेश जोशी-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम समूह पेयजल योजना की स्वीकृति पर विचार

*20-श्री चन्दन राम दास-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ग्राम समूह पेयजल योजना की स्वीकृति पर शासन स्तर पर विचार हो रहा है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना में कौन-कौन से गाँवों को सम्मिलित किया गया है तथा उक्त योजना को इतने लम्बे समय पर स्वीकृति नहीं मिलने का क्या कारण है ?

क्या सरकार तत्काल उक्त योजना को स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

जी हाँ।

इस योजना में ग्राम बिगोला, माल्दे, नौघार, भकुनखोला, मढसिर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवारीगूंठ, भेलाडुंगरी तथा थानडंगोली कुल 12 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। शासन स्तर से की गयी कतिपय पृच्छाओं के निराकरण में पेयजल निगम द्वारा विलम्ब के कारण योजना स्वीकृत नहीं हो सकी।

जी हाँ। पेयजल निगम से वांछित सूचना/प्रस्ताव प्राप्त कर शीघ्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल के रामनगर में आडिटोरियम को सुसज्जित करने हेतु स्वीकृत धनराशि

01–श्रीमती अमृता रावत–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में आडिटोरियम (प्रेक्षागृह) को सुसज्जित करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

और स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

तथा सज्जा हेतु अब तक किये गये कार्यों का विवरण क्या है ?

तथा कब तक कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

श्री दिनेश धनै–

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में नगरपालिका के स्वामित्व में निर्मित आडिटोरियम (प्रेक्षागृह) में आन्तरिक फर्निशिंग साज–सज्जा आदि कार्यों हेतु ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अब तक ₹ 8.02 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

सज्जा कार्य हेतु चेयर, सोफा, टेबल, आलमारी की आपूर्ति हेतु ठेकेदार द्वारा कम्पनी को आदेश दिया गया है।

दिनांक 30–11–2014 तक कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र रामनगर में पर्यटन विकास हेतु प्रस्तावित योजनाएं/परियोजनाएं

02–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत पर्यटन विकास हेतु अब तक किन–किन योजनाओं/परियोजनाओं का प्रस्तावित किया गया है ?

तथा इन प्रस्तावित योजनाओं में से किन–किन योजनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है ?

इन स्वीकृत योजनाओं के निर्माण की प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ?

अवशेष योजनाओं के निर्माण हेतु कब तक स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी ?

श्री दिनेश धनै–

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा निम्न योजनाएं केन्द्र वित्त पोषित योजनाओं / 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी हैं :–

1. रामनगर–कोसी टूरिज्म सर्किट रामनगर तथा नैनीताल पर्यटन सर्किट।
2. कन्वेन्शन सेन्टर रामनगर का विकास।
3. डे–सफारी एडवेन्चर एण्ड ईको टूरिज्म सर्किट सीतावनी रामनगर का विकास।
4. पर्यटन आवास गृह रामनगर का उच्चीकरण (13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित)
5. आई0एच0एम0 रामनगर के निर्माण हेतु ₹ 1689.40 लाख की डी0पी0आर0 पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी।
6. ढैला रामनगर, जनपद नैनीताल का पर्यटन विकास।
7. मोहान रामनगर का पर्यटन विकास।

उक्त योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :–

1– रामनगर–कोसी टूरिज्म सर्किट रामनगर तथा नैनीताल पर्यटन सर्किट ₹ 799.05 लाख।

2– कन्वेन्शन सेन्टर रामनगर का विकास ₹ 571.47 लाख।

3– डे–सफारी एडवेन्चर एण्ड ईको टूरिज्म सर्किट सीतावनी रामनगर का विकास ₹ 799.32 लाख।

रामनगर–कोसी टूरिज्म सर्किट रामनगर तथा नैनीताल पर्यटन सर्किट ₹ 799.05 लाख, डे–सफारी एडवेन्चर एण्ड ईको टूरिज्म सर्किट सीतावनी रामनगर का विकास ₹ 799.32 लाख की योजनाओं का कार्य वन विभाग की भूमि पर सम्पादित किया जाना है, जिस हेतु वन विभाग तथा पर्यटन विभाग के मध्य एक अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जाना है। अनुबन्ध पत्र ड्राफ्ट तैयार कर वन विभाग को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया है। उक्त अनुबन्ध पत्र के सम्पादन उपरान्त वर्णित दोनों योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कन्वेन्शन सेन्टर रामनगर की योजना पर 22 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

अवशेष योजनाओं पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण हेतु स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी।

विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत आई0एच0एम0 की स्थापना हेतु की गयी कार्यवाही और प्रगति

03–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत आई0एच0एम0 की स्थापना हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ?

तथा रामनगर में कब तक आई0एच0एम0 की स्थापना की जायेगी ?

इसके लिए कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

श्री दिनेश धने–

ग्राम सावल्दे, विकास खण्ड रामनगर जनपद नैनीताल में होटल प्रबन्धन संस्थान (आई0एच0एम0) की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2014 को ₹ 1689.40 लाख की डी0पी0आर0 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त डी0पी0आर0 का परीक्षण होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग टैक्नोलोजी परिषद् से कराया गया। परिषद् द्वारा अपने मानकों के अनुसार डी0पी0आर0 संशोधित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार से उक्त कार्य की कार्य योजना स्वीकृति के उपरान्त रामनगर में आई0एच0एम0 की स्थापना की जायेगी।

भारत सरकार से उक्त कार्य की कार्य योजना स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत सीतावनी में डे–सफारी योजनाओं के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

04–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत सीतावनी में डे–सफारी योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक सीतावनी में डे–सफारी योजना प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है ?

श्री दिनेश धनै–

सीतावनी डे–सफारी योजना के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। चयनित भूमि का वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों तथा विभागीय कन्सलटेन्ट द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है और चयनित भूमि का डिजीटल मैप वन विभाग से प्राप्त हो चुका है।

ईको टूरिज्म से सम्बन्धित उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के मध्य एक एम0ओ0यू0 किया जाना है जिसका प्रस्ताव वन विभाग के अवलोकनार्थ प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त शीघ्र ही डे–सफारी योजना प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत बस्यूर पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति

05–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत बस्यूर पम्पिंग पेयजल योजना कब स्वीकृत की गई थी ?

क्या इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना पर अब तक कुल कितना खर्चा किया गया है तथा बस्यूर वासियों को इस पम्पिंग पेयजल योजना से कब तक पेयजल उपलब्ध हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्या विभाग जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विकास खण्ड दुगड्डा, जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत बस्यूर पम्पिंग पेयजल योजना के नाम से पृथक से कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं है बल्कि ग्राम बस्यूर (बस्यूरवामन) को सैन्धीखाल पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है, यह योजना वर्ष 2011–12 में स्वीकृत हुई थी।

जी हाँ।

योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण कर दिया जायेगा।

सैन्धीखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना पर वर्तमान तक ₹ 250.88 लाख व्यय किये गये हैं तथा इस योजना से लाभार्थी ग्राम वासियों को वर्ष 2015 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों की रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

06–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कि किन–किन राजकीय इण्टर कालेजों में कब–कब से प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर स्थायी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति/तैनाती करने की दिशा में की गयी कार्यवाही और हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक राज्य के राजकीय इण्टर कालेजों में स्थायी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी ?

क्या यह सत्य है कि राजकीय इण्टर कालेजों में स्थायी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति/तैनाती न होने के कारण विद्यालय की शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

यदि नहीं, तो विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियम बनाये रखने हेतु क्या–क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राज्य में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का जनपदवार विवरण संलग्न–1 पर दृष्टव्य है।

प्रधानाचार्य का पद शतप्रतिशत पदोन्नति का पद है। प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 के अनुसार अर्ह सेवावधि 05 वर्ष नियत है। वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु प्रधानाध्यापक अर्ह न होने के कारण पद रिक्त हैं।

कार्मिक विभाग की "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 140 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत छूट प्रदान कर, पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं। विद्यालयों की शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता को प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है, जो प्रधानाचार्य के कार्य का भी संचालन कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों का शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को डाउन ग्रेड एवं विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता को प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है, जो प्रधानाचार्य के कार्य का भी संचालन कर रहे हैं। समय-समय पर विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही समय-समय पर डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो आहरण वितरण सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं।

राज्य के जनपदों के शिक्षकों का विद्यालयों में सम्बद्धीकरण

07–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के किस–किस जनपद के कौन से शिक्षक कब से किन विद्यालयों में सम्बद्धीकरण पर हैं तथा उक्त शिक्षकों के सम्बद्धीकरण पर बनाये रखने का औचित्य एवं उद्देश्य क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन शिक्षकों के सम्बद्धीकरण के कारण इनके मूल नियुक्ति वाले विद्यालयों में प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा सम्बद्धीकरण की इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं और कब तक सम्बद्धीकरण की इस भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सम्बद्ध किये गये शिक्षकों का विवरण संलग्न–1 पर दृष्टव्य है। †

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, राजकीय हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत विद्यालयों में पठन–पाठन/कक्षा संचालन हेतु विद्यालय/छात्रहित/जनहित में शिक्षकों को सम्बद्ध किया गया है।

---

† (देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 159–215 पर)

सम्बन्धित शिक्षकों के अन्यत्र विद्यालयों में सम्बद्धीकरण किये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। उक्त शिक्षकों के अन्यत्र सम्बद्ध किये जाने पर उनके मूल विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में समय लगने के कारण उक्त नवीन उच्चीकृत विद्यालयों को संचालित करने एवं पठन–पाठन को प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत अध्यापकों को विभिन्न विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकतानुसार सम्बद्धीकरण किया गया है।

वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम के 3089 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुसार चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है तथा प्रारम्भिक शिक्षा से 30 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत स0 अ0एल0टी0 में पदोन्नति की कार्यवाही मण्डल स्तर पर गतिमान है। इसी प्रकार प्रवक्ता वेतनक्रम में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति हेतु 1213 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर अध्यापकों की नियुक्ति/पदस्थापना के फलस्वरूप अध्यापकों का उक्त सम्बद्धीकरण स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0एल0 के अन्तर्गत भेल पुनर्वास कालोनी में आरक्षित भूमि पर विद्यालय का निर्माण

08–श्री आदेश चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत भेल पुनर्वास कालोनी (विष्णु लोक) जहाँ पर लगभग पन्द्रह सौ परिवार निवास करते हैं, क्षेत्र में कोई प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है जबकि उक्त कालोनी में प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आरक्षित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना प्रारम्भ हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

भेल पुनर्वास कालोनी (विष्णु लोक) के 01 किमी0 की परिधि में निम्न विद्यालय स्थित हैं :–

1. रा0प्रा0वि0 नं0–5 नगर क्षेत्र हरिद्वार।

2. रा0प्रा0वि0 नं0–7 नगर क्षेत्र हरिद्वार।

3. रा0प्रा0वि0 नं0–8 नगर क्षेत्र हरिद्वार।

4. रा0प्रा0वि0 नं0–10 नगर क्षेत्र हरिद्वार।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों का विवरण–

5. आदर्श प्रा0वि0 अम्बेडकर मूर्ति कडच्छ ज्वालापुर।

6. उपाला पब्लिक स्कूल अम्बेडकर मूर्ति कडच्छ ज्वालापुर।

7. माँ शाकुम्बरी पब्लिक स्कूल कडच्छ ज्वालापुर।

8. जे0के0पब्लिक स्कूल अम्बेडकर मूर्ति कडच्छ ज्वालापुर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत स्थान की एक कि0मी0 की परिधि में पूर्व से ही 04 राजकीय एवं 04 मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं।

विधान सभा क्षेत्र रानीपुर के अन्तर्गत सिडकुल स्थित आवासीय कालोनी में आरक्षित भूमि पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

09–श्री आदेश चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत सिडकुल की आवासीय कालोनी गंगा नगरी में प्राथमिक विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि पर आज तक विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान पर विद्यालय का निर्माण कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत सिडकुल की आवासीय कालोनी गंगानगरी में सूचनानुसार विद्यालय हेतु कोई भूमि आरक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। साथ ही यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थान की एक कि0मी0 की परिधि में पूर्व से ही 04 रा0प्रा0वि0 संचालित हैं।

विकास खण्ड बहादराबाद के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर में राजकीय इण्टर कॉलेज के नाम से एक विद्यालय का प्रबन्ध समिति के विभागीय अनुमोदन के बिना ही संचालन किये जाने के सम्बन्ध में

10–श्री आदेश चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड बहादराबाद के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर में राजकीय इण्टर कॉलेज के नाम से एक विद्यालय का संचालन कई वर्षों से प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं प्रबन्ध समिति के विभागीय अनुमोदन के बिना ही किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अपना कोई पर्यवेक्षक नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

ग्राम सीतापुर में राजकीय इण्टर कॉलेज, सीतापुर का संचालन प्रबन्ध समिति द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 02–06–2014 को समिति के सम्पन्न हुए चुनाव द्वारा नव गठित प्रबन्ध समिति को मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या/प्रबन्ध समिति/3628–31/ चुनाव/2014–15 दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में इण्टर स्तर तक विज्ञान विषय की स्वीकृति

11–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में इण्टर स्तर पर विज्ञान विषय स्वीकृत नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा वंचित विद्यालयों में विज्ञान विषय के पद स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन के अन्तर्गत 30 राजकीय इण्टर कॉलेज तथा 07 अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में विज्ञान विषय स्वीकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पद

12–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल०टी० के सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

पद नाम	सृजित पद	रिक्त
प्रधानाचार्य	31	22
प्रधानाध्यापक	24	09
प्रवक्ता	291	90
स०अ० एल०टी०	508	169

इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/स०अ० के सृजित 634 पदों के सापेक्ष कोई पद रिक्त नहीं है।

जी हाँ।

कार्मिक विभाग की "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010" में निहित प्राविधानों के अनुसार 140 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत छूट प्रदान कर, पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर भी पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। प्रवक्ता वेतनक्रम के सीधी भर्ती के 1213 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

इसी प्रकार सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम में परीक्षा संस्था उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा 3089 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसके चयन की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार 30 प्रतिशत पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से स0अ0एल0टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति की प्रक्रिया मण्डल स्तर पर गतिमान है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान में बी0एड0/डी0एड0टी0 उत्तीर्ण 47 अभ्यर्थियों को लैंसडौन विधान सभा के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गयी है और तद्क्रम में वर्तमान में कोई रिक्ति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत तथा नये भवनों का निर्माण

13–श्री दलीप सिंह रावत

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवन जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है ?

क्या सरकार जीर्ण–शीर्ण भवन युक्त विद्यालयों को नये भवन उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विभाग द्वारा पुराने जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों का निरीक्षण कर सतत आंकलन किया जाता है।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, बूंगलगदी, राजकीय इण्टर कालेज कांडियापैनों, राजकीय इण्टर कालेज बैंजरो, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांडियू, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चमाड़ा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारी एवं राजकीय इण्टर कालेज कमान्दा में विद्यालय के नये भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चमराईखाल में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र में 13 जीर्ण–शीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के नये भवन निर्माण हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

- प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में धर्मस्व विभाग को मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटित किया जाना

14–श्री महावीर सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में धर्मस्व विभाग को मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मन्दिरों में सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

धर्मस्व विभाग को मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्तमान में कोई बजट आवंटित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाएं प्रेषित किया जाना तथा योजनाओं की वर्तमान स्थिति

15–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा आज तक पर्यटन सम्बन्धी कितनी परियोजनायें केन्द्र सरकार को प्रेषित की गयी हैं।

तथा योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री दिनेश धनै–

राज्य गठन से अब तक 68 योजनाओं के प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

उक्त 68 योजनाओं में से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 58 योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 10 योजनाओं पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

स्वीकृत 58 योजनाओं में से 21 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 13 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा शेष स्वीकृत योजनाओं में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु गत सरकार द्वारा स्वीकृत दूसरी किस्त का जारी करना

16—श्री मदन कौशिक—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा गत सरकार के कार्यकाल में जारी मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन की दूसरी किस्त जारी नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

क्या सरकार द्वारा नीति में बदलाव किया गया है ?

श्री दिनेश धनै—

पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं उन योजनाओं में उपलब्ध बजट प्राविधान के आलोक में धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

बजट प्राविधान कम होने के कारण सभी चालू योजनाओं हेतु मांग के अनुसार धनराशि स्वीकृत नही की जा सकी।

मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 100/VI(1)/2014-06 (01)/2013, दिनांक 5 फरवरी, 2014 निर्गत किया गया है।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बंगियाल में 30 कमरों के भवन निर्माण का प्राक्कलन

15—श्री महावीर सिंह—

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बंगियाल में कक्षा—कक्षों के 30 कमरों के भवन निर्माण का स्टीमेट पूर्व में शासन को प्रेषित किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के कक्षा—कक्षों के निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज थत्यूड़ का उच्चीकरण उपरान्त अध्यापकों की नियुक्ति

18–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज थत्यूड़ का उच्चीकरण हुआ था लेकिन आज तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। इण्टर स्तर पर कक्षा संचालन हेतु दो प्रवक्ताओं की व्यवस्था कर दी गयी है।

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के 1213 रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें चयन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति

19–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कितने स्कूल ऐसे हैं जो कि मात्र शिक्षा मित्रों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं ?

क्या सरकार उक्त स्कूलों में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

कोई भी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र के ऐसे सभी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में पर्यटन अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या

20–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या पर्यटन अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण पर्यटन पर प्रभाव पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार की नीति क्या है तथा अधिकारियों को कब तक तैनात कर दिया जायेगा।

श्री दिनेश धनै–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में जिला पर्यटन विकास अधिकारी के 09 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन जिला पर्यटन विकास अधिकारी के रिक्त पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं, जिस हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त उक्त अधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रदेश में राजकीय इण्टर कालेज रहित विकास खण्डों की सूचना

21–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कौन–कौन से ऐसे ब्लाक है जहाँ पर वर्तमान में राजकीय इण्टर कालेज नहीं है ?

क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु नीति बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्तमान में प्रदेश के समस्त ब्लाकों में राजकीय इण्टर कालेज संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज क्यारी में अध्यापक हेतु पदों का सृजन

22–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय कन्या इन्टर कालेज क्यारी (पालीगाड़) का उच्चीकरण वर्ष 2010–11 में हुआ था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पद सृजन करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शासनादेश संख्या 736/XXIV-2/2(09)11 टी०सी०, दिनांक 23–08–2011 द्वारा रा०उ०मा०वि० क्यारी के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। रा०क०इ०का० क्यारी कन्या इण्टर कालेज न होकर सह शिक्षा के रूप में रा०इ०का० क्यारी, टिहरी गढ़वाल के नाम से संचालित है।

जी हाँ।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन प्रचार प्रसार हेतु गत वर्ष विभाग द्वारा 2013–14 , 2014–15 में व्यय धनराशि का विवरण

23–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गतवर्ष विभाग द्वारा 2013–14, 2014–15 में पर्यटन प्रचार प्रसार हेतु कितना धन खर्च किया गया है ?

क्या इसके कारण पर्यटन पर इसका प्रभाव हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री दिनेश धनै–

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के प्रचार–प्रसार हेतु वर्ष 2013–14 में ₹ 577.93 लाख तथा वर्ष 2013–14, 2014–15 में वर्तमान तक ₹ 338.91 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

जी हाँ।

गत वर्ष आयी प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटकों की संख्या में जो कमी आयी थी, राज्य के सुरक्षित पर्यटक स्थलों की जानकारी एवं सुरक्षित उत्तराखण्ड संदेश के प्रचार प्रसार से उसमें अब उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति

24–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूर्व में स्थगित की गई अध्यापकों, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ करने की स्वीकृति किस दिनांक को दी गई थी ?

क्या यह सत्य है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह नियुक्तियाँ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित चयन समिति के माध्यम से की गई हैं ?

यदि हाँ, तो चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पदों के अनुमोदन सरकार द्वारा स्थगित क्यों किये गये थे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स0अ0 के पदों पर नियुक्तियाँ शासनादेश संख्या 651/XXIV–4/2011–10(34)/2010 दिनांक 09–09–2011 द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं।

- जी हाँ।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–125 दिनांक 23–08–2010 तथा परिषद् के पत्र संख्या 49–11/2013 दिनांक 10–04–2013 के अनुसार कक्षा–6 से 10 तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने हेतु स0अ0 के पदों पर TET-II उत्तीर्ण अनिवार्य किया जाना प्राविधानित है। तद्नुसार शासन के पत्र संख्या–61/XXIV–4–10(44)/2012 दिनांक 21–01–2014 के द्वारा दिनांक 23–08–2010 के बाद विज्ञापित सहायक अध्यापक के पदों पर TET-II अनिवार्य कर दिया गया है तथा इस तिथि के बाद विज्ञापित पदों को पुनः विज्ञापन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य में मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था

25–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या धर्मस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण की क्या व्यवस्था है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कितने मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु कितनी–कितनी धनराशि कब कब स्वीकृत की गई है और वर्तमान सरकार के कार्यालय में अब तक मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु कितने प्रत्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन प्रत्यावेदनों/प्रार्थना पत्रों का मन्दिर तथा जनपदवार विवरण क्या है और कब तक उक्त मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

श्री दिनेश धने–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बहेड़ाखाल में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

26–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बहेड़ाखाल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को सम्बोधित

प्रश्नकर्ता के पत्रांक 660/मंत्री/3–शिक्षा/2013–14 दिनांक 18 फरवरी, 2014 तथा पत्रांक 781/मंत्री/3–शिक्षा/2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 कब प्राप्त हुआ है तथा पत्र में वर्णित समस्या के समाधान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी और विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सम्बोधित प्रेषित पत्र दिनांक 31–07–2014 एवं दिनांक 06–08–2014 को प्राप्त हुए।

वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम के 3089 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुसार चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है तथा प्रारम्भिक शिक्षा से 30 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत स0अ0एल0टी0 में पदोन्नति की कार्यवाही मण्डल स्तर पर गतिमान है। इसी प्रकार प्रवक्ता वेतनक्रम में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति हेतु 1213 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग द्वारा को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

रा0इ0का0 बड़ेथ्याल, पौड़ी गढ़वाल में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

पद नाम	रिक्त
प्रवक्ता	03 (गणित, भा0शास्त्र, अर्थशास्त्र)
स0अ0 एल0टी0	06 (हिन्दी–2, गणित, कला, संगीत, विज्ञान)

विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में रमसा के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा उनमें अध्यापकों के पदों की संख्या

27–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के रमसा के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं तथा उनमें अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 04 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एल०टी० के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	रिक्त पद
1.	रा०उ०मा०वि० हरडकटिया	04 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान व सामा०)
2.	रा०उ०मा०वि० किरौली	03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान)
3.	रा०उ०मा०वि० सानदेव	03 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित)
4.	रा०उ०मा०वि० रानीखेत	04 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामा०)

जी हाँ।

वर्तमान में सहायक अध्यापक एल०टी० वेतनक्रम में सीधी भर्ती के अन्तर्गत परीक्षा संस्था उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा 3089 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसके चयन की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार 30 प्रतिशत पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से स०अ०एल०टी० वेतनक्रम में पदोन्नति की प्रक्रिया मण्डल स्तर पर गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के नगर निगम क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत 40 वर्ष पुरानी पेयजल लाईन का नवीनीकरण

28–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के नगर निगम क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत 40 वर्ष पुरानी बिछाई गई पेयजल लाईन का नवीनीकरण कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का प्रारूप क्या है और कब तक योजना को क्रियान्वित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काशीपुर नगर की पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु प्रारम्भिक प्राक्कलन (पी0–1) विरचित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2013 से 2015 तक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या तथा पर्यटकों की वृद्धि हेतु सरकार की नीति

29–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2013–14 और 2014–15 में राज्य में आने वाले मे पर्यटको की स्थिति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पर्यटकों की कम होती संख्या को बढ़ाने की सरकार की नीति क्या है

श्री दिनेश धनै–

उत्तराखण्ड में जनवरी 2013 से दिसम्बर, 2013 तक 209.68 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ।

जनवरी, 2014 से 15 अक्टूबर, 2014 तक 191.87 लाख पर्यटक प्रदेश में आये।

पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षित एवं मनोरम उत्तराखण्ड का संदेश दिये जाने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन, हिमालयन कार रैली, देश के बड़े शहरों में ट्रेवल एण्ड टूर तथा प्रेस–मीट का आयोजन/शरदोत्सव/साहसिक पर्यटन जैसे महोत्सव का आयोजन, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से स्लॉट प्रसारण की कार्यवाही तथा आऊट डोर प्रचार के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स द्वारा पर्यटकों की संख्या को बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में गत वर्ष में हुई आपदा में पर्यटन विभाग को हुई हानि का विवरण

30–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष आई आपदा के कारण पर्यटन विभाग की कितनी सम्पत्तियों की हानि हुई है ?

क्या इस हानि की क्षति पूर्ति विभाग को कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

दिनांक 16/17 जून, 2013 को आयी आपदा में पर्यटन विभाग की ₹ 138.94 करोड़ की परिसम्पत्तियों की क्षति हुई है।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से अब तक ₹ 7245.01 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से अब तक स्वीकृत उक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है –

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत
1	2	3
1.	जानकीचट्टी–बड़कोट–स्योरगाड़–हनुमानचट्टी बरनीघाट–नौगाँव–बारसू–रैथल जनपद उत्तरकाशी में मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक आवास गृह, घोड़ा पड़ाव का निर्माण तथा सुलभ शौचालय का पुनर्निर्माण और मरम्मत का कार्य।	371.70
2.	बिन्सर–बैजनाथ–बागेश्वर सर्किट–सौंग कफनी, जातुलिया, लोहार खेत–खाती द्वाली–वाकुली–फुरकिया, कफनी, जाटुलिया क्षतिग्रस्त जनपद बागेश्वर सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त मार्गों और शौचालय का निर्माण।	202.65
3.	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग–कालेश्वर नन्दप्रयाग–कालदूबगड़–हेमकुण्ड साहिब बद्रीनाथ–माणा–म्यूपार–नीटी–मुन्दोली–ग्वालदम, में जन सुविधाओं का विकास, बायो टॉयलेट, पर्यटक सुविधा केन्द्र, सुरक्षा दीवार तथा स्नान घाट का पुनर्निर्माण तथा पंच प्रयाग सर्किट के अन्तर्गत राफ्टिंग डेक का कार्य।	719.26

1	2	3
4.	जोशीमठ मार्ग के अन्तर्गत बद्रीनाथ, गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तथा वैली ऑफ फ्लावर पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सुविधा केन्द्र कियोस्क, जनसुविधाओं का विकास, रेन शेल्टर, ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन साईनेज आदि।	787.50
5.	गंगोत्री-भटवाड़ी-संगमचट्टी-हर्षिल-आराकोट-झाला-भटवाड़ी-हर्षिल-धराली जनपद उत्तरकाशी में पर्यटक आवास गृह, सुलभ शौचालय, जनता यात्री निवास, पर्यटक सुविधा केन्द्र तथा पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	787.50
6.	अस्कोट सर्किट जनपद पिथौरागढ में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत (पर्यटक स्वागत केन्द्र, पर्यटक सुविधा केन्द्र, कियोस्क, जनसुविधायें, रेन शेल्टर, पर्यटन सूचना पट आदि)	782.78
7.	कौडियाला-देवप्रयाग-चम्बा-ऋषिकेश-शीशमझाड़ी-तपोवनघाट-नीलूपानी-स्वर्गाश्रम जनपद नई टिहरी में पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत पर्यटक आवास गृह, रैन बसेरा, रेस्टोरेन्ट/डायनिंग हॉल, छठपूजा घाट, सुलभ शौचालय तथा पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का पुनर्निर्माण एवं पुनरोत्थान।	787.50
8.	जनपद उत्तरकाशी में खरशाली मार्ग से यमुनोत्री मार्ग पर पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत पर्यटक स्वागत/पर्यटक सुविधा केन्द्र, कियोस्क, जनसुविधायें, रेन शेल्टर, ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन, सूचना पट आदि।	777.00
9.	जनपद रूद्रप्रयाग में ऊखीमठ तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटक अवस्थापना से सम्बन्धित कार्य, पर्यटक सुविधा केन्द्र, कियोस्क, जनसुविधायें, रैन शेल्टर ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन, सूचना पट आदि।	787.50
10.	मिश्यारीण-कौसानी-डाकरसैम-चौरना-जागेश्वर-काकड़ीघाट-बिन्सर-पदमपुरी जनपद अल्मोड़ा व नैनीताल के पर्यटन सर्किट में हट्स, राफ्टिंग सेन्टर, ट्रैक रूट, पर्यटक आवास गृह, सुलभ शौचालय तथा कैफे का समेकित पुनर्निर्माण और विकास।	782.78
11.	कैलाश मानसरोवर मार्ग (मुनस्यारी-बल-रामाकोट-मदकोट) जनपद पिथौरागढ में अवस्थित पर्यटक आवास गृह शौचालय का पुनर्निर्माण और विकास।	456.85
	कुल योग	7245.01

प्रश्न नहीं उठता।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चीकृत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में भवन व अध्यापकों की स्थिति

31–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत उच्चीकृत हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में विद्यालय भवन एवं अध्यापक नहीं हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उच्चीकृत विद्यालयों में विद्यालय भवनों के निर्माण करने एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उक्त समस्त उच्चीकृत विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विद्यालय स्तर से कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गयी है। वर्तमान में सहायक अध्यापक एल०टी० वेतनक्रम के 3089 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु में सीधी भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है तथा प्रारम्भिक शिक्षा 30 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत स०अ०एल०टी० में 1321 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही मण्डल स्तर पर गतिमान है। इसी प्रकार प्रवक्ता वेतनक्रम में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति हेतु 1213 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है। चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टर कालेजों की संख्या एवं उनमें प्रधानाचार्यों के पदों की रिक्तियों की संख्या

32–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय इण्टर कालेज हैं तथा उनमें कितने प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पदों के रिक्त होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश में कुल 1238 राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) संचालित हैं, जिसमें 766 पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं।

प्रधानाचार्य का पद शतप्रतिशत पदोन्नति का पद है। प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 के अनुसार अर्ह सेवावधि 05 वर्ष नियत है। वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु प्रधानाध्यापक अर्ह न होने के कारण पद रिक्त है।

कार्मिक विभाग की "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010" में निहित प्राविधानों के अनुसार 140 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत छूट प्रदान कर, पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के ग्राम कोली मल्ली में पेयजल योजना का निर्माण कार्य

33–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम कोली मल्ली की पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 892/मंत्री/23–पेयजल/2013–14 दिनांक 27 मार्च, 2014 पर परियोजना प्रबन्धन, स्वजल परियोजना, जिला परियोजना, जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई श्रीनगर (गढ़वाल) द्वारा की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल के कोली मल्ली ग्राम सभा के अनुरक्षणाधीन एकल ग्राम पेयजल योजना है तथा स्वजल परियोजना द्वारा कोली मल्ली योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में स्वजल परियोजना द्वारा संचालित विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना की अवधि माह जून, 2014 में समाप्त हो गयी है एवं विस्तारित अवधि माह दिसम्बर, 2015 के दौरान मात्र गत वर्ष माह जून, 2013 में आयी दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण किया जाना है।

विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत तुमड़ियाढाम में पेयजल की विकट समस्या का निवारण

34—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत तुमड़ियाढाम की विकट पेयजल समस्या के निवारण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 5375/मंत्री/23–पेयजल/2013 दिनांक 23–12–2013 के संदर्भ में आपके पत्रांक 2933 दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल को निर्देशित किये जाने की जानकारी दी गई है ?

यदि हाँ, तो वर्णित विकट पेयजल समस्या के निवारण हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक तुमड़ियाढाम की पेयजल समस्या का निवारण किया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

रामनगर के अन्तर्गत तुमड़ियाढाम बस्ती बाँध निर्मित क्षेत्र में बसी है जो कि राजस्व ग्राम के अन्तर्गत नहीं है। क्षेत्र वासियों से पेयजल योजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। योजना हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत मुण्डनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना से जलापूर्ति

35—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत मुण्डनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ करने तथा त्रुटियों का निवारण करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 671/मंत्री/23–पेयजल/2013–14 दिनांक 18 फरवरी, 2014 के प्रत्यावेदन की वर्णित तथ्यों पर की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुण्डनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना से कब से जलापूर्ति प्रारम्भ की गई है और त्रुटियों का निवारण कब किया गया है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत मुण्डनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ करने तथा त्रुटियों का निवारण करवाने के सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध के क्रम में योजना का निरीक्षण कराते हुए सभी ग्रामों की जलापूर्ति सुचारू कर दी गई है।

मुण्डनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना पूर्ण कर माह अगस्त, 2013 से सभी 61 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी थी, किन्तु मुण्डनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना के पाइप लाइन के अलाइमेन्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग के कारण कतिपय पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयी, जिसके कारण 04 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। त्रुटियों का निवारण माह मार्च, 2014 में किया गया।

पेयजल समस्या सम्बन्धी दिनांक 18–05–13 की बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध न कराये जाने का कारण एवं पेयजल समस्या का निवारण

36–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल समस्याओं के सम्बन्ध में आठ बिन्दुओं पर दिनांक 18 मई, 2013 को आयोजित बैठक का कार्यवृत उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 4423/मंत्री/23-पेयजल/2013–14 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 पर आपके दिनांक 22–10–2013 की टिप्पणी में बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराने के साथ ही बिन्दुवार आख्या से मा0 मंत्री जी एवं इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक पेयजल को दिये गये हैं ?

यदि हाँ, तो उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रबन्ध निदेशक, पेयजल उत्तराखण्ड द्वारा की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है तथा बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध न कराये जाने तथा बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उक्त बैठक में प्रस्तुत टिप्पणी में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में योजनावार अद्यतन आख्या निम्नवत् है :–

1. नानघाट पेयजल योजना से जलापूर्ति बाधित होने के सम्बन्ध में :– स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार योजना से वर्ष 2021 में 2.66 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध कराया जाना है एवं वर्ष 2036 में 4.66 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध कराया जाना है योजना से मांग के अनुसार वर्तमान में 2.66 एम0एल0डी0 के सापेक्ष वर्तमान में पूर्ण मात्रा में पौढ़ी नगर को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। माह अगस्त में 2014 में 2.66 एम0एल0डी0 पानी के सापेक्ष 2.69 एम0एल0डी0 एवं माह सितम्बर, 2014 में 3.08 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध करवाया गया है।

2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल तथा डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना :– चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत लागत रू0 1900.19 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक कुल अवमुक्त रू0 592.49 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के इन्टेक वैल के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं एवं ट्रीटमेन्ट के कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। योजना की राइजिंग मेन के अन्तर्गत कुल 12.285 कि0मी0 के सापेक्ष 8.00 कि0मी0 पाईप लाईन बिछायी जा चुकी है। शेष राइजिंग मेन वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण नहीं बिछायी जा सकी है। वन भूमि की स्वीकृति हेतु प्रपत्र ऑन लाइन किये जा चुके हैं। योजना की सप्लाई मेन, पम्प हाउस, स्टाफ क्वार्टर एवं सर्विस जलाशयों हेतु 3 बार निविदायें आमंत्रित की गई हैं, परन्तु निविदा दाताओं द्वारा निविदा की दरें अत्यधिक देने के कारण निविदायें निरस्त करनी पड़ी हैं। वर्तमान में उक्त कार्यों हेतु पुनः निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

3. जनपद पौड़ी गढ़वाल की बीरोंखाल पेयजल योजना :– बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत लागत रू0 536.34 लाख के सापेक्ष रू0 79.10 लाख अवमुक्त किया जाना शेष है। अवशेष धनराशि अवमुक्त होने पर डुमैला मल्ला एवं अन्य कुछ बस्तियों के शेष कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

4. पेयजल योजनाओं के निर्माण में आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में :– वृहद पम्पिंग पेयजल योजनायें जिन पर कार्य अनुबन्ध के माध्यम से कराये जा रहे है उन पर अवमुक्त धनराशि के अनुसार कार्य प्रगति पर हैं। कुछ योजनाओं में वन विभाग की अनुमति की प्रत्याशा में कार्य बाधित है। वन विभाग से स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है। शेष योजनाओं पर कार्य यू0डब्ल्यू0एस0एस0सी0 के माध्यम से कराये जाने एवं ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण कार्य बाधित रहे। नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त यू0डब्ल्यू0एस0एस0सी0 द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत 84 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन :– जल संस्थान द्वारा चार स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा सात स्थानों पर अधिष्ठापन की कार्यवाही गतिमान है। शेष स्थानों पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर की जा सकेगी।

6. रामनगर स्थित पेयजल योजनाओं के समुचित अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में :– योजनाओं का अनुरक्षण जल संस्थान द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है।

7. विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान रामनगर द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के सम्बन्ध में :– जल संस्थान द्वारा प्रस्तुत कानिया–चिल्किया पेयजल योजना हेतु अनुमानित लागत रु0 43.58 लाख तथा उदयपुरी, चौपड़ा मजरा एवं गणपति धाम ग्रामों में नई जी0आई0 पाईप बिछाने हेतु अनुमानित लागत रु0 43.50 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त क्रमशः रु0 38.24 लाख एवं 38.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति क्रमशः शासनादेश दिनांक 18–06–2013 एवं 13–01–2014 में प्रदान की जा चुकी है।

8. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अन्तर्गत रामनगर में अभियन्ताओं की कमी के सम्बन्ध में :– वर्तमान में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अन्तर्गत निर्माण शाखा, रामनगर में 04 सहायक अभियन्ता तथा 3 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं।

कार्यवृत्त उपलब्ध न कराने तथा बिन्दुओं पर आख्या न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में काण्डी एवं कांगड़ा पम्पिंग योजना का शासनादेश

37–श्री महावीर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में काण्डी पम्पिंग योजना एवं कांगड़ा पम्पिंग योजना की स्वीकृति विषयक मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–1 संख्या वी0आई0पी0(एम)/5412/एस0एस0एस0वी0–1/2014(2) देहरादून दिनांक 29 मई, 2014 को मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी लेकिन आज तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शासनादेश जारी करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

काण्डी पम्पिंग पेयजल योजना के प्राक्कलन अनु0 लागत ₹ 19.05 लाख का राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परीक्षण कर कतिपय आपत्तियों का निराकरण कराया जा रहा है। कांगड़ा पम्पिंग पेयजल योजना हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। योजना के प्रस्ताव को आगामी जिला एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन निकट झील निर्माण की योजना

38—श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन के निकट विभाग द्वारा क्या झील निर्माण की योजना है ?

यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धने–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

39—श्री नवप्रभात–

प्रथम बुधवार के अता0–62 में स्थाना0।

जनपद देहरादून में पृथ्वीपुर नामक स्थान पर पेयजल ट्यूबवैल की स्थापना, उसकी क्षमता तथा ओवर हैड टैंक का बनाया जाना

40—श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में पृथ्वीपुर नामक स्थान पर पेयजल ट्यूबवैल स्थापित है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह ट्यूबवैल कब स्थापित हुआ था तथा इसकी क्षमता क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस ट्यूबवैल पर ओवर हैड टैंक न बनाने का क्या कारण है तथा इस ट्यूबवैल पर जेनरेटर उपलब्ध हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रश्नगत नलकूप 1978 में स्थापित किया गया, जिसके वर्तमान स्राव 1000 एल0पी0एम0 है।

वर्ष 1978 में पृथ्वीपुर, भोजावाला में 02 नलकूप व भोजावाला में एक 450 कि0ली0 क्षमता का उर्ध्व जलाशय निर्माण किया गया है। पृथ्वीपुर में स्थापित ट्यूबवैल को भोजावाला स्थित 450 कि0ली0 ओवर हैड टैंक से जोड़ा गया है। भोजावाला ओवर हैड टैंक में भण्डारण कर जलापूर्ति की जाती है। प्रश्नगत ट्यूबवैल में जनरेटर उपलब्ध नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

राज्य में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित किया जाना

41–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितनी ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम सभाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा इनमें से कितनी योजनायें पूर्ण रूप से बन्द हैं, कितनी में आंशिक जलापूर्ति हो रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन योजनाओं के रख–रखाव, मरम्मत तथा पुनर्गठन के लिए वर्ष 2007 में वर्षवार कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तराखण्ड पेयजल निगम की 1737, उत्तराखण्ड जल संस्थान की 4700 तथा स्वजल परियोजना की 1325 इस प्रकार कुल 7762 ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित किया गया है। हस्तान्तरण के उपरान्त योजनाओं को रख–रखाव एवं मरम्मत का कार्य सम्बन्धित ग्राम सभाओं/ग्राम समितियों द्वारा किया जाता है, पूर्ण रूप से बन्द तथा आंशिक जलापूर्ति वाली योजनाओं की सूचना एकत्र की जा रही है।

उक्त योजनाओं हेतु रख–रखाव, मरम्मत तथा पुनर्गठन के लिए वर्ष 2007 से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, क्योंकि उक्त योजनाओं का रख–रखाव ग्राम समितियों द्वारा किया जाता है।

42–श्री मदन कौशिक–

प्रथम मंगलवार के अता0 66 में स्थाना0।

राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं तथा उनके निर्माण कार्यों का विवरण

43–श्रीमती अमृता रावत–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं तथा उनके निर्माण कार्यों की प्रगति और स्वीकृत धनराशि का योजनावार विवरण क्या है तथा इन स्वीकृत योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाओं का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई धनराशि और अब तक व्यय की गई धनराशि का योजनावार विवरण क्या है तथा कब तक इन योजनाओं का निर्माण करवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री दिनेश धनै–

योजनावार विवरण अनुलग्नक "अ" में वर्णित है। †

प्रदेश में बेरोजगार बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को रोजगार उपलब्ध कराना

44–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एड0 डिग्री धारक बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक रोजगार प्रदान किया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राज्य सरकार के विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही यथा आवश्यकता की जाती रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में सीवर लाईन बनाने का सरकार का विचार

46–श्री प्रेम सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के क्षेत्र खटीमा में सीवर लाईन बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

---

† (देखिए नत्थी "अ" आगे पृष्ठ संख्या 216–219 पर)

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में खटीमा नगर की जलापूर्ति सीवर निर्माण के मानकानुसार नहीं है।

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानकमत्ता को पर्यटन स्थल बनाया जाना

47–श्री प्रेम सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानकमत्ता को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

जी हाँ।

वर्ष 2006–07 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत रीठा साहिब एवं नानकमत्ता सर्किट योजना के अन्तर्गत कार्य सम्पादित कराये गये। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नानकमत्ता (ऊधमसिंह नगर) को वर्ष 2006–07 में पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत ₹ 88.82 लाख के कार्य करवाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टर कालेजों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति

48–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार कितने इण्टर कालेजों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में रिक्त व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष 2010 में प्रदेश के इण्टर कालेजों में नियुक्त किये गये व्यायाम शिक्षकों का जनपदवार विवरण निम्नवत् हैं :–

जनपद	संख्या
पौड़ी	21
चमोली	11
रूद्रप्रयाग	7
टिहरी	20
उत्तरकाशी	7
देहरादून	4
हरिद्वार	1
नैनीताल	6
अल्मोड़ा	11
पिथौरागढ़	2
चम्पावत	2
बागेश्वर	10

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम में सीधी भर्ती (90 प्रतिशत), विभागीय परीक्षा (10 प्रतिशत) के अन्तर्गत शरीरिक शिक्षा विषय के कुल 248 पदों पर भर्ती हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत 01–01–13 से 26–06–14 तक राजकीय इण्टर कालेजों के प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण

49–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2013 से 26 जून, 2014 तक राजकीय इण्टर कालेजों में कुल कितने प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रिक्त स्थानों में प्रति स्थानी के रूप में प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है तथा उसका विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कुल कितने प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं तथा सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत कुल 10 प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013" में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर किये गये।

डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 से प्रवक्ता वेतनक्रम में पदोन्नति के फलस्वरूप 32 शिक्षक पदस्थापित किए गए जिनका विवरण संलग्नक–1 पर दृष्टव्य है। †

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ताओं के कुल 34 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता वेतनक्रम में सीधी भर्ती के रिक्त 1213 पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग में चयन की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी साहित्य के प्रथम डी0 लिट डा0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जी के पैतृक स्थान में कार्यक्रम का आयोजन

50–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हिन्दी साहित्य के प्रथम डी0 लिट डा0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल के जन्म स्थान (पैतृक स्थान) ग्राम पाली जहरीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्व0 श्री बड़थ्वाल जी की स्मृति में सरकार कोई कार्यक्रम आयोजित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

वर्तमान में किसी संस्था अथवा जिला प्रशासन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ संख्या 229 पर)

जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गिरीताल में पेयजल योजना

51–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में गिरीताल पेयजल योजना ₹ 527.00 लाख के पुनर्गठन के प्रस्ताव को पेयजल विभाग द्वारा ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत ट्रेन्च–3 में प्रस्तावित होना था के प्रति सरकार द्वारा सम्बन्धित योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पेयजल निगम काशीपुर को धन अवमुक्त कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी विकास विभाग के नियंत्रण में काशीपुर की पेयजल योजना से सम्बन्धित कार्यों को ए0डी0बी0 द्वारा ट्रान्च–03 में रखा गया था, परन्तु डी0ई0ए0 द्वारा कार्यक्रमों को दो ट्रांचों में सीमित कर दिया गया है।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के अन्तर्गत मोत्यूराज पेयजल योजना का पुनर्गठन

52–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मोत्यूराज पेयजल योजना कई वर्ष पुरानी योजना है जो वर्तमान में अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है एवं वर्तमान में वहाँ की जनसंख्या तीन गुना बढ़ चुकी है तथा वहाँ पर पेयजल की भारी समस्या हो रही है ?

क्या सरकार उक्त योजना का पुनर्गठन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

ग्राम पंचायत से विधिवत खुली बैठक का प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

53—श्री नवप्रभात—

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 विचुआ का उच्चीकरण

54—श्री प्रेम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 विचुआ का उच्चीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।, प्रकरण विचाराधीन है।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति हेतु शासनादेश

55—श्री गणेश जोशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ?

यदि नही, तो क्या सरकार प्रदेश के योग प्रशिक्षित बेरोजगारो की नियुक्ति हेतु कोई शासनादेश जारी करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की नियुक्ति सेवा नियमावली के आधार पर करने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जोनियाड़ा हाईस्कूल तथा भाल की माण्डे जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण

56-श्री महावीर सिंह-

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जोनियाड़ा हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट तक एवं भाल की माण्डे जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

जोनियाड़ा हाईस्कूल का उच्चीकरण प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भाल की माण्डे जूनियर हाईस्कूल का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस हेतु कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति उपरान्त विद्यालयों का उच्चीकरण

57-श्री महावीर सिंह-

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद भी आज तक मरोड़ा सकलाना हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट सम्बन्धी पत्रांक संख्या 1494 दिनांक 23 मई, 2014 के बावजूद उच्चीकरण का आज तक शासनादेश नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्कूलों के उच्चीकरण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी हाँ।

रा0उ0मा0वि0 मरोड़ा जौनपुर, टिहरी का इण्टर स्तर पर एवं रा0हा0 हाईस्कूल मंजगाँव (सेलवाणी) का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिस हेतु कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा पुरूकुल से हाथीपांव तक रोपवे का निर्माण

58--श्री गणेश जोशी--

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रेषित पुरूकुल से हाथीपांव तक रोप-वे के निर्माण की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना पर कार्य करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै--

वर्तमान में पुरूकुल गाँव से हाथीपांव तथा हाथीपांव से लाइब्रेरी तक रोप-वे निर्माण योजना क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जी हाँ।

वन भूमि के सम्बन्ध में वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने, अन्य विभागों से सम्बन्धित भूमि से हस्तान्तरण व भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न होने तथा रोप-वे परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भूउपयोग परिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त उक्त योजना को पी0पी0पी0 मोड में विकसित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

रिखणीखाल विकास खण्ड में वर्ष 2003 में स्वीकृत पर्यटक आवास हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

59--श्री दलीप सिंह रावत--

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल विकास खण्ड में 2003 में स्वीकृत पर्यटक आवास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी थी तथा विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पर्यटक आवास के निर्माण में हुए विलम्ब का कोई अधिकारीगण दोषी है ?

यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धने–

वर्ष 2004–05 में शासनादेश संख्या 290/VI/2005–2(1)/2004 दिनांक 29 मार्च, 2005 द्वारा रिखणीखाल में यात्री निवास के निर्माण हेतु ₹ 10.31 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति सहित ₹ 5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, पुनः ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी द्वारा वर्ष 2007–08 में ₹ 32.28 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर शासनादेश संख्या 867/VI/2008–3(47)/2005 दिनांक 25–8–2008 द्वारा ₹ 30.07 लाख पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 5.00 लाख से उक्त योजना में भूमि विकास एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य करवाया गया।

उक्त योजना हेतु पुनः पुनरीक्षित आगणन ₹ 42.65 लाख प्रस्तुत किया गया है। जिस पर शासन के पत्र संख्या 1174 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये :–

1. वर्ष 2008 में पुनरीक्षित आगणन पर सहमति प्रदान करने के उपरान्त भी कार्य को शुरू न करने के क्या कारण हैं ?
2. विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत कार्य विलम्ब से पूर्ण किये जाने अथवा कार्य शुरू न करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में क्या शर्त रखी गयी है।
3. क्या प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन में पूर्व में स्वीकृत कार्य हैं अथवा कोई नये कार्य भी प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये हैं।
4. पुनरीक्षित प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ठोस कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है कृपया योजना के पुनरीक्षित होने के ठोस कारणों सहित प्रस्ताव किया जाय।

इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करायी जायेगी।

जाँच आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लैंसडौन, पौड़ी खिर्सू में प्रस्तावित पर्यटन सर्किट की वर्तमान स्थिति

60—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लैंसडौन, पौड़ी खिर्सू हेतु पूर्व में प्रस्तावित पर्यटन सर्किट की वर्तमान स्थिति क्या है?

क्या उक्त पर्यटन सर्किट हेतु कोई नयी योजना सरकार द्वारा प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै—

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2004 में पौड़ी–खिर्सू–लैंसडौन पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 401.81 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एक कार्य के अतिरिक्त समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

एक कार्य डोरियाखाल में 60 शैय्याओं के यात्री निवास के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि भारत सरकार को वापस कर दी गयी है।

उक्त सर्किट के अन्तर्गत पूर्ण किये गये सभी कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

लैंसडौन–पौड़ी–खिर्सू पर्यटन सर्किट हेतु वर्तमान में कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है। अपितु वर्ष 2015–16 में जयहरीखाल–लैंसडौन, ताड़केश्वर–भरतनगर–चरकढांडा कण्वाश्रम पर्यटन सर्किट के विकास की योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधान सभा में हरीढुंगा–मुजरकोट पेयजल योजना का निर्माण

61—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2012–13 में अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र में घोषणा की थी कि हरीढुंगा–मुजरकोट पेयजल योजना का निर्माण कार्य एक वर्ष में कर लिया जायेगा ?

क्या मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि अधिकारियों द्वारा योजना के निर्माण कार्य की डी0पी0आर0 अभी तक नहीं बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को निर्देशित करेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हरीढुंगा–गुजरकोट पेयजल योजना के सर्वेक्षण कार्य, भूमि प्रबन्धन एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु प्रारम्भिक प्राक्कलन ₹ 121.60 लाख की स्वीकृति दिनांक 25–07–2013 को दी गयी है। योजना के सर्वेक्षण कार्य में ग्रामवासियों द्वारा (यू0डब्ल्यू0एस0एस0सी0) प्रस्ताव को बार–बार बदलने के कारण डी0पी0आर0 बनाये जाने में विलम्ब हुआ है।

जनपद पिथौरागढ में प्राथमिक पाठशाला बातुला के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत

62–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ में प्रा0 पाठशाला बातुला का भवन ध्वस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या विद्यालय के छात्र छात्राओं की बैठने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार ध्वस्त भवन निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

भवन ध्वस्त नहीं बल्कि जीर्ण–शीर्ण है।

सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में अध्ययनरत 12 बच्चों को विद्यालय के आंगन में पढ़ाया जाता है। वर्षा आदि होने पर बच्चों को विद्यालय हेतु निर्मित किचन कम स्टोर रूम में बैठाया जाता है।

जी हाँ, भवन की मरम्मत की जायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनवरी 2014 से अल्मोड़ा जिले के शिक्षा विभाग के कार्मिकों का स्थानान्तरण जिले के बाहर किया जाना।

63–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, 2014 से वर्तमान तक अल्मोड़ा जिले से शिक्षा विभाग के अधिकारियों प्रधानाचार्यों व अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिले से बाहर किया गया है और उनके स्थान पर कितने प्रतिस्थानी आये है ?

क्या मंत्री जी उनका अल्मोड़ा जिले की विधान सभा वार विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन स्थानान्तरणों से अल्मोड़ा जिले में पूर्व से जो रिक्तियाँ थी क्या उनके स्थान पर नियुक्तियाँ हुई है ?

यदि हाँ, तो तद्सम्बन्धित विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद अल्मोड़ा से जनवरी, 2014 से वर्तमान तक 06 अधिकारी (01 मुख्य शिक्षा अधिकारी, 02 जिला शिक्षा अधिकारी, 01 प्राचार्य एवं 02 बीईओ), 02 प्रधानाचार्य एवं 23 कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद अल्मोड़ा से अन्यत्र किया गया है। इनके स्थान पर 01 मुख्य शिक्षा अधिकारी, 01 प्राचार्य डायट प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	स्थानान्तरित अधिकारी का पदनाम	कार्यमुक्ति की सूचना	प्रतिस्थानी की व्यवस्था	कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी सूचना	अभ्युक्ति
1.	01 मुख्य शिक्षा अधिकारी	कार्यमुक्त	01 मुख्य शिक्षा अधिकारी	कार्यभार	–
2.	01 जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)	स्थानान्तरण प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।			
3.	01 जिला शिक्षा अधिकारी (बे0)	स्थानान्तरण प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।			

4.	01 प्राचार्य	कार्यमुक्त	01 प्राचार्य	कार्यभार ग्रहण	–
5.	02 खण्ड शिक्षा अधिकारी	कार्यमुक्त	–	–	–
6.	02 प्रधानाचार्य	कार्यमुक्त	02 प्रधानाचार्य	कार्यभार ग्रहण	–
7.	–	–	02 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया	–
8.	02 प्रशासनिक अधिकारी	कार्यमुक्त	01 प्रशासनिक अधिकारी	कार्यभार ग्रहण	–
9.	–	–	01 वरिष्ठ सहायक	कार्यभार ग्रहण	–
10.	13 निकष्ठ सहायक	कार्यमुक्त	07 कनिष्ठ सहायक	कार्यभार ग्रहण	
11.	08 परिचारक	कार्यमुक्त	–	–	–

जी हाँ।

विधान सभा का नाम	अधिकारी	प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक	अन्य कार्मिक
सल्ट	–	–	09 कनिष्ठ सहायक एवं 05 परिचारक
जागेश्वर	01 बी0ई0ओ0		01 प्रशासनिक अधिकारी, 03 कनिष्ठ सहायक एवं 01 परिचारक
द्वाराहाट	–	–	01 कनिष्ठ सहायक
अल्मोड़ा	01 मुख्य शिक्षा अधिकारी, 02 जिला शिक्षा अधिकारी, 01 प्राचार्य		01 प्रशासनिक अधिकारी
रानीखेत	01 खण्ड शिक्षा अधिकारी	02 प्रधानाचार्य	02 परिचारक

जी हाँ। अल्मोड़ा जिले में पूर्व की नियुक्तियों में से मात्र 02 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा में 01 एवं डायट अल्मोड़ा में 01 तैनाती की गयी थी किन्तु उनके द्वारा तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था। साथ ही 02 प्रधानाचार्यों की तैनाती (रा0क0इ0का0) बाड़ेछीना, रा0इ0का0 ज्यालती, अल्मोड़ा, 01 प्रशासनिक अधिकारी, रा0इ0का0 मोतियापाथर, अल्मोड़ा, 01 वरिष्ठ सहायक, रा0उ0मा0वि0 ढौरा, अल्मोड़ा, 07 कनिष्ठ सहायक (रा0इ0का0 नौला, रा0इ0का0 भनोली, रा0इ0का0 बिन्ता, रा0इ0का0 खूट, रा0इ0का0 भिकियासैंण, रा0इ0का0 गरूड़ाबाज एवं रा0इ0का0 बदूलिया) तथा 02 खण्ड शिक्षा अधिकारियों (खण्ड शिक्षा अधिकारी, सल्ट एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी धौलादेवी) की तैनाती की गयी।

तैनाती का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पद का नाम	पूर्ति किये गये पदों की संख्या	कार्यभार ग्रहण की स्थिति
1.	खण्ड शिक्षा अधिकारी	02	कार्यभार ग्रहण
2.	प्रधानाचार्य	02	कार्यभार ग्रहण
3.	प्रशासनिक अधिकारी	01	कार्यभार ग्रहण
4.	वरिष्ठ सहायक	01	कार्यभार ग्रहण
5.	कनिष्ठ सहायक	07	कार्यभार ग्रहण
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	कार्यभार ग्रहण नहीं

अवशेष रिक्त पदों के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि अधिकारी संवर्ग में मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट, खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक के पद पदोन्नति के पद हैं व उपरोक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश में 16–17 जून, 2013 में आई आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयी भवनों की संख्या

64–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आई दैवीय आपदा में 16–17 जून, 2013 से शिक्षा विभाग के कितने भवन आपदा से क्षतिग्रस्त हुए ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश में आई दैवीय आपदा 16–17 जून, 2013 से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 209 विद्यालयों के भवन आंशिक तथा 04 विद्यालयों के भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं।

- 03 पूर्णतः क्षतिग्रस्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण विभिन्न ट्रस्ट/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से, 01 पूर्णतः क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन तथा 47 आंशिक क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवन आदि का पुनर्निर्माण एन0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत तथा 10 विद्यालयों के भवन का पुनर्निर्माण/मरम्मत आदि का निर्माण कार्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण कार्य जिला योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के ग्राम मूलाकोट की क्षेत्रीय जनता द्वारा क0जू0हा0 स्कूल खोले जाने की माँग

65–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मूलाकोट की क्षेत्रीय जनता द्वारा विगत लम्बे समय से कन्या जू0 हाईस्कूल बनाये जाने की माँग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बालिका शिक्षा हेतु कन्या जू0 हाईस्कूल खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता

तीन किमी की परिधि में रा0इ0का0 मूलाकोट स्थित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय खोलने के मानक पूर्ण नहीं होते हैं।

लोहाघाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिनवाल की जनता द्वारा क्षेत्र में जूनियर हाईस्कूल खोले जाने की माँग

66—श्री पूरन सिंह फर्त्याल—

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत ग्राम बिनवाल की जनता द्वारा विगत लम्बे समय से क्षेत्र में जू0 हाईस्कूल बनाये जाने की मांग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा—दीक्षा हेतु जू0 हाईस्कूल खोले जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तीन किमी की परिधि में रा0उ0मा0वि0 गोडकाला बिनवाल गाँव स्थित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय खोलने के मानक पूर्ण नहीं होते हैं।

जनपद बागेश्वर के ग्राम जौल काण्डे में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का निर्माण

67—श्री चन्दन राम दास—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के ग्राम जौल काण्डे में पर्यटन विभाग ने विशेष पर्यटन सर्किल के माध्यम से दो योजनायें स्वीकृत की थी ?

यदि हाँ, तो कौन—कौन सी योजनायें थी तथा कितनी धनराशि की योजना स्वीकृत थी।

क्या मंत्री जी उक्त दोनों योजनाओं का शीघ्र ही निर्माण प्रारम्भ करायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश धनै–

जी हाँ।

वर्ष 2012–13 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बागेश्वर बैजनाथ–लोहारखेत ईको टूरिज्म सर्किट स्वीकृत किया है।

उक्त सर्किट के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे :–

1. खरकिया (बैजनाथ) में आवासीय सुविधाओं के अन्तर्गत लड़के–लड़कियों हेतु डारमेट्री, मार्डन शौचालयों का निर्माण, दुकानें, बेन्च, सम्पर्क मार्ग, तथा पानी की व्यवस्था आदि कार्य।

2. बागेश्वर (झील कम्हा) में एक कदीय पाँच ईको लॉग हट्स, लड़के–लड़कियों हेतु डारमेट्री, जन सुविधाओं का विकास, पर्यटक सुविधा केन्द्र, मल्टीपरपज हॉल का निर्माण, विश्राम गृह, दुकानें, कार पार्किंग, बागेश्वर में बेंच का निर्माण सम्पर्क मार्ग, दो हाई मास्ट लाईट, सौर ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा हीटर आदि कार्य।

3. उक्त के अतिरिक्त लोहार खेत में लड़के एवं लड़कियों हेतु डारमेट्री का निर्माण, जन सुविधाओं के अन्तर्गत आधुनिक शौचालयों का निर्माण एवं पर्यटक स्थलों पर साईनेज, सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि कार्य।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु ₹ 800.00 लाख की डी0पी0आर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 80 प्रतिशत धनराशि ₹ 640.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। डी0पी0आर0 में प्रस्तावित स्थलों पर मात्र जन सुविधाओं के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो सकी। अन्य योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण, पर्यटक मंत्रालय भारत सराकर द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के कारण तथा भारत सरकार को उक्त कारणों से पूर्ण योजना का उपयोगिता प्रमाण–पत्र न दिये जा सकने के कारण ₹ 5,50,93,995/– पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को वापस कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त योजना को स्वीकृत करने हेतु पुनः पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में पुनः डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की जा रही है।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त योजनाओं में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उत्कृष्ट शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार हेतु नियमावली

68–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उत्कृष्ट शिक्षकों हेतु शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार चयन की प्रक्रिया हेतु कोई नियमावली निर्धारित है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तराखण्ड स्थापना के बाद उक्त पुरस्कार चयन हेतु नियमावली का पूर्णतः पालन किया गया है ?

यदि नहीं, तो चयनकर्ताओं के खिलाफ क्या विभाग कोई कार्यवाही करेगा ? क्या विभाग भविष्य में उक्त नियमावली के पालन हेतु कड़े निर्देश देने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 437/XXIV–4/2009 दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 तथा शासनादेश संख्या 489/XXIV–4/2012–10(14)/2010 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा व्यवस्था की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार शैलेश मटियानी पुरस्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है।

जनपद बागेश्वर के ग्राम जेठाई–बगचूड़ी पम्पिंग योजना

69–श्री चन्दन राम दास–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम जेठाई–बगचूड़ी पम्पिंग योजना को स्वीकृति की कार्यवाही लम्बे समय से शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो इस योजना में कितने गाँवों को पेयजल आपूर्ति की जायेगी और इसे स्वीकृति न मिलने का क्या कारण है ?

उक्त विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

क्या इस योजना को शासन स्तर पर जल्दी स्वीकृति मिलेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उक्त योजना में 09 राजस्व ग्रामों की 49 बस्तियाँ सम्मिलित हैं। योजना जल निगम के परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना राज्य सैक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत ₹ 1078.13 लाख का प्राक्कलन प्रस्तावित था, किन्तु व्यय वित्त समिति की बैठक में योजना का पुनः परीक्षण करते हुए योजना को राज्य सैक्टर ग्रामीण के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) के अन्तर्गत सम्मिलित करने की अपेक्षा की गयी है। अतः प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं का विवरण

70–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ऐसे प्रा0 पाठशालाओं का विधान सभावार विवरण देंगे जहाँ वर्तमान तक में भी पहली कक्षा के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रतिदिन कम से कम 02 कि0मी0 पैदल चलना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार गाँव से विद्यालयों तक सम्पर्क मार्ग या और कोई ठोस योजना बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

विवरण परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय। †

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 221 पर)

परम्परागत सम्पर्क मार्ग है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य गठन के उपरान्त विद्यालयों में लगाये गये कम्प्यूटरों की संख्या एवं उनका रख–रखाव

71–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री प्रदेश के विद्यालयों में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद लगाये गये कम्प्यूटरों की संख्या का विधान सभा व वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा उनकी देख–रेख (ए0एम0सी0) हेतु कोई व्यवस्था भी की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या और उसमें होने वाले व्यय का भी सरकार विधान सभा व वर्षवार विवरण देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ, (विधान सभा वार एवं वर्ष वार विवरण संलग्न–1 व 2 पर दृष्टव्य है।) †

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2102–13 में विभिन्न जनपदों में कम्प्यूटरों के अनुरक्षण हेतु ए0एम0सी0 की गयी और तद्नुसार भुगतान भी किया गया। (जिसका विवरण संलग्न–1 पर दृष्टव्य है।) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में मात्र जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा मैसर्स डाइनामिक इन्फोटेक, हल्द्वानी, नैनीताल के साथ जनपद के विद्यालयों में स्थापित कम्प्यूटरों के रख–रखाव हेतु ए0एम0सी0 हेतु अनुबन्ध किया गया था। जिसके क्रम में कुछ विद्यालयों द्वारा उक्त फर्म को भुगतान भी किया गया है। (जिसका विवरण संलग्न–2 पर दृष्टव्य है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ संख्या 222–229 पर)

मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहस्रधारा एवं राबर्स केव देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं पार्किंग स्थल का निर्माण

72–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र सहस्त्रधारा एवं राबर्स केव देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी विधान सभा क्षेत्र के उक्त दोनों पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त दोनों पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं पार्किंग की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान तक उक्त कार्यों के लिए कितनी धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ?

श्री दिनेश धनै–

जी हाँ,

जी हाँ,

पर्यटन विभाग द्वारा सहस्त्रधारा में पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पार्किंग निर्माण की योजना प्रस्तावित की जा रही है। जिसमें पर्यटन सूचना एवं सुविधा केन्द्र के आसपास का विकास, चिल्ड्रेंस पार्क, पक्षी विहार रैक गार्डन, पाथवे, सम्पर्क मार्ग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

राबर्स केव (गुच्छूपानी) में ओपन थियेटर, फूड कियोस्क, चैन्जिंग रूम लॉकर्स, शौचालय, निर्मित कैन्टीन का पुनर्निर्माण, गार्ड रूम, पक्षी विहार, मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं सम्पर्क मार्ग, पर्यटन सूचना केन्द्र, प्रवेश द्वार, पम्पिंग योजना, स्थल विकास, उद्यान सम्बन्धी कार्य, हाईमास्ट विद्युतीकरण आदि कार्यों हेतु ₹ 738.28 लाख की डी0पी0आर0 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

प्रदेश के गठन के उपरान्त विद्यालयों में वर्ष 2003 से नवीन पाठ्यक्रम

73–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के गठन के बाद सन् 2003 में प्रदेश के विद्यालयों में उत्तराखण्ड के परिवेश से सम्बन्धित नवीन पाठ्यक्रम लागू करते हुए कक्षा 8 की हिन्दी की पुस्तक भाषा रश्मि भाग–3 पढ़ाई जाती थी ?

यदि हाँ, तो इस पुस्तक के स्थान पर बुरांश भाग–3 2010 के बाद से पढ़ाया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

भाषा रश्मि पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 पर आधारित थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अस्तित्व में आने के पश्चात् एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा तीन चरणों में राज्य की कक्षा 1–8 तक की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना का कार्य सम्पादित किया गया, जिसके उपरान्त नवीन पुस्तकें ही विद्यालयों में पढ़ायी जा रही हैं।

जिला हरिद्वार के मदरसों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था

74–श्री सरवत करीम अन्सारी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जिला हरिद्वार के कुछ मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और कुछ मान्यता प्राप्त मदरसों में उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कुछ मदरसों जो कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं उनको मध्याह्न भोजन योजना का लाभ किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है तथा सरकार तत्सम्बन्धी समस्त विवरण उपलब्ध करायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ

सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में जिन मदरसों की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है उनको मध्याह्न भोजन योजना की सुविधा दी जा रही है। ऐसे मदरसे जिनको वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से स्वीकृति प्राप्त नहीं है, उनमें यह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

जिला हरिद्वार में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

75–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जिला हरिद्वार में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कितने मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, हरिद्वार के यहा 2014 में अवेदन प्राप्त हुए हैं?

क्या मदरसा संचालकों द्वारा अपने मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना चलाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों के अनुसार सभी मदरसों में उक्त योजना को लागू कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उन सब का विवरण उपलब्ध करायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद हरिद्वार में मध्याह्न भोजन योजना की सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 58 मदरसों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, हरिद्वार को प्राप्त हुए हैं। सचिव, समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण के पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2013 द्वारा जनपद हरिद्वार के जिन 27 मदरसों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई गई उन 27 मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014–15 के अनुमोदनोपरान्त मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

जी नहीं। जिन 27 मदरसों को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014–15 से अनुमोदन प्राप्त है, उनमें मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। अवशेष 31 मदरसों हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना संचालित नहीं की जा रही है।

विवरण परिशिष्ठ 01 एवं 02 पर अंकित है।

उपरोक्तानुसार।

विपक्ष द्वारा हल्द्वानी में एक विवाह समारोह से गायब बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने सम्बन्धी दी गई नियम–310 की सूचना अन्तर्गत घटना में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने की माँग

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। (घोर व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा प्रदेश बन्द है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। आज पूरा पहाड़ जल रहा है। पिथौरागढ़ बन्द, अल्मोड़ा बन्द, बागेश्वर बन्द, चम्पावत बन्द, हल्द्वानी बन्द है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो 10 लाख रु0 माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसको वो वापस करने जा रहे हैं और मार्चरी से लाश तक नहीं उठा रहे हैं। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मासूम बच्ची की जो निर्मम हत्या हुई है, उससे सारा राज्य पूरी तरह से आहत है और जो भावनाएं सदन के अन्दर और सदन के बाहर व्यक्त की गयी है। हम उन भावनाओं से सहमत भी हैं और उन भावनाओं को समझते भी हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। हम तो यह जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन लें। उसके बाद अपनी बात कहें। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने इस दौरान बच्ची के अभिभावकों से बात की। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनके गृह जनपद में एक शिक्षक संस्था का नाम बच्ची के नाम पर रखा जाय और दूसरी इच्छा यह व्यक्त की कि जहाँ वे आज बच्ची का अन्तिम संस्कार करेंगे, उस स्थान पर उसका एक स्मृति स्थल बनाया जाय और मैंने उनकी दोनों बातों की पूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि वे कार्यवाही करें। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, यह बतायें। (व्यवधान)

*श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर जो अधिकारी थानों में बैठे हुए हैं, वे मौज से पैसा कमाने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं इसका एक सीधा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बाजपुर कोतवाली के अन्तर्गत दो नवम्बर को एक अनोखे लाल नाम का व्यक्ति गायब हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर , यह अलग विषय है। (व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, विषय यही है। विषय कानून व्यवस्था का है। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप नोटिस दे दीजिए, उसका भी जवाब दे दिया जायेगा। (घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात का जवाब दूँ या सम्भावित नेता प्रतिपक्ष के लोगों की बात का जवाब दूँ। मैं तो नेता प्रतिपक्ष की बात का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, हमारे विपक्ष के एक ही नेता हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि गिरफ्तारी हुई या नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने गिरफ्तारी के लिए टीमें भेज दी हैं और बहुत हद तक जो सूचनाएं उनके पास हैं, उसके आधार पर हम आशावान हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तारियां हो जावेंगी। मगर इस तरह के जो ब्लाइंड केसेज होते हैं, उनमें पुलिस को कुछ समय देना पड़ता है, ताकि दोषियों को खोज सकें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या दोषी की गिरफ्तारी हो गयी। दूसरा प्रश्न है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रु0 दिया था, उस 10 लाख रु0 को अभी वे लौटाने वाले हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आयी है और उस बच्ची की बॉडी मोर्चरी में रखी गयी है, उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम बॉडी को नहीं उठायेंगे। मान्यवर, तीसरा प्रश्न है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। हम नियम–310 इसलिए मॉग रहे हैं, जैसे इस मासूम बच्ची की हत्या हुई और वह भी 500 मीटर की दूर पर, देखने वाला कोई नहीं था। मान्यवर, इसी तरह शेरवुड कॉलेज में नेपाल का एक बच्चा मारा गया अभी कुछ दिन पहले। मान्यवर, भारत के प्रधानमंत्री के सामने नेपाल के अन्दर बात उठी है "वी वांट जस्टिस;;; उत्तराखण्ड में क्या हो रहा है। हमारे प्रदेश की गूंज सार्क देशों में गयी है। आज हमारी कानून व्यवस्था कैसी हो गयी है। मान्यवर, कल रात एस0एस0पी0 पर खनन माफियाओं ने गोली चला दी। मान्यवर, इस प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन देखेगा इस प्रदेश को, कौन बचायेगा इस प्रदेश को। मान्यवर, बाजपुर में एक भाई और उसकी पत्नी कहती है कि मेरी भाभी तो फलाने–फलाने के सम्बन्ध हैं, इसको आज मार दिया जाएगा, कल मार दिया जायेगा। एक हफ्ते तक लिखित रिपोर्ट

लेकर कर गए हैं। बाजपुर के बकरपुर गाँव का अनोखे लाल, उसकी हत्या हो गयी और शव कैसे मिला, सिर मिला एक किलोमीटर दूर, हाथ मिला दो किलोमीटर दूर, उसको मार दिया, कोई देखता नहीं और एस0ओ0 ने कहा कि मैं तुम दोनों पति–पत्नी को अन्दर डाल दूँगा, अगर दुबारा आए। आखिर यह प्रदेश कैसे चलेगा ? मान्यवर, हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। कल रात रूद्रपुर में हत्या हो गयी। बार–बार हत्याएं हो रही हैं, मान्यवर कौन देखेगा इसको ? ('वेल' की ओर जाते हुए) हम नहीं बैठेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा हल्द्वानी में एक विवाह समारोह से गायब बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने के सम्बन्ध में सूचना को नियम–310 में उठाये जाने की माँग

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपसे अनुरोध किया था कि इस विषय को नियम–310 में आप सुन लीजिये, न सरकार गिरने वाली है, न सरकार को कुछ होना है, मुद्दा इतना बड़ा है कि आज पूरा प्रदेश जल रहा है। अल्मोड़ा जिला, जिसमें आप रहते हैं, वहाँ भी आज बन्द है, पिथौरागढ़, रानीखेत, चम्पावत, हल्द्वानी, रूद्रपुर में भी बन्द है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री मालचन्द, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री राजेश शुक्ला, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री संजय गुप्ता, श्री प्रेम सिंह राणा, श्री हरबंस कपूर, श्री प्रदीप बत्रा, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री बिशन सिंह चुफाल एवं श्री यतीश्वरानन्द की कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, आज सत्र का अन्तिम दिवस है, अतः मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाय।

विगत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत हरिद्वार विधान सभा में विभिन्न मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण की स्वीकृत योजनाओं में पर्यटन विभाग द्वारा आधे–अधूरे कार्य पूरे किये जाने से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विगत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत हरिद्वार विधान सभा में विभिन्न मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण की योजनाएं स्वीकृत की गयी थी। जिन योजनाओं के अन्तर्गत आधे से अधिक कार्यकिये जा चुके हैं, लेकिन गत दो वर्ष से अधिक हो गये हैं। लेकिन शेष कार्य नहीं किये जा रहे हैं। विभाग से (कार्य करने के बारे में) मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि पर्यटन विभाग द्वारा द्वितीय किस्त नहीं दी गयी है। आधे–अधूरे कार्यों के कारण क्षेत्र में सरकार की छवि धूमिल हो रही है और जनता में भी लोगों के प्रति आक्रोश है।

द्वितीय किस्त तत्काल जारी करने हेतु सदन में इस तात्कालिक लोक महत्व और जनहित के विषय पर ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला (जनपद उत्तरकाशी) में विद्युत लाईन के अभाव के कारण उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाईट सब्सिडी अधिक से अधिक संख्या में दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मालचन्द–**

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कई गाँव में आज भी विद्युत लाईन नहीं है। विद्युत के अभाव में हजारों ग्रामीण आज भी अन्धेरे में रहने को मजबूर हैं। विकास खण्ड पुरोला के बडियार क्षेत्र डिंगाडी, सर, पौन्टी, किमडार, छानीका,

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमलांउ, लवटाडी एवं विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी, फिताड़ी, रैक्चा, कासला, गगांढ, डाटमीर, ओसला, पवाणी क्षेत्र, फते पर्वत के दोणी, मिलरी, मसरी, सेवा, बरी, खन्ना, सट्टा ग्वाल गाँव, देवल, पुजेली, लुड़नघाट गाँव, खन्वासणी, सिलगाड, नुराणु आदि एवं धुनारा तथा विकास खण्ड नौगाँव के गैर, गन्ना, मुगरसन्ती क्षेत्र में विद्युतीकरण नहीं है। विद्युतीकरण से वंचित गाँवों में उरेडा से सौर ऊर्जा दी जाती है, जिसकी मात्रा बहुत ही कम है। सीमान्त क्षेत्र में कई बार भयानक अग्निकाण्ड हो चुके हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को अपनी जान का जोखिम रहता है। सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाईट सब्सिडी का उरेडा विभाग द्वारा अधिक से अधिक संख्या में दिया जाना नितान्त आवश्यक होगा जब तक कि उक्त क्षेत्र में विद्युत लाईन नहीं जाती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा की माँग करता हूँ।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम टिमली के मजरा पिढी बेली में आज तक बिजली की लाईन न होने के कारण मजरे के निवासियों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

मान्यवर, जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम टिमली के मजरा पिढी बेली में आज की तिथि तक बिजली की लाईन न होने के कारण ग्रामवासी अंधेरेमें जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। ग्रामवासी व स्कूल के बच्चों को बिजली न होने कारण बहुत परेशानी होती है, उक्त मजरे में बिजली की लाईनें पहुँचाने के लिये ग्रामवासियों व मेरे द्वारा कई बार सम्बन्धित विभाग को लिखित व मौखिक अनुरोध किया गया, लेकिन आज तिथि तक उक्त मजरे में बिजली की लाईनें नहीं खिंच पाई हैं। जिस कारण उक्त मजरे के निवासियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है तथा परिस्थिति कभी भी उग्र आन्दोलन का रूप धारण कर सकती है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम-300 पर सदन से कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद पौढी गढवाल के वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जनपद पौढी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा है। विकास खण्ड

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारीखाल के कई गाँवों में पेयजल का भारी संकट है, जनता आस लगाये बैठी है। लेकिन हर वर्ष योजना के एस्टीमेट में बढ़ोत्तरी हो रही है और निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जिससे जनता के बीच में आक्रोश है। सरकार को मेरे द्वारा व समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।

रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार ठुकराल–

मान्यवर, 66 रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़क सम्पर्क मार्गों का निर्माण व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। ग्राम सुन्दरपुर में सुभाष बाछाड़ के घर तक दो किमी0, ग्राम शिवपुर से ग्राम अमरपुर तक दो किमी0, ग्राम नरपतनगर में शमशानघाट होते हुए सैनियों के घर तक दो किमी0, ग्राम प्रेमनगर से प्रमोद सिंह के खेत तक एक किमी0, ग्राम महेशपुर से हरनाम दास के खेत तक एक किमी0, ग्राम महेशपुर से श्यामलाल के खेत तक एक किमी0, गदरपुर–दिनेशपुर मार्ग से बलवीर सिंह के खेत तक 600 मीटर, 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम बागवाला के पास स्थित खन्ना फार्म होते हुए रविनाथ के चौराहे तक दो किमी0, ग्राम बागवाला में जगदम्बिका के खेत से राधेश्याम के खेत तक दो किमी0, ग्राम बागवाला में शिवबदन वर्मा के खेत से नरेन्द्र शुक्ला के खेत तक एक किमी0, ग्राम शिवपुर से ग्राम कन्टोपा रोड तक दो किमी0, ग्राम शिवपुर से होते हुए ग्राम हरिदासपुर–बसन्तीपुर रोड तक दो किमी0, ग्राम लम्बाखेड़ा में स्व0 गुरदेव सिंह के डेरे के पास 600 मीटर, ग्राम मुकन्दपुर में गुरूद्वारे से सैजनी की पुलिया तक 600 मीटर, चीनी मिल गदरपुर रोड पर नहर के ऊपर जरनैल सिंह व करनैल सिंह के खेत के लिए पुलिया निर्माण, ग्राम सभा खटोला के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में 1.5 किमी0 सड़क, ग्राम सभा कुकरौरा के विभिन्न ग्रामों में एक किमी0 सड़क, ग्राम आनन्दखेड़ा नं0 दो में एक किमी0, सड़क, ग्राम सुन्दरपुर में बाबूराम–मण्डल के घर से सुभाष बाछाड़ा के घर तक, तपनमण्डल के घर से पंचानन के घर तक, रामबाग मेन रोड से नहर पट्टी से सुशेन हालों के घर तक, राधाकान्तपुर में बहादुर सिंह कार्की के घर से पंकज सरकार के घर तक, ग्राम लक्खीपुर में सुनील सरदार के घर जयगुरू सरदार प्रेमानन्द सरदार के घर तक, मोतीपुर नं0 1 में आदित्य गुरूजी के घर से प्रेमानन्द विश्वास के घर तक, ग्राम मकरन्दपुर ईंट के भट्टे से छोटी नहर पट्टी के साथ–साथ पिपलियाँ नं0 दो की लिंक रोड तक, ग्राम मकरन्दपुर में सिद्धान्त सरकार के घर से दिनेश हाल्दार के घर तक सड़क निर्माण, उक्त सड़क सम्पर्क मार्गों की दयनीय स्थिति होने से क्षेत्रवासियों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उपरोक्त माँग के लिए क्षेत्रवासी लम्बे समय से संघर्षरत हैं, जिस कारण क्षेत्र में भारी आक्रोश है।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः अतिलोकमहत्व की इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त सड़क मार्गों की स्वीकृति की माँग करता हूँ।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन सिंह फर्त्याल-

मान्यवर, जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट जनपद के तीन विकास खण्डों के केन्द्र का अस्पताल है एवं जिले का सबसे अधिक मरीजों का ईलाज यहाँ पर किया जाता है। अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना न होने के कारण आये दिन मरीजों की जानें जा रही हैं या उन्हें ईलाज के लिए अन्यत्र रैफर किया जाता है। स्थानीय नागरिक काफी लम्बे समय से ब्लड बैंक खोले जाने की माँग कर रहे हैं।

अतः मैं इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर सम्मानित सदन की समस्त कार्यवाईयों को रोकते हुए चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

किच्छा विधान सभा क्षेत्र में किच्छा नदी पर पुल अथवा रपटा पुल बनाकर उसे किच्छा शहर से सितारगंज रोड पर पिपलिया चौराहे तक सम्पर्क मार्ग बनाकर जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश शुक्ला-

मान्यवर, किच्छा विधान सभा में किच्छा शहर के साथ लग कर बहने वाली किच्छा नदी के उस पार लगभग 14 ग्राम सभाओं के निवासियों को अपनी जीविका, स्वास्थ्य प्रशासनिक एवं नियमित रोजमर्रा के कार्यों के लिए थाना, तहसील, अस्पताल व शहर आने के लिए किच्छा आना पड़ता है तथा इसके लिए उन्हें किच्छा नदी पर पुल अथवा रपटा पुल न होने से बरेली बाई पास (पुल भट्टा) होते हुए 18 किमी0 का चक्कर लगाना पड़ता है। साथ ही उक्त लोग बड़ी संख्या में सिडकुल में मजदूरी करते हैं तथा सिडकुल में कच्चा माल भी पहुँचाते हैं। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से किये गये अनुरोध पर कि "किच्छा नदी पर पुल अथवा रपटा पुल बनाकर उसे किच्छा शहर से सितारगंज रोड पर पिपलिया चौराहे तक सम्पर्क मार्ग बना दिया जाय तो सिडकुल-पंतनगर एवं सिडकुल-सितारगंज से सम्पर्क जुड़ जायेगा तथा उक्त क्षेत्र के नागरिकों की समस्या भी समाप्त हो जायेगी" माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिडकुल को उक्त रपटा पुल एवं मार्ग बनाने के निर्देश दिये जिस पर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा आगणन आदि तैयार हो चुका है। किन्तु अभी तक सिडकुल द्वारा उक्त कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार क्या सिडकुल उक्त मार्ग एवं रपटा पुल/पुल को बनायेगी तथा इस पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत फरवरी, 2014 में उप तहसील मछोड़ की स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा अधिसूचना निर्गत किये जाने के बाद भी तहसील के अस्तित्व में न आने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

मान्यवर, मेरी विधान सभा सल्ट के अन्तर्गत फरवरी, 2014 में मछोड़ में उप तहसील की स्वीकृति प्रदान की गई थी, तत्पश्चात् सितम्बर, 2014 को अधिसूचना निर्गत करते हुए उप तहसील मछोड़ में सल्ट तहसील के 56 ग्रामों को सम्मिलित भी कर लिया गया परन्तु आज समय तक उप तहसील मछोड़ के अस्तित्व में ना आने से जनता में भारी रोष है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का कारण बन सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उप तहसील मछोड़ में शीघ्र विधिवत् कार्य प्रारम्भ करने की माँग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत पथरी नदी पर ग्राम अकौढ़ा खुर्द व ग्राम-सीधद्-ऐथल में दो छोटे पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय गुप्ता-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम अकौढ़ा खुर्द (शमशान घाट के पास) व ग्राम सीधद्-ऐथल पथरी नदी पर पुल न होने की वजह स्थानीय ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही/वक्तव्य की माँग करता हूँ।

उत्तराखण्ड प्रदेश में वन विभाग के डिप्टी रेंजर के समकक्ष सहायक विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्तियों एवं नियमावली के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह-

मान्यवर, उत्तराखण्ड प्रदेश में वन विभाग के डिप्टी रेन्जर के समकक्ष सहायक विकास अधिकारी वन सीधी भर्ती संघ वन विभाग में न तो कार्यरत हैं और न ही शासन

*वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

से मान्यता प्राप्त है। वन विभाग में सहायक विकास अधिकारी वन सीधी भर्ती का न तो कोई कार्मिक नियुक्त हुआ है और न ही वर्तमान में कार्यरत है। वर्तमान में जो भी कार्मिक सहायक विकास अधिकारी वन के पदों पर विकास खण्डों में कार्यरत हैं वे कनिष्ठतम उप वनाधिकारी वरिष्ठतम वन दरोगा व पूर्व से कार्यरत रोपावनी नायक व वन रक्षक हैं जो सहायक विकास अधिकारी वन के पदों पर विकास खण्डों में कार्य करने हेतु भेजे जाते हैं, प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये उपरोक्त कर्मचारियों को एक पद ऊपर का वेतन दिया जाता था तथा उनके सारे अधिकारी मूल विभाग वन विभाग में ही हैं। जबकि पूर्व पी0सी0सी0एफ0, वी0एस0 बरफवाल द्वारा इन फोरेस्टगार्ड व फोरेस्टर को वर्ष 2006 में विभाग में वापस बुला लिया गया। वर्ष 2012 में सहायक विकास अधिकारी पर कार्यरत कर्मचारियों को वन क्षेत्राधिकारी पद पर संविलिकरण करने हेतु एक नियमावली बनायी गयी है जिसको रिट या सं0 35/2012/56 द्वारा प्रभावित होने वाले कर्मचारियों द्वारा चुनौती दी गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1-8-2012 को वन वन क्षेत्राधिकारी के पद पर संविलियन नियमावली, 2011 को खारिज कर दिया गया।

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रमुख सचिव वन श्री रणवीर सिंह द्वारा दिनांक 29-9-2014 को एक आदेश जारी कर उक्त क्षेत्राधिकारी पद पर संविलियन नियमावली, 2011 जो कि दिनांक 1-8-2012 को ही खारिज कर दी गयी थी, के अनुसार उक्त सहायक विकास अधिकारी को वन क्षेत्राधिकारी बनाते हुए पी0सी0सी0एफ0 को आदेशित किया गया है। प्रमुख सचिव, वन रणवीर सिंह द्वारा जारी उक्त आदेश को खारिज किया जाये एवं उक्त प्रकरण की जाँच की जाये। वन कर्मी आन्दोलित हो रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की माँग करता हूँ।

देहरादून महानगर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंश कपूर-

मान्यवर, देहरादून महानगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में क्षेत्र के विभिन्न नलकूपों के माध्यम से होती है। मान्यवर, पेयजल की निरन्तर उपलब्धता विद्युत की अबाध उपलब्धता, वोल्टेज के उतार-चढ़ाव आदि पर निर्भर करती हैं इसके अतिरिक्त निरन्तर बढ़ते जनसंख्या का दबाव, भू-जल का घटता जलस्तर अनेक कारण हैं जिससे समय-समय पर और स्थान-स्थान पर पेयजल समस्या उत्पन्न हो जाती है।

महोदय, देहरादून की जल आपूर्ति की निरन्तरता बनाए रखने के लिए उचित होगा कि देहरादून के पूरब और पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियों के प्राकृतिक स्रोत को आधार बनाकर वृहत योजना बनाई जाए जो दीर्घकाल तक पेयजल उपलब्ध करा सके।

मान्यवर, इस तात्कालिक एवं अविलम्बनीय महत्व की समस्या की ओर नियम-300 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मॉग करता हूँ कि समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रूड़की गंगनगर पर झूला पुल के स्थान पर सी0सी0 पुल बनाने की घोषणा किये जाने के बाद भी पुल निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप बत्रा-

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अवगत कराना है कि रुड़की क्षेत्र के आस-पास औद्योगिककरण होने के कारन शहर की जनसंख्या के साथ-साथ वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जिसके कारण गंगनहर के पुराने पुल पर घंटों जाम की समस्या से नगरवासियों को जूझना पड़ता है। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय रिक्शाएं, स्कूल बस आदि जाम के कारण घंटों खड़ी रहती हैं। जिससे छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से कलियर शरीफ जाने वाले जायरीन भी जाम की समस्या से परेशान होते हैं। कई बार तो जाम होने के कारण आकस्मिक चिकित्सा के लिए मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। इन सब कठिनाईयों को देखते हुए गंगनहर पर एक लोहे का झूला पुल केवल पैदल आने जाने वालों के लिए बनाया जा रहा था जो कि कामयाब न हो सका। वैसे भी मात्र पैदल चलने वालों के लिए बनाया जा रहा पुल अव्यवहारिक था। इससे जाम की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। जब तक यहाँ पर सीमेन्ट का पुल निर्माण न किया जाये तब तक जाम की समस्या से निपटा नहीं जा सकता। पुल के कई बार टेण्डर हो चुके है लेकिन बार बार निरस्त हो जाते हैं। जिससे कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बार-बार निरस्त हो जाते हैं। जिससे कार्य को आगे नही बढ़ाया जा सकता हैं। और न ही इस ओर कोई कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

उक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 06 मई, 2012 को घोषणा करी गई थी लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई है। इस बारे में अवगत कराने का कष्ट करें।

विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत श्यामपुर ए0बी0सी0 में पुनर्वासित परिवारों के बच्चों हेतु विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल-

मान्यवर, टिहरी बाँध परियोजना के अन्तर्गत टिहरी डूब क्षेत्र के पात्र विस्थापितों को पुनर्वास सम्बन्धित विभाग द्वारा श्यामपुर भाग ए. बी. सी में पिछले 12 वर्ष पूर्व लगभग 600 परिवारों को पुनर्वासित किया गया था। विस्थापित करते समय उन्हें आश्वासन दिया

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया था कि सभी मूलभूत सुविधाएं पुनर्वास नीति व मूल गाँव के अनुसार उपलब्ध होगी किन्तु 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप उक्त स्थान पर अभी तक बच्चों की शिक्षा हेतु कोई राजकीय विद्यालय नहीं बनाया गया।

स्थानीय ग्रामीण दिनांक 10-09-2014 से इस माँग को लेकर निरन्तर धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चो का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

विधान सभा डीडीहाट अन्तर्गत प्रा0पा0 बॉकू के भवन की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल-

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट के अन्तर्गत प्रा0पा0 बॉकू के भवन की दीवार व छत जीर्ण-शीर्ण हालत में है, विद्यालय में छात्र-छात्राएं खुले मैदान में बैठते हैं, विद्यालय के भवन को लेकर ग्राम पंचायत की जनता द्वारा शिक्षा विभाग को कई बार लिखित रूप में माँग की गई है, इस पर आज तक कोई भी कार्यवाही न होने से जनता से बड़ा रोष है, जो कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन से शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर, ग्राम तिलकपुरी तथा अन्य लगभग 20 ग्रामों की हाथियों से सुरक्षा करने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यतीश्वरानन्द-

मान्यवर, मेरी विधान सभा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में हाथियों द्वारा हर रोज पचास सौ बीघा किसानो की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है, यह आक्रोश कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर एवं तीरथ सिंह रावत को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत श्री अजय भट्ट एवं अन्य माननीय सदस्य तथा श्री राजकुमार ठुकराल की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं दोनों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन" (प्रतिवेदन संख्या–1)" तथा (प्रतिवेदन संख्या–2)"

वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन" एवं 31 मार्च, 2013को समाप्त वर्ष के लिये "भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–1)" तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–2)" को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे एव विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुडरिच तथा ग्राम पंचायत एटनबाग के ग्राम अदियाबाग की भूमि वर्ग–6 की भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुडरिच तथा ग्राम पंचायत एटनबाग के ग्राम अदियाबाग की भूमि वर्ग–6 की भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह प्रकाशी, निवासी ग्राम पंचायत जमनीपुर, ग्राम गुडरिच, पो0 विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाड़वाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाड़वाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री क्षेपद,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी ग्राम पंचायत बाढ़वाला, पो0 अशोक आश्रम, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठौली–भूड़ में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून की विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठौली–भूड़, के पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम ठौली–भूड़ पो0 सांधा, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मदर्सू में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून की विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मदर्सू में पक्के शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गुन्नू निवासी ग्राम पंचायत मदर्सू, पो0 मदर्सू तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भलेर में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून की विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भलेर में पक्के शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मीजान सिंह, निवासी ग्राम पंचायत भलेर, पो0 मदर्सू तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–15 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–15 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री जोगेन्द सिंह, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–15, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–14 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–14 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती बानो, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–14, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–13 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–13 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती कविता देवी, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–13, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–12 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–12 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती अनिता देवी, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–10, पो0 आम्बाडी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–11 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–11 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नरेश दत्त बिजल्वाण, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–11, पो0 आम्बाडी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–10 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–10 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सकील, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–10, पो0 आम्बाडी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–09 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–09 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" मौ0 हासिम, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–09, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–07 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–07 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जैनब, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–07, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–08 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड नं0–08 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनवर, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड नं–08, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम-65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की एक सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की एक सूचना माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला द्वारा दी गई है जो गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 04 वर्षों से स्थाई कुलपति के बगैर अराजकता की स्थिति चल रही है, के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है-

नवम्बर, 2014

27 गुरूवार

1. विधायी कार्य-

(1) गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(4) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

2. नियम-105 के प्रस्तुतीकरण पर विचार-

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा- (30 मिनट)

"राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।"

3. नियम–54 की सूचना–

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा– (30 मिनट)

"प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग–अलग बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग–अलग सूची से भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहे है। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हो।"

2. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा– (30 मिनट)

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियाँ बसी हुई हैं जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण–पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय इकाईयाँ अस्थाई, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियाँ नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुई हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुँचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में उनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।

विनियमितीकरण की प्रक्रिया से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से संसाधन तथा राजस्व स्वयमेव उत्पन्न होंगे। देश के अन्य राज्यों में ऐसी नीतियाँ निर्धारित की जा चुकी हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान एवं श्री चन्द्रशेखर, श्री मालचन्द, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री अजय भट्ट, श्री गणेश जोशी, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द, श्री हरभजन सिंह चीमा एवं श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री आदेश चौहान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री यतीश्वरानन्द, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री अजय भट्ट, श्री चन्द्रशेखर, श्री मदन कौशिक, श्री संजय गुप्ता एवं श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री महावीर सिंह रांगड़ की कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान एवं श्री चन्द्रशेखर, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर तथा श्री पुष्कर सिंह धामी, की सूचनाओं को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान एवं श्री चन्द्रशेखर, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री सहदेव सिं पुण्डीर तथा श्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पुकारे जाने पर किसी भी माननीय सदस्य ने ग्राह्यता पर अपनी बात नहीं रखी।)

('वेल' में खड़े भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यगणों के अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने पर घोर व्यवधान)

उत्तराखण्ड मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रतिपक्ष के कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0 314 संसदीय वर्ष 2014)

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत "मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाईटी, रूड़की द्वारा प्रायोजित मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अभिप्रेत है;

(ग) "व्यवस्थापक मण्डल" से विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;

(घ) "प्रबन्ध मण्डल" से विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है;

(ङ) "पाठ्यक्रम मण्डल" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षा मण्डल" से विश्वविद्यालय की परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है;

(छ) "कुलाधिपति", 'प्रतिकुलाधिपति', 'कुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से क्रमानुसार से विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति',प्रतिकुलाधिपति', 'कुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है;

(ज) "परिसर" से विश्वविद्यालय के परिसर अभिप्रेत है;

(झ) "संघटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "कैरियर एकेडमी सैण्टर" से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इण्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

(ट) "परिसर के निदेशक" या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य/डीन से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहाँ प्राचार्य/डीन नहीं है, उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य/डीन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ठ) "दूरस्थ शिक्षा पद्धति" से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इण्टरनेट पर ऑनलाईन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इण्टरनेट कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

(ड) "जमा राशि" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिए गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि वापसी योग्य है;

(ड) "संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ण) "विभाग" से विश्वविद्यालय के विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है जिसमें एक या एक से अधिक विषयों के अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;

(त) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(थ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(द) "संकाय" से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;

(ध) "शुल्क" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गये ऐसे राशि अभिप्रेत है जोकि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है,

(न) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(प) "हाल अथवा छात्रावास" से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;

(फ) "मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ग्राम करौंदी, पोस्ट भगवानपुर, रुड़की में अवस्थित है;

(ब) "प्रायोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाइटी अभिप्रेत है;

(भ) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) "स्थायी निवासी" से राज्य के ऐसे निवासी अभिप्रेत हैं जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हो;

(य) "क्षेत्रीय केन्द्र" से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया हो;

(र) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ल) "परिनियम, नियम और अध्यादेश" से विश्वविद्यालय के 'परिनियम', नियम और अध्यादेश, अभिप्रेत है;

(व) "अध्ययन केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;

(श) "अध्यापक" से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है;

(ष) "यू0जी0सी0" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(स) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित मदरहुड विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ह) "निकाय" से विश्वविद्यालय का नियम अभिप्रेत है;

(क्ष) "कुलाध्यक्ष" (विजिटर) से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाइटी, रुड़की को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मदरहुड विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) प्रायोजित संस्था द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये :—

(क) प्रायोजित संस्था के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, प्रारम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे भवन, उपस्कर तथ संरचनात्मक सुख सुविधाएं;

(च) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूट की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्योरा;

(ट) प्रायोजित संस्था में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;

(ठ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की चयन पद्धति; तथा

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति राज्य सरका द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जाँच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी शर्तें और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है और उसे 'मदरहुड विश्वविद्यालय' ज्ञात नाम से उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय, 'मदरहुड विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रुड़की, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय सीमा नहीं होगी।

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिये, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग रुड़की क्षेत्र जनपद हरिद्वार में ही स्थापित कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियाँ, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं यू०जी०सी० एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप होगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्व. वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मॉंग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा। हालांकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना 6. राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य 7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं :–

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य शाखाओं, जैसे की विश्वविद्यालय उचित समझे,में अध्ययन, अध्यापन, परीक्षण एवं शोध कार्यों को प्रदान करना एवं व्यवस्था करना;

(ख) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों आदि में परिसर एवं संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री एवं पी०एच०डी० डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गया हो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा;

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के अनवरत शिक्षा के अधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना;

(घ) परीक्षा केन्द्रों को स्थापित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र व अन्य शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षाओं अथवा अन्य प्रणाली के आधार पर प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियाँ, अधिवेशन, कार्यशिविर, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना;

(ज) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;

(झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राव्धान एवं नियमों के अन्तर्गत ऑफ-शोर कैम्पस की स्थापना करना;

(ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

6. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात्:-

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परीक्षा एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :-

(1) विश्वविद्यालय या इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; अथवा

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(च) ऐसी फीस, जमा बिल, बीजक की माँग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) ऐसी क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय–समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके परिसर या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सैन्टर्स में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) प्रायोजित संस्था की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैन्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियाँ सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना;

(ट) विश्वविद्यालय के परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए/छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ठ) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांकको और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(थ) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा,

सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;

(न) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ, आयोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होगी;

(प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, डी0वी0डी0 और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अथवा आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;

(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(भ) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;

(म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभव ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हों या न हों;

(य) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैन्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है;

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

(ग) प्रति-कुलाधिपति;

(घ) कुलपति;

(ङ) प्रति-कुलाधिपति;

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायाध्यक्ष;

(ज) वित्त अधिकारी, और

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष (विजिटर) 12. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियम के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(ग) मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।

कुलाधिपति 13. (1) प्रायोजित संस्था अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उनके के द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

प्रतिकुलाधिपति

14. (1) प्रायोजित संस्था अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उसके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को प्रति–कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) प्रति–कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

कुलपति

15. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित एक सदस्य जो कि संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे व्यवस्थापक मण्डल को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम

द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के उपरान्त, व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।

प्रति-कुलपति

16. प्रति-कुलपति की नियुक्त कुलाधिपधि द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जायें।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर आदेशित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

संकायाध्यक्ष 18. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे किसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी 19. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी गण 20. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 21. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों के प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियाँ 22. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष (यदि हो तो) को प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी सदस्य को नामित किया जाएगा।

(ख) कुलाधिपति – उपाध्यक्ष

(ग) कुलपति – सदस्य सचिव

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित – दो शिक्षाविद

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित – पाँच सदस्य

(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों – दो सदस्य
के अधिकारियों में से प्रायोजित
संस्था द्वारा नामित

(ज) प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के – दो सदस्य
के नामित अधिकारियों में से
प्रायोजित संस्था द्वारा नामित

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम व परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, का पुनर्विलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, और

(झ) विश्वविद्यालय के सभी खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

23. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) प्रति–कुलपति (यदि हैं तो)

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी,

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पाँच सदस्य;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव/सचिव;

(ज) कुलसचिव गैर–सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

विद्या परिषद्

24. (1) विद्या परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) कुल सचिव – सचिव;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों व परिनियमों के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अन्य प्राधिकरण

26. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

27. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–पाँच

परिनियम और नियम

परिनियम

28. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ व कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रक्रिया;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों से सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया,जिसमें उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क;

(ठ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना;

(ड) पदों का सृजन और समापन करना;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;

(ण) अन्य मामले, जो विहित किये जाएं।

(त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

29. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

30. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

31. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है; अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिये लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु;

(झ) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिए शुल्क व जमा राशि लिया जाने हेतु;

(ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाए।

नियम कैसे बनाये जायेंगे

32. (1) नियम व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधन करने की शक्ति

33. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय–छ

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

34. (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती हैं।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदों हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

35. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये या अन्यथा विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार

36. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडेमिक सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेन्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है पुष्टि, रुपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधि एवं पेंशन

37. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किये जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद समितियों का गठन

38. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

39. धारा–20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए प्रतिरक्षण

41. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो अध्यादेशों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

42. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी :-

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति-कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि 43. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि 44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि 45. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियाँ जमा की जायेंगी; अर्थात् :-

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिया किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण 46. धारा 43, 44 और 45 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन 47. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(2) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा 48 (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टैंट्स ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हों।

(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

49. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से विधिवत रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाये और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

50. (1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा मदरसुद्ध विश्वविद्यालय के गठन और नियमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिसका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये जाये; परन्तु यह कि उसके लिए प्रायोजित संस्था को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

51. (1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

52. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रतिपक्ष के कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या 339 वर्ष 2014)

विधेयक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए; भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 होगा।

(2) यह तुरन्त लागू होगा।

मूल अधिनियम में संशोधन

2\. (5) मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त यथाविद्यमान) में जहाँ–जहाँ शब्द उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आये हैं, वहाँ–वहाँ शब्द "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम के धारा 2–कक का अन्तःस्थापन

3\. (6) मूल अधिनियम की धारा 2–क के पश्चात् एक नई धारा (2–कक) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी :–

(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक को अधिनियम की धारा 6–क के अनुसूची में उल्लिखित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विषयों से सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध समझे जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय की सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों/संस्थाओं के लिए परिनियम ऐसे होंगे जैसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन विहित किया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस विधेयक पर श्री गणेश गोदियाल, मा0 सदस्य से संशोधन प्राप्त हुआ है, क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "मूल अधिनियम के धारा–14 का अन्तःस्थापन" निम्नवत् कर दिया जाय :–

"मूल अधिनियम की धारा–14 में संशोधन करते हुए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव की नियुक्ति एवं कार्यदायित्वों का निम्न उपबन्धों के अन्तर्गत विहित की जाती है।

(1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानान्तर्गत की जायेगी।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद्, शैक्षिक परिषद्, प्रवेश समिति, विश्वविद्यालय की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का नियुक्त प्राधिकारी होगा।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकारी होगा। जो कि परिनियमावली में विहित की जायेगी।

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कुलसचिव विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षण के संचालन एवं समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जैसा विहित किया जाय, उत्तरादायी होगा," को जोड़ दिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के अन्त में श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधित खण्ड–4 (1) से 4 (6) जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मूल अधिनियम की धारा 6-क की अनुसूची के अन्तर्गत अभिवृद्धि

4. (5) मूल अधिनियम की धारा 6–क के अन्तर्गत अनुसूची में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल) हेतु आवंटित विषयों में निम्नवत् अभिवृद्धि कर दी जाएगी; अर्थात् –

(3) कृषि विज्ञान,

(4) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान,

(5) मत्स्य विज्ञान,

(6) खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,

(7) औषधि एवं सगन्ध पादप विज्ञान,

(8) इको–टूरिज्म,

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक यथासंशोधित इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014, यथासंशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014, यथासंशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रतिपक्ष के कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–15, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..........वर्ष 2014

(भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों के विनियम के लिए–

विधेयक

'भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो'

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गैरसैंण विकास परिषद् अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण तथा जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया क्षेत्र में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से या अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "परिषद" से धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् अभिप्रेत है,

(ख) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(घ) "अध्यक्ष" से गैरसैंण विकास परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत उसके सदस्य भी हैं।

(ङ) "सह–अध्यक्ष" से गैरसैंण विकास परिषद् का सह–अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(च) "वित्तीय वर्ष" से माह अप्रैल की पहली तारीख से प्रारम्भ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष अभिप्रेत है,

(छ) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है।

(ज) "अवस्थापना विकास" से अवस्थापना विकास से सम्बन्धित समस्त योजनायें तथा सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाएं एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था हेतु योजना एवं क्रियान्वयन अभिप्रेत हैं।

अध्याय–दो

परिषद् के कृत्य

3\. परिषद् निम्न कार्यों का निर्वहन करेगी–

(1) गैरसैंण एवं चौखुटिया विकास खण्ड में अवस्थापना विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन करना।

(2) परिषद् क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए मास्टर/जोनल प्लान लागू कराना।

(3) परिषद् क्षेत्र के विकास हेतु यथा आवश्यक विभिन्न प्रकार की नई योजनायें तैयार कर सुनियोजित रीति से समेकित विकास सुनिश्चित करना।

(4) परिषद् क्षेत्र में जन समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्य योजना तैयार कर संस्तुति सहित शासन को संदर्भित करेगी।

(5) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को विकास क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी।

(6) परिषद् क्षेत्र में सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। विकास योजनाओं में जल संसाधन, भू-उपयोग, कृषि विकास, क्षेत्र का विकास और अन्य सम्बन्धित विषय सम्मिलित होंगे।

(7) परिषद् क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न निधियों से प्राप्त धनराशि के समुचित उपयोग किये जाने की समीक्षा करेगी।

(8) परिषद् क्षेत्र की लोक शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रभावी निस्तारण तन्त्र की व्यवस्था।

(9) राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत क्रियान्वयन हेतु नीति बनाना।

(10) परिषद् क्षेत्र में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को चिन्हित करते हुए उक्त भूमि को प्राप्त किये जाने एवं उस पर आवासीय/व्यावसायिक एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

(11) परिषद् क्षेत्र में यातायात, परिवहन तथा प्रदूषण सम्बन्धी समस्याओं को नियंत्रित रखने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

(12) परिषद् क्षेत्र में स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु विकास योजनाओं का परिकल्पन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(13) पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा चारे के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों की प्रजातियों का रोपण जिससे भूमि संरक्षण तथा जल सम्भरण सुनिश्चित हो सकें।

(14) परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से, जिन्हें परिषद् द्वारा वांछनीय समझा जाए, शासन की पूर्वानुमति से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान एवं रियायतें प्राप्त करना तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना और ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना।

(15) स्थानीय रोजगारोन्मुख योजनाओं जिनमें स्थानीय/खेती/उत्पादन एवं कुटीर उद्योग सम्मिलित हैं का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(16) ऐसी अन्य विकासोन्मुख योजनाएं, जो परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत समेकित विकास के लिए आवश्यक हो, का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(17) गैरसैंण विकास परिषद् द्वारा मात्र अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जायेंगे तथा इसमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है तथा उपरोक्त स्थानीय निकायों द्वारा जो कार्य सम्पादित किये जायेंगे उसमें गैरसैंण विकास परिषद् का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

अध्याय–तीन

परिषद् का गठन 4. परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा अन्य शर्तें–

(1) जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण तथा जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सुनियोजित विकास हेतु गैरसैंण विकास परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् स्थापित होगी।

(2) परिषद् का मुख्यालय जनपद चमोली के गैरसैंण में होगा।

परिषद् का अध्यक्ष/सदस्य 5. (1) परिषद् निम्नलिखित से गठित होगी:–

(क) अध्यक्ष, विधान सभा अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति–अध्यक्ष परन्तु यह कि अध्यक्ष, विधान सभा उपाध्यक्ष, विधान सभा को अथवा विधान सभा के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन के लिए अपनी शक्तियां प्रतिनिधानित कर सकेंगे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति–सह–अध्यक्ष

(ग) स्थानीय विधायक–सदस्य

(घ) वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा वित्त विभाग का अपर सचिव–पदेन सदस्य

(ङ) लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा लोक निर्माण विभाग का अपर सचिव–पदेन सदस्य

(च) पेयजल विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा पेयजल विभाग का अपर सचिव–पदेन सदस्य

(छ) ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा ऊर्जा विभाग का अपर सचिव–पदेन सदस्य

(ज) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा सिंचाई विभाग का अपर सचिव–पदेन सदस्य

(झ) आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा आवास विभाग का अपर सचिव–पदेन सदस्य

(ञ) जिलाधिकारी, चमोली–पदेन सदस्य

(ट) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य/वरिष्ठ नगर नियोजक–पदेन सदस्य

(ठ) अध्यक्ष,नगर पंचायत गैरसैंण–सदस्य

(ड) प्रमुख, विकास खण्ड चौखुटिया–सदस्य

(ण) शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट दस महानुभाव जिन्हें नियोजन, वित्त तथा लेखा, लोक प्रशासन, समाज सेवा शिक्षा, विधि, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, नगर नियोजन, वानिकी, लोक निर्माण, रोजगार, पर्यावरण अथवा लोक समस्या निवारण के क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो–सदस्य

(त) मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सदस्य सचिव।

सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

6. (1) पदेन सदस्यों को छोड़कर परिषद् के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। जबकि स्थानीय विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं विकास खण्डों के प्रमुख का कार्यकाल, उनके इन पदों पर रहने तक होगा।

(2) यदि अध्यक्ष/सह–अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्य परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग–पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा त्याग–पत्र स्वीकार हो जाने की तिथि से उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी।

(3) परिषद् के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को वे सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी जो राज्य सरकार विहित करे। पदेन सदस्य के रूप में कार्यरत सदस्यों को अलग से सुविधा नहीं दी जायेगी।

अध्याय–चार

विविध

परिषद् के अधिकारी एवं उनके दायित्व

7. (1) परिषद् के सदस्य सचिव परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे जो वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी होंगे। परिषद् की ओर से निधियों के आहरण तथा वितरण का अधिकार मुख्य कार्यकारी में निहित होगा।

(2) वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा वित्त सेवा के अधिकारियों में से नियुक्त किया जायेगा।

(3) वित्त अधिकारी परिषद् के वित्तीय अनुशासन एवं अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार किसी सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी।

(5) परिषद् के सुगम कार्य संचालन हेतु शासन की अनुमति से आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसी शक्तियों, कृत्यों तथा सेवा की ऐसी शर्तों के साथ होगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जायेगा।

परन्तु यह कि जब तक परिषद् के संगठनात्मक ढांचे हेतु पदों का सृजन, अर्हताओं के निर्धारण आदि सम्बन्धी समस्त कार्यवाही अधिकारी होंगे तथा अध्यक्ष के अनुमोदन पर उनके द्वारा तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी परिषद् के कार्यों हेतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

अध्याय–पाँच

परिषद् की बैठकें गणपूर्ति एवं सदस्यों का हटाया जाना

8. (1) परिषद् की वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होंगी।

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुमति से जब भी आवश्यक हो, बैठक आहूत की जा सकेगी।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता सह–अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(3) परिषद् की बैठक के लिए परिषद् के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी।

(4) बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिये जायेंगे, किन्तु सर्वसम्मति न होने की दशा में बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, परन्तु यह कि अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा।

(5) परिषद् की बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा ऐसे स्थान, तिथि तथा समय पर बुलाई जायेगी जैसा कि अध्यक्ष नियत करें।

(6) परिषद् की वार्षिक सामान्य बैठक में पूर्ववर्ती वर्ष में परिषद् द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं भावी कार्ययोजना निर्धारित की जायेगी।

(7) परिषद् विस्तार क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, विस्तारीकरण अथवा यथा आवश्यकता अन्य रूपान्तरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी। तकनीकी स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करनी होगी।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् का कार्य इस प्रकार तथा ऐसी प्रक्रियानुसार संचालित किया जायेगा जो परिषद् विनियम द्वारा निर्धारित करें।

(9) (एक) परिषद् के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा इनका मनोनयन समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा एवं राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(दो) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि परिषद्–

अपने कार्यों के निष्पादन में अक्षम है अथवा बार-बार इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे दिये गये दायित्वों के निर्वहन में असफल रहती है अथवा अपनी शक्तियों का अतिक्रमण अथवा दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार राजपत्र सम्यक् रूप से में अधिसूचना प्रकाशित कर आदेश द्वारा परिषद् को भंग अथवा पुनर्गठित कर सकती है। परिषद् के भंग होने पर परिषद् के समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु राज्य सरकार स्वतंत्र होगी। परिषद् की समस्त सम्पत्तियाँ राज्य सरकार में निहित होंगी।

अध्याय–छः

वित्त और लेखे

सामान्य निधि 9. (1) परिषद् के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें–

(2) ऐसी शर्तों पर, जैसी अधिरोपित की जाय राज्य सरकार से प्राप्त संकल्प अथवा अनुदान,

(3) केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से प्राप्त आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति अथवा अनुदान द्वारा जमा की जायेगी।

(4) परिषद् के पास कई अन्य ऐसी निधियाँ होंगी जैसा सरकार द्वारा निहित किया जाये।

(5) परिषद् की निधि के संचालन हेतु समस्त वित्तीय अधिकार परिषद् में निहित होंगे।

वित्तीय आंकलन 10. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद् के वित्तीय वर्ष का वित्तीय आंकलन ऐसी रीति से तैयार कर, जैसा विहित किया जाये, परिषद् की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। वह परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय आंकलन सरकार को आय–व्ययक व्यवस्था के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) सरकार वित्तीय आंकलन ऐसे उपान्तरण के साथ अनुमोदित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे और ऐसा कोई व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय आंकलन के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा 11. (1) परिषद् के वार्षिक लेखे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशन के अधीन तैयार किये जायेंगे और उस की एक प्रति सरकार को भेजी जायेगी।

(2) परिषद् के लेखे की सम्परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों से करायेगी जो परिषद् अथवा शासन द्वारा निर्धारित हो।

(3) राज्य सरकार जब कभी आवश्यक समझे, समय–समय पर परिषद् को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता/अनुदान के व्यय उपरान्त परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों, जैसा वह नियत करे, करा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति — 12. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति — 13. परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों से असंगत न हों।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण — 14. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अभियोजन या अन्य विहित कार्यवाही परिषद् के किसी प्राधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति — 15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को जिसे वह निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा आदेश कर सकती है।

(2) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश इसके प्रकाशन के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–15, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014

नियोजन एवं औद्योगिक विकास विभाग मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या........वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् के गठन और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "परिषद्" से धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य खनिज परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(ङ) "विधान सभा" से उत्तराखण्ड की विधान सभा अभिप्रेत है।

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् का गठन तथा उसका क्षेत्राधिकार

3. (1) राज्य सरकार उपधारा (2) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् (जिसे यहाँ आगे परिषद् कहा गया है) प्रात नाम से स्थापित कर सकेगी।

(2) परिषद् का क्षेत्राधिकार ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद् का अध्यक्ष एवं सदस्य

4\. (1) राज्य सरकार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार परिषद् में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी–

(क) अवस्थापना विकास आयुक्त–पदेन सदस्य

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, खनन–पदेन सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व–पदेन सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण–पदेन सदस्य

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन–पदेन सदस्य

(च) प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम–पदेन सदस्य

(छ) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म–सदस्य सचिव,

परन्तु यह कि राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, नियुक्ति कर सकेगी।

(3) परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विधान सभा सदस्य के रूप में उसकी कार्यावधि की तारीख तक होगा।

(4) परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद् की बैठकें, गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन

5\. (1) परिषद् की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें होगी और परिषद् का अध्यक्ष देहरादून में बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत होंगे।

परन्तु यह कि परिषद् का अध्यक्ष आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य स्थानों पर भी बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(2) परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन ऐसा होगा, जैसा नियमों में विहित किया जाय।

(3) परिषद् की बैठकों के आयोजन का नोटिस तथा उसका कार्यवृत्त सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायेगा।

परिषद् के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन एवं भत्ते — 6. परिषद् के सदस्यों के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद् के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को हटाया जाना — 7. राज्य सरकार परिषद् के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय, से उनके पदों से हटा सकेगी।

परिषद् के आय-व्ययक तथा अन्य लेखों का रखा जाना तथा उनकी लेखापरीक्षा — 8. परिषद् के आय-व्ययक एवं लेखों का रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा की रीति ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

नियम बनाने की शक्ति — 9. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति — 10. (1) उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या 04 वर्ष 2014) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मद संख्या–39

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014

नियोजन एवं औद्योगिक विकास विभाग मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या 27 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् के गठन और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "परिषद्" से धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(ङ) "विधान सभा" से उत्तराखण्ड की विधान सभा अभिप्रेत है।

राज्य अवस्थापना विकास परिषद् का गठन तथा उसका क्षेत्राधिकार

3. (1) राज्य सरकार उपधारा (2) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् (जिसे यहाँ आगे परिषद् कहा गया है) ज्ञात नाम से स्थापित कर सकेगी।

(2) परिषद् का क्षेत्राधिकार ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य

4. (1) राज्य सरकार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परिषद् का अध्यक्ष तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार परिषद् में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी–

(क) अवस्थापना विकास आयुक्त–सदस्य–सचिव

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त–पदेन सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन–पदेन सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं न्याय–पदेन सदस्य

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण–पदेन सदस्य

परन्तु यह कि राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, नियुक्ति कर सकेगी।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त उपधारा (2) में उल्लिखित सदस्यों के इतर विषयों के लिए सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग कर सकेंगे।

(3) परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विधान सभा सदस्य के रूप में उसकी कार्यावधि की तारीख तक होगा।

(4) परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद् की बैठक, गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन

5. (1) परिषद् की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें होंगी और परिषद् का अध्यक्ष देहरादून में बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत होंगे।

परन्तु यह कि परिषद् का अध्यक्ष आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य स्थानों पर भी बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(2) परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन ऐसा होगा, जैसा नियमों में विहित किया जाय।

(3) परिषद् की बैठकों के आयोजन का नोटिस तथा उसका कार्यवृत्त सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायेगा।

परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन एवं भत्ते	6.	परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।
परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को हटाया जाना	7.	राज्य सराकर परिषद् के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय, वो उनके पदों से हटा सकेगी।
परिषद् के आय-व्ययक तथा अन्य लेखों का रखा जाना तथा उनकी लेखापरीक्षा	8.	परिषद् के आय-व्ययक एवं लेखों का रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा की रीति ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।
नियम बनाने की शक्ति	9.	(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी।
		(2) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।
निरसन एवं व्यावृत्ति	10.	(1) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या 05 वर्ष 2014) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
		(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1 प्रस्तावना शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में उपखनिज का चुगान कितने सालों से न किये जाने एवं इसके कारण नदी का जलस्तर तटबन्ध के बराबर हो जाने से ढालवाला एवं मुनी–की–रेती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–82 के सम्बन्ध में श्री सुबोध उनियाल, सदस्य, विधान सभा की नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी का नाम पुकारे जाने पर वे "वेल" से अपने स्थान पर आ गये।)

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाये।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं के लाभ हेतु विभागों की अलग–अलग बी०पी०एल० परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य किये जाने विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग–अलग बी०पी०एल० सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग–अलग सूची से भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहे हैं। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी०पी०एल० परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हो।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियाँ बसी हुई हैं जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

*श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियाँ बसी हुई हैं जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण–पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं। ये आवासीय ईकाईयाँ अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियाँ नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुई हैं। कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है,

*वक्ता ने भाषण अंश का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है। इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी हैं, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है। इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुँचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्तीवासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाये।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

[आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री मालचन्द, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री हरबंस कपूर, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री संजय गुप्ता, श्री नवप्रभात, श्री विशन सिंह चुफाल, डा0 प्रेम सिंह राना तथा श्री यतीश्वरानन्द की कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना जो जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित रूद्रपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज व आई0टी0आई0 प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर की सूचना को जनपद देहरादून स्थित बिन्दाल एवं रिस्पना नदियों में सीधा सीवर का पानी डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत पट्टी सकलाना में 15 अगस्त, 2014 को आई भीषण आपदा से विभिन्न ग्रामों की विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद टिहरी गढ़वाल में तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत पट्टी सकलाना में दिनांक 15 अगस्त, 2014 को आयी भीषण आपदा से ग्राम सान्दणा, चिफल्टी, रगड़गाँव,

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

कोटी, पुरसालगाँव, सेरा, ऐरलगाँव, ग्वालीकांडा, कांडा, पसनी, तौलियाकाटल, हटवालगाँव, ल्वारखा, सीतापुर, रिगांलगढ़, मरोड़ा, विमली, आनचौक, कुण्डखाल, हवेली, बदेलीगाड, मंजगाँव, कुण्डी, बडियाँ, बस्तोटिया, थलाईगढ़, जोरागढ़, घुल्लु एवं पौलागिरी में विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई थी, पुरसालगाँव, सेरा, पसनी, ऐरलगाँव इत्यादि के 11 के0वी0 लाईन एवं एल0टी0 लाईन के पोल एवं लाईन बह गई थी एवं क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इन सभी ग्रामों में नये पोल एवं नये ट्रान्सफार्मर लगा कर विद्युत आपूर्ति दिनांक 03–01–2014 को सुचारू कर दी गई थी। पट्टी सकलाना के उपरोक्त क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु कारपोरेशन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।]

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ऐतिहासिक प्रसिद्ध गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब एवं नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[वर्ष 2006–07 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रीठा साहिब एवं नानकमत्ता सर्किट के समेकित विकास हेतु रु0 466.59 लाख की धनराशि स्वीकृत करवाते हुए विभिन्न वर्षों में इतनी ही धनराशि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को अवमुक्त की गई है। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा नानकमत्ता साहिब एवं रीठा साहिब गुरूद्वारा कैम्पस में जन सुविधायें, म्यूजिकल फाउन्टेन, पेयजल, विद्युतीकरण, घाट, सम्पर्क मार्ग, गेट, गारबेज निस्तारण सम्बन्धी कार्य, साइनेज स्थल विकास, पार्किंग, जनरेटर, पैदल पथ, गुरूद्वारे के पास गदरफाल का सौन्दर्यीकरण, रीठा साहिब में शीलादेवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण आदि कार्य किये जा चुके हैं। नानकमत्ता में फुटपाथ एवं डिवाईडर, गुरूद्वारा नानकमत्ता के मुख्य द्वार का निर्माण उक्त सर्किट के अन्तर्गत किया गया है।

वर्ष 2006–07 में ही पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार के सहयोग से नानकमत्ता (ऊधमसिंह नगर) को पर्यटन ग्राम घोषित करते हुए उक्त स्थल पर हार्डवेयर (निर्माण सम्बन्धी कार्य) के अन्तर्गत रु0 48.82 लाख तथा सापटवेयर (प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य) के अन्तर्गत रु0 20.00 लाख के कार्य करवाये गये हैं।

नानकमत्ता के पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन सर्किट से जोड़े जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2013 में एक घोषणा की गयी है उक्त घोषणा के क्रम में नानकमत्ता में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु मोटर बोट एवं अन्य उपकरणों के भण्डारण हेतु यार्ड, स्टैण्ड शेड का निर्माण, वाटर स्पोर्ट्स उपकरणों के अन्तर्गत क्याकिंग कैनोइंग, पावर बोट, वाटर स्कूटर जैट बोट एवं वाटर स्कीइंग,

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

एड्वेंचर पार्क का निर्माण तथा पेन्टिंग रूम डायनिंग हॉल, मेस, 50 व्यक्तियों हेतु हॉस्टल एवं कान्फ्रेंस हॉल के कार्यों के प्रस्ताव है। नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नानकमत्ता के जलाशय सिंचाई विभाग रूहेलखण्ड डिवीजन बरेली उ0प्र0 के स्वामित्व में है जिन्हें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड से भूमि पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित करवायी जानी होगी। तद्नुसार कार्यवाही कराई जायेगी।]

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी,मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय है।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय है,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, जगदीश चन्द्र,

दिनांक 27 नवम्बर, 2014 सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न–01 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–03–04 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्रीमती विजय बड़थ्वाल, मा0 सदस्या विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–*01 का संलग्नक:–

(धनराशि ₹ लाख में)

स्वीकृत योजना

क्रमांक	योजना का नाम	अनु0 लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1.	सरुटी तलगाँव	27.99	27.99
2.	बंजकोट	24.79	24.79
3.	चौरा	32.79	32.79
4.	डुगलीकोट	16.81.	16.81
5.	धीनरिया	37.80	37.80
6.	अंताखोली	32.79	32.79
7.	ढहोली मल्ली	48.89	48.79
8.	डुंक	53.70	53.70
9.	सगोरी	5.25	5.25
10.	खारीढ	9.28	9.28
11.	रिकसाल	66.37	66.37
12.	धारा गवाड़	14.13	14.13
13.	सेली मल्ली	48.84	48.84
14.	बुज खेत	9.26	9.26
15.	महादेव सेणा जे0एस0	3.87	3.87
16.	सकनी छोटी पे0यो0	6.84	6.84
17.	टंगरोल एन0वी0एस0 पे0यो0	8.45	2.90
18.	मुण्डेश्वर ग्रा0स0 पं0पे0यो0	49.84	49.84
19.	टंगरोली पे0यो0	67.75	67.19

1	2	3	4
20.	जसपुर कोटला पे०यो०	2.28	1.70
21.	ग्रामीण ढिग्गी	49.58	49.58
22.	डांडा नागराजा पं०पे०यो०	262.96	103.17
23.	डांडा नागराज पं०पे०यो०	2263.67	612.87
24.	कोट ब्लाक में आर०सी०सी० निर्माण	49.96	20.00
25.	जाख पे०यो०	25.11	25.11
26.	6 पम्पिंग पे०यो०	158.53	158.53
27.	मण्डाखाल	63.64	38.99
28.	खाल्यूधार पे०यो०	15.14	15.14
29.	सिन्धी पुर्न० पे०यो०	35.03	35.03
30.	इसोटी पे०यो०	50.56	50.26
31.	बैंग्णा चिलखेत पे०यो०	44.79	44.67
32.	गैंद (ह०ब०) पे०यो०	0.42	0.31
33.	गैंद पे०यो०	1.40	1.05
34.	ग्वालगाँव पे०यो०	7.00	5.25
35.	सीन पे०यो०	0.50	0.37
36.	कोटसरा पे०यो०	1.05	0.78
37.	गुठेडा पे०यो०	3.10	2.32
38.	मडीधार पे०यो०	1.58	1.18
39.	डलगोटा पे०यो०	2.10	1.57
40.	सांगी थनूल पे०यो०	3.20	2.40
41.	नवासी पे०यो०	1.45	1.08
42.	रिखोली पे०यो०	2.25	1.68
43.	तोली पे०यो०	1.65	1.23
44.	बमणी पे०यो०	6.00	4.5
45.	बिटेन गाडी पे०यो०	6.00	6.00
46.	बुडाकोट पे०यो०	1.30	0.97
47.	चन्दमल्ला पे०यो०	11.00	8.25

1	2	3	4
48.	छवाड़ पे0यो0	3.71	2.78
49.	कन्धारा पे0यो0	8.80	6.60
50.	कुकड़ पे0यो0	13.00	9.75
51.	रानी पे0यो0	1.90	1.42
52.	थानी पे0यो0	6.50	4.87
53.	थपलियालगाँव पे0यो0	4.30	3.22
54.	छरेगी पे0यो0	7.30	5.47
55.	डोबला मल्ला पे0यो0	5.20	2.80
56.	डेंगनू पे0यो0	5.00	0.00
57.	गोदी पे0यो0	12.20	0.00
58.	डिकवालगाँव ग्रा0स0पं0 पे0यो0	2757.69	252.25
59.	देगुनू पे0यो0	4.48	—
60.	डोबलानल्ला पे0यो0	5.20	2.60
61.	खम्बूली पे0यो0	3.59	1.80
62.	ऋषि–झंगरबोन पे0यो0 जोन–1 एवं जोन–2	8.21	4.10
63.	बकियार पे0यो0	1.58	1.18
64.	डूंगली आगड़वाली पे0यो0	1.15	0.86
65.	डूंगली पे0यो0	2.70	2.00
66.	जी0पी0एस0 ग्वाड़ उत्तरासू पे0यो0	1.98	1.48
67.	गैण्ड (हरि0क0) पे0यो0	0.42	0.31
68.	गैण्ड पे0यो0	1.05	1.05
69.	काण्डा (शान्तिनगर) पे0यो0	1.30	0.97
70.	काण्डा पे0यो0	1.46	1.08
71.	कोटेश्वर पे0यो0	1.05	0.78
72.	बलूड़ा पे0यो0	2.05	1.53
73.	मिलखेत पे0यो0	1.25	0.93
74.	दालमोठ पे0यो0	2.10	1.57

1	2	3	4
75.	डांगी थानुल पे0यो0	3.20	2.40
76.	डंक पे0यो0	3.90	2.92
77.	फलदा पे0यो0	2.60	1.95
78.	पुटीहा पे0यो0	3.10	2.32
79.	कुडीगाँव पे0यो0	5.95	4.46
80.	घुण्डेश्वर पे0यो0	6.25	4.64
81.	नवासी पे0यो0	1.45	1.08
82.	रिवोसी पे0यो0	2.25	1.68
83.	रैण पे0यो0	0.50	0.37
84.	टोली पे0यो0	1.65	1.23
85.	द्वारी पे0यो0	5.75	4.31
86.	बड़ेथा पे0यो0	5.20	3.90
87.	बसाई पे0यो0	3.08	1.87
88.	धाकसुन पे0यो0	3.29	1.87
89.	थीका पल्ला पे0यो0	4.65	3.48
90.	गुजरखण्ड पे0यो0	4.35	3.26
91.	गुनीयाल पे0यो0	2.50	1.87
92.	कठवाड पे0यो0	2.40	1.80
93.	ल्वाह पे0यो0	5.00	3.75
94.	मैन्दोली मल्ली-बिचला पे0यो0	8.00	6.00
95.	घाल्दा पे0यो0	2.40	1.80
96.	नमाठा पे0यो0	5.65	4.23
97.	बमथी पे0यो0	6.06	4.50
98.	बरसीला पे0यो0	2.35	1.68
99.	मीतैन मल्ली पे0यो0	8.18	6.00
100.	बूढाकोट पे0यो0	1.38	0.97
101.	चैकमल्ला पे0यो0	11.10	8.25

1	2	3	4
102.	चावथ पे0यो0	4.40	2.78
103.	कम्हारा पे0यो0	8.98	6.60
104.	कुकड पे0यो0	13.22	9.75
105.	पयालगॉव पे0यो0	7.00	5.25
106.	रानी पे0यो0	2.03	1.42
107.	थाली पे0यो0	6.59	4.87
108.	थपलीयाल गॉव पे0यो0	4.44	3.22
109.	उरेगी पे0यो0	7.44	5.47
110.	विकास क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत अनुरक्षित योजनाओं का सामान्य रखरखाव।	17.00	12.03
111.	2.80 एम0एल0डी0 पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	35.000	18.250
112.	1.50 एम0एल0डी0 पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	25.000	11.740
113.	पौड़ी खोबरी पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	10.00	5.38
114.	विकास क्षेत्र कल्जीखाल के अन्तर्गत अनुरक्षित पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	9.000	5.420
115.	अगरोड़ा पम्पिंग पेयजल योजना का पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	20.000	13.770
116.	पट्टी कफोल्स्यू पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	25.00	17.82
117.	विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत अनुरक्षित पेयजल योजनाओं का सामान्य रखरखाव कार्य	14.00	9.000
118.	कोट पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	23.000	15.000

1	2	3	4
119.	कढाकोट पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	18.000	11.510
120.	सल्डा पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य	12.000	10.770
121.	विकास क्षेत्र पौढ़ी के अन्तर्गत अनुरक्षित पेयजल योजनाओं का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	8.00	2.84
122.	पौढ़ी डोबरी पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	3.00	1.18
123.	विकास क्षेत्र काल्जीखाल के अन्तर्गत अनुरक्षित पेयजल योजनाओं का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	2.000	1.190
124.	विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत अनुरक्षित पेयजल योजनाओं का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	2.00	1.970
125.	कोट पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	5.000	3.290
126.	कढाकोट पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	3.000	2.530
127.	साल्ड पम्पिंग पेयजल योजना का सामान्य रखरखाव कार्य। (एस0सी0पी0)	5.000	2.260
	योग	6917.57	2332.46

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-12 पर)

योजनाओं का विवरण

योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति-दिसम्बर, 2013

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति (%)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
जनपद उत्तरकाशी						
1.	सीवरेज प्रणाली एवं मल-जल शोधन संयंत्र गंगोत्री	1048.00	479.03	474.1603	54.00	1. सीवर लाइन प्रस्तावित-7.25 कि0मी0, प्रगति-1.61 कि0मी0 2. राइजिंग मेन प्रस्तावित-0.50 कि0मी0, प्रगति-0.28 कि0मी0 3. एस0पी0एस0 प्रस्तावित-3 नग, प्रगति-15 प्रतिशत 4. एस0टी0पी0 प्रस्तावित-1 नग, प्रगति-30 प्रतिशत 5. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 15-11-2014
जनपद देहरादून						
2.	त्रिवेणीघाट सीवरेज योजना	723.00	279.57	226.0100	90.00	1. सीवर लाइन प्रस्तावित-6.31 कि0मी0, प्रगति-0.72 कि0मी0 2. राइजिंग मेन प्रस्तावित-0.70 कि0मी0, प्रगति-0.50 कि0मी0 3. एस0पी0एस0 प्रस्तावित-1 नग, प्रगति-95 प्रतिशत 4. पम्पिंग प्लान्ट्स प्रस्तावित-5 नग, प्रगति-अधिष्ठापित 5. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि [illegible] 2014
जनपद हरिद्वार						
3.	[illegible] नगर सीवरेज योजना, हरिद्वार	3484.00	1164.18	1511.3300	73.00	1. सीवर लाइन प्रस्तावित-12.44 कि0मी0, प्रगति-10.50 कि0मी0 2. राइजिंग मेन प्रस्तावित-1.05 कि0मी0, प्रगति-1.03 कि0मी0 3. एस0पी0एस0 प्रस्तावित-1 नग, प्रगति-80 प्रतिशत 4. पम्पिंग प्लान्ट्स प्रस्तावित-4 नग, प्रगति-स्थल पर प्राप्त 5. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि जुलाई, 2014

1	2	3	4	5	6	7
4.	18 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य, ज्वालापुर हरिद्वार	2401.50	1302.66	1319.0400	55.00	1. एस0टी0पी0 चालू 2. आन्तरिक सड़क का कार्य प्रगति पर है।

जनपद टिहरी

5.	तपोवन सीवरेज योजना एवं एस0टी0पी0 तपोवन	2417.60	974.00	713.7300	75.60	1. सीवर लाइन प्रस्तावित-11.94 कि0मी0, प्रगति-9.20 कि0मी0 2. राईजिंग मेन प्रस्तावित-6.4 कि0मी0, प्रगति-6.04 कि0मी0 3. एस0पी0एस0 प्रस्तावित-1 नग, प्रगति-72 प्रतिशत 4. पम्पिंग प्लान्ट प्रस्तावित-5 नग 5. डी0जी0 सैट प्रस्तावित-1 नग 6. 3.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित-1 नग, प्रगति-70 प्रतिशत 7. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2014

जनपद चमोली

6.	बद्रीनाथ सीवरेज योजना	725.57	150.00	115.7400	13.46	1. सीवर लाइन प्रस्तावित-6.47 कि0मी0, प्रगति-1.20 कि0मी0 2. राईजिंग मेन प्रस्तावित-1.02 कि0मी0, प्रगति-0.37 कि0मी0 3. आपदा जून, 2013 के पश्चात् तकनीकी प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर परिवर्तन करते हुए प्रस्तावों को नई डी0पी0आर0 में समावेश किया गया है। 4. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2015
7.	2 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बद्रीनाथ	482.21	50.00	0.0000	0.00	क्रमांक-6 की योजना के कालम-11 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार
8.	गोपेश्वर सीवरेज योजना	961.26	304.00	245.0610	12.74	1. सीवर लाइन प्रस्तावित-27.86 कि0मी0, प्रगति-3.62 कि0मी0 2. आपदा जून, 2013 के पश्चात् तकनीकी प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर परिवर्तन करते हुए प्रस्तावों को नई डी0पी0आर0 में समावेश किया गया है। 3. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2015

1	2	3	4	5	6	7
9.	गोपेश्वर–चमोली सीवरेज योजना	1017.83	712.90	711.6600	61.55	1. सीवर लाइन प्रस्तावित–29.21 कि०मी०, प्रगति–17.91 कि०मी० 2. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि मार्च, 2015
10.	कर्णप्रयाग सीवरेज योजना	932.11	390.90	112.8770	13.36	1. सीवर लाइन प्रस्तावित–3.60 कि०मी०, प्रगति–1.30 कि०मी० 2. राज्य सरकार की आपदा पुनर्निर्माण नीतियों के अनुरूप तकनीकी प्रस्ताव का पुनः विचार किया जा रहा है। 3. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2015
11.	1.4 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कर्णप्रयाग	343.25	41.80	0.0000	0.00	1. एस०टी०पी० हेतु प्रस्तावित भूमि की पट्टा अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पन्न। 2. माह 04/2012 एस०टी०पी० का कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु ग्रामीणों द्वारा विरोध कर कार्य बन्द करा दिया गया। 3. दिनांक 27-09-2013 को महाप्रबन्धक (गंगा) द्वारा विवाद को समाप्त कराने का प्रयास किया गया परन्तु ग्रामीणों द्वारा पुनः विरोध किया गया कार्य अवरुद्ध। 4. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2015

जनपद रुद्रप्रयाग

12.	रुद्रप्रयाग सीवरेज योजना	791.58	100.00	94.2290	11.77	1. सीवर लाइन प्रस्तावित–4.87 कि०मी०, प्रगति–1.62 कि०मी० 2. नगर क्षेत्र माह जून, 2013 में आई दैवी आपदा से प्रभावित। 3. राज्य सरकार की आपदा पुनर्निर्माण नीतियों के अनुरूप तकनीकी प्रस्ताव का पुनः विचार किया जा रहा है। 4. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2015
13.	3.00 एम०एल०डी० एवं 0.10 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, रुद्रप्रयाग।	409.01	50.00	0.0000	0.00	क्रमांक–12 की योजना के कालम–11 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7
जनपद रुद्रप्रयाग						
14.	रुद्रप्रयाग सीवरेज योजना	726.85	341.00	180.3950	30.00	1. सीवर लाइन प्रस्तावित–3.86 कि0मी0, प्रगति–2.45 कि0मी0 2. राईजिंग मेन प्रस्तावित–3.75 कि0मी0, प्रगति–1.84 कि0मी0 3. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अक्टूबर, 2015
15.	1.4 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रुद्रप्रयाग	386.41	162.00	64.2080	10.00	1. कार्य प्रगति पर। 2. कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 2015
16.	[illegible] सीवरेज योजना एवं एस0टी0पी0	8300.00	327.00	0.0000	0.00	योजना माह दिसम्बर, 2013 में स्वीकृत हुई है।
	कुल योग	25120.54	6887.37	5250.40		

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–13 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री दलीप सिंह रावत, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–15 का संलग्नक पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना की सूची–

क्र०सं०	योजना का नाम	विकास क्षेत्र	योजनाओं की स्थिति
1.	ढोबरियालसार पे०यो०	नैनीडांडा	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
2.	खुटियण्डा तल्ला पे०यो०	नैनीडांडा	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
3.	क्यार्दी पे०यो०	नैनीडांडा	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
4.	मौना पे०यो०	नैनीडांडा	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
5.	खालबाखल पे०यो०	नैनीडांडा	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
6.	धूरा तल्ला पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
7.	बनगढ़ पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
8.	सिमलधार कड़िया पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
9.	किल्बोखाल पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
10.	चौकड़ी क्वली पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
11.	थोरगढ़ ग्रा०स० पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
12.	जोदूखाल ग्रा०स० पे०यो०	रिखणी खाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
13.	मंझोला ग्रा०स० पे०यो०	जयरीखाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
14.	परिन्दा पे०यो०	जयरीखाल	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
15.	जड़ियाना पे०यो०	जयरीखाल	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
16.	सगवाड़ी पे०यो०	जयरीखाल	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन प्रगति पर
17.	बेवड़ी पे०यो०	जयरीखाल	सर्वेक्षण पूर्ण, प्राक्कलन विरचन
18.	मौली ग्राम समूह पे०यो०	जयरीखाल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न–07 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–22–23 पर)

जनपद पिथौरागढ़

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 पुरना	रिक्त	नवम्बर, 2013
2.	रा0इ0का0 रोड़ीपाली	रिक्त	अप्रैल, 2014
3.	रा0इ0का0 वास्ते	रिक्त	अप्रैल, 2014
4.	रा0इ0का0 दिग्तोली	रिक्त	अप्रैल, 2014
5.	रा0इ0का0 झूलाघाट	रिक्त	अप्रैल, 2012
6.	रा0इ0का0 कमलेश्वर	रिक्त	अप्रैल, 2014
7.	रा0इ0का0 डुंगराकोट	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
8.	रा0इ0का0 शिल्लाथिंगरी	रिक्त	अप्रैल, 2014
9.	रा0इ0का0 सेल	रिक्त	अप्रैल, 2014
10.	रा0इ0का0 क्वीतड़	रिक्त	अप्रैल, 2014
11.	रा0इ0का0 भड़कटिया	रिक्त	अप्रैल, 2014
12.	रा0इ0का0 दोबांस	रिक्त	अप्रैल, 2014
13.	रा0इ0का0 देवलथल	रिक्त	अप्रैल, 2013
14.	रा0इ0का0 रसैपाटा	रिक्त	अप्रैल, 2012
15.	रा0इ0का0 सिंगाली	रिक्त	अगस्त, 2014
16.	रा0इ0का0 टोटानौला	रिक्त	मार्च, 2011
17.	रा0इ0का0 छड़नदेव	रिक्त	अप्रैल, 2012
18.	रा0इ0का0 ख्वांकोट	रिक्त	अप्रैल, 2014
19.	रा0इ0का0 बगड़ीहाट	रिक्त	अप्रैल, 2014
20.	रा0इ0का0 जौरासी	रिक्त	मार्च, 2013
21.	रा0इ0का0 चौबाटी	रिक्त	फरवरी, 2012

1	2	3	4
22.	रा0इ0का0 थल	रिक्त	अप्रैल, 2012
23.	रा0इ0का0 हवीला	रिक्त	अप्रैल, 2014
24.	रा0इ0का0 दूनाकोट	रिक्त	अप्रैल, 2014
25.	रा0इ0का0 पांगू	रिक्त	मार्च, 2012
26.	रा0इ0का0 बरम	नवीन उच्चीकृत	जनवरी, 2012
27.	रा0इ0का0 पंयापौड़ी	रिक्त	सितम्बर, 2012
28.	रा0इ0का0 खेत	रिक्त	जनवरी, 2012
29.	रा0इ0का0 खेला	रिक्त	जनवरी, 2012
30.	रा0इ0का0 माकमकैलाश	रिक्त	अप्रैल, 2010
31.	रा0इ0का0 कालिका	रिक्त	अप्रैल, 2010
32.	रा0इ0का0 जुम्मा	रिक्त	अप्रैल, 2010
33.	रा0इ0का0 रांथी	रिक्त	अप्रैल, 2010
34.	रा0इ0का0 मुनस्यारी	रिक्त	अप्रैल, 2010
35.	रा0इ0का0 मवानी–दवानी	रिक्त	अप्रैल, 2010
36.	रा0इ0का0 नाचनी	रिक्त	अप्रैल, 2011
37.	रा0इ0का0 डौर	रिक्त	अप्रैल, 2012
38.	रा0इ0का0 बांसबगड़	रिक्त	अप्रैल, 2012
39.	रा0इ0का0 तेजम	रिक्त	अप्रैल, 2012
40.	रा0इ0का0 उच्चैती	रिक्त	अप्रैल, 2010
41.	रा0इ0का0 मल्ला भैंसकोट	रिक्त	अप्रैल, 2014
42.	रा0इ0का0 होकरा	रिक्त	नवम्बर, 2013
43.	रा0इ0का0 कोटाचन्द्रपाला	रिक्त	अप्रैल, 2014
44.	रा0इ0का0 पांखू	रिक्त	अप्रैल, 2013
45.	रा0इ0का0 कान्डेकिरौली	रिक्त	अगस्त, 2013
46.	रा0इ0का0 जाबुकाथल	रिक्त	अप्रैल, 2014

1	2	3	4
47.	रा0इ0का0 चौडमन्या	रिक्त	अप्रैल, 2013
48.	रा0इ0का0 राईआगर	रिक्त	सितम्बर, 2013
49.	रा0इ0का0 प्रेमनगर	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
50.	रा0इ0का0 गंगोलीहाट	रिक्त	अप्रैल, 2012
51.	रा0इ0का0 बहल	रिक्त	अप्रैल, 2013
52.	रा0इ0का0 पणाई–गंगोली	रिक्त	अप्रैल, 2013
53.	रा0इ0का0 छिनलेख	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2010
54.	रा0इ0का0 सेराघाट	रिक्त	जनवरी, 2014
55.	रा0इ0का0 डोबालखेत	रिक्त	अप्रैल, 2013
56.	रा0इ0का0 थीरोली	रिक्त	अप्रैल, 2014
57.	रा0इ0का0 दुबोला	रिक्त	मार्च, 2012
58.	रा0इ0का0 दशाईथल	रिक्त	अप्रैल, 2013
59.	रा0इ0का0 कोठेरा	रिक्त	जुलाई, 2011
60.	रा0इ0का0 भूलीगाँव	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
61.	रा0इ0का0 गाधीनगर	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
62.	रा0इ0का0 नायल	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
63.	रा0इ0का0 भिनगढ़ी	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
64.	रा0इ0का0 पिलखी	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
65.	रा0इ0का0 चिटगल	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014
66.	रा0इ0का0 पब्याधार	नवीन उच्चीकृत	अप्रैल, 2014

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 कनालीछीना	रिक्त	अप्रैल, 2011
2.	रा0बा0इ0का0 धारचूला	रिक्त	जुलाई, 2012
3.	रा0बा0इ0का0 डीडीहाट	रिक्त	जून, 2011
4.	रा0बा0इ0का0 नाचनी	रिक्त	अप्रैल, 2010

1	2	3	4
5.	रा०बा०इ०का० बेरीनाग	रिक्त	अप्रैल, 2011
6.	रा०बा०इ०का० थल	रिक्त	मार्च, 2012
7.	रा०बा०इ०का० गंगोलीहाट	रिक्त	अप्रैल, 2012
8.	रा०बा०इ०का० गनाई गंगोली	रिक्त	नवम्बर, 2011

जनपद बागेश्वर

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा०इ०का० बनलेख	रिक्त	मार्च, 13
2.	रा०इ०का० सनिउडियार	रिक्त	मई, 08
3.	रा०इ०का० देवतोली	रिक्त	मार्च, 12
4.	रा०इ०का० बोहाला	रिक्त	अप्रैल, 12
5.	रा०इ०का० काण्डा	रिक्त	अगस्त, 13
6.	रा०इ०का० काफलीगैर	रिक्त	जुलाई, 14
7.	रा०इ०का० छोबा चौंगा	रिक्त	अप्रैल, 10
8.	रा०इ०का० असों	रिक्त	अप्रैल, 09
9.	रा०इ०का० बाजीरौठ	रिक्त	अप्रैल, 11
10.	रा०इ०का० भन्तोला	रिक्त	मई, 14
11.	रा०इ०का० खाती	रिक्त	मई, 14
12.	रा०इ०का० गेटा	रिक्त	जुलाई, 09
13.	रा०इ०का० गरूड़	रिक्त	सितम्बर, 11
14.	रा०इ०का० सलानी	रिक्त	मार्च, 11
15.	रा०इ०का० बज्यूला	रिक्त	अप्रैल, 13
16.	रा०इ०का० पैना	रिक्त	अप्रैल, 13

1	2	3	4
17.	रा0इ0का0 मैगड़ी स्टेट	रिक्त	मार्च, 12
18.	रा0इ0का0 बन्तोली	रिक्त	मई, 09
19.	रा0इ0का0 सिरकोट	रिक्त	दिसम्बर, 11
20.	रा0इ0का0 खनस्यारी	रिक्त	मई, 12
21.	रा0इ0का0 कपकोट	रिक्त	मार्च, 12
22.	रा0इ0का0 सौंग	रिक्त	मार्च, 13
23.	रा0इ0का0 कन्याली कोट	रिक्त	मार्च, 13
24.	रा0इ0का0 बघर	रिक्त	नवम्बर, 06
25.	रा0इ0का0 बदियाकोट	रिक्त	अगस्त, 04
26.	रा0इ0का0 रयाकोट	रिक्त	20.03.2013
27.	रा0इ0का0 कर्मी	रिक्त	जुलाई, 06
28.	रा0इ0का0 चौड़ास्थल	रिक्त	20.03.2013
29.	रा0इ0का0 मांजखेत	रिक्त	जून, 04
30.	रा0इ0का0 रातिरकेटी	रिक्त	अप्रैल, 08
31.	रा0इ0का0 नामतीचेटाबगड़	रिक्त	जून, 14
32.	रा0इ0का0 सोराग	रिक्त	अप्रैल, 08
33.	रा0इ0का0 सूपी	रिक्त	09.08.2010
34.	रा0इ0का0 सिरकोट	नवीन उच्चीकृत	जनवरी, 14
35.	रा0इ0का0 भन्तोला	नवीन उच्चीकृत	जनवरी, 14
36.	रा0इ0का0 भैंट, कांडा	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
37.	रा0इ0का0 बाजीझिरौट	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 काण्डा	रिक्त	मई, 13
2.	रा0बा0इ0का0 बागेश्वर	रिक्त	मार्च, 09
3.	रा0बा0इ0का0 दोफाड़	रिक्त	मार्च, 14
4.	रा0बा0इ0का0 पाये	रिक्त	मार्च, 14
5.	रा0क0इ0का0 पुरड़ा गागरीगोल	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14

जनपद चम्पावत

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
	बालक विद्यालय		
1.	रा०इ०का० बरदाखान	रिक्त	31.03.2014
2.	रा०इ०का० बाराकोट	रिक्त	12.12.2012
3.	रा०इ०का० चौमेल	रिक्त	27.02.2013
4.	रा०इ०का० रैगदू	रिक्त	20.03.2008
5.	रा०इ०का० कर्णकरायत	रिक्त	31.07.2010
6.	रा०इ०का० मण्डलक	रिक्त	31.08.2010
7.	रा०इ०का० किमतोली	रिक्त	31.03.2014
8.	रा०इ०का० दिगालीचौड़	रिक्त	01.03.2014
9.	रा०इ०का० द्यारतोली	रिक्त	22.08.2010
10.	रा०इ०का० रौसाल	रिक्त	31.01.2014
11.	रा०इ०का० जानकीधार	रिक्त	27.02.2014
12.	रा०इ०का० सुई	रिक्त	05.03.2014
13.	रा०इ०का० लोहाघाट	रिक्त	24.08.2012
14.	रा०इ०का० मध्यगंगोल	रिक्त	31.05.2011
15.	रा०इ०का० देवीधूरा	रिक्त	30.06.2011
16.	रा०इ०का० पाटी	रिक्त	30.09.2013
17.	रा०इ०का० चौड़ा मेहता	रिक्त	30.04.2013
18.	रा०इ०का० धरसाड़ी	रिक्त	30.06.2007
19.	रा०इ०का० रमक	रिक्त	16.11.2010
20.	रा०इ०का० पनिया	रिक्त	27.02.2014

1	2	3	4
21.	रा0इ0का0 चौड़ाकोट	रिक्त	27.02.2014
22.	रा0इ0का0 मझियाड़	रिक्त	27.02.2014
23.	रा0इ0का0 सिप्टी	रिक्त	31.03.2008
24.	रा0इ0का0 चम्पावत	रिक्त	19.03.2012
25.	रा0इ0का0 चामली	रिक्त	29.02.2004
26.	रा0इ0का0 दगुरी	रिक्त	28.07.2010
27.	रा0इ0का0 चल्थी	नवीन उच्चीकृत	03.03.2014
28.	रा0इ0का0 बिनवालगाँव	नवीन उच्चीकृत	04.03.2014
29.	रा0इ0का0 मञ्च	नवीन उच्चीकृत	04.03.2014
30.	रा0इ0का0 सूई	नवीन उच्चीकृत	05.03.2014
31.	रा0इ0का0 बिबिल	नवीन उच्चीकृत	05.03.2014
32.	रा0इ0का0 बालातड़ी	नवीन उच्चीकृत	20.05.2014
33.	रा0इ0का0 गूढ़ गरसाड़ी	नवीन उच्चीकृत	20.05.2014

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 खेती खान	रिक्त	31.05.2012
2.	रा0बा0इ0का0 काकड़	रिक्त	23.08.2006
3.	रा0बा0इ0का0 चम्पावत	रिक्त	30.06.2010
4.	रा0बा0इ0का0 टनकपुर	रिक्त	31.03.2012
5.	रा0बा0इ0का0 लोहाघाट	रिक्त	17.06.2012
6.	रा0बा0इ0का0 चमनदेवल	नवीन उच्चीकृत	05.03.2014
7.	रा0बा0इ0का0 धौनी शिलिंग	नवीन उच्चीकृत	मई. 14

जनपद ऊधमसिंह नगर

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा०इ०का० फौजीमटकोटा	रिक्त	14.07.2013
2.	रा०इ०का० झनकट	रिक्त	01.04.2013
3.	रा०इ०का० बण्डिया	रिक्त	01.03.2013
4.	रा०इ०का० श्रीपुरबिछवा	रिक्त	01.04.2013
5.	रा०इ०का० हरिपुरहरसान	रिक्त	01.04.2014
6.	रा०इ०का० सुल्तानपुर	रिक्त	01.04.2013
7.	रा०इ०का० बरहैनी	रिक्त	01.04.2014
8.	रा०इ०का० महुआखेड़ागंज	रिक्त	अप्रैल, 13
9.	रा०इ०का० बासखेड़ा	रिक्त	01.05.2013
10.	रा०इ०का० शक्तिफार्म	रिक्त	01.04.2014
11.	रा०इ०का० औदली	रिक्त	01.01.2012
12.	रा०इ०का० गदरपुर	रिक्त	06.11.2012
13.	रा०इ०का० सकैनिया	रिक्त	08.08.2013
14.	रा०इ०का० भैरियादौलत	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
15.	रा०इ०का० मगरा	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
16.	रा०इ०का० बन्नाखेड़ा	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
17.	रा०इ०का० बाजपुर गाँव	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
18.	रा०इ०का० कुण्डा	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
19.	रा०इ०का० महुआखेड़ागंज	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
20.	रा०इ०का० कनकपुर	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
21.	रा०इ०का० गुरुग्राम, सितारगंज	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
22.	रा०इ०का० चन्द्रपुर, सितारगंज	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14

बालिका विद्यालय

1	2	3	4
1.	रा०बा०इ०का० सितारगंज	रिक्त	03.08.2012
2.	रा०बा०इ०का० शक्तिफार्म	रिक्त	मई, 14
3.	रा०बा०इ०का० बाजपुर	रिक्त	जुलाई, 14

जनपद अल्मोड़ा

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा०इ०का० चौरा हवालबाग	रिक्त	मार्च, 2010
2.	रा०इ०का० खूँट	रिक्त	मार्च, 2009
3.	रा०इ०का० स्यालीधार	रिक्त	मार्च, 2013
4.	रा०इ०का० नगरखान	रिक्त	मार्च, 2012
5.	रा०इ०का० धौलछीना	रिक्त	मार्च, 2013
6.	रा०इ०का० नौगाँव रीठागाड़	रिक्त	मार्च, 2009
7.	रा०इ०का० दन्या	रिक्त	मार्च, 2007
8.	रा०इ०का० पनौली	रिक्त	मार्च, 2014
9.	रा०इ०का० भेटाबड़ौली	रिक्त	जुलाई, 2013
10.	रा०इ०का० धमतोला	रिक्त	मार्च, 2007
11.	रा०इ०का० गैनी चौगर्खा	रिक्त	मार्च, 2010
12.	रा०इ०का० बाराकूना	रिक्त	मार्च, 2013
13.	रा०इ०का० पालीगुणादित्य	रिक्त	मार्च, 2013
14.	रा०इ०का० शहरफाटक	रिक्त	2005
15.	रा०इ०का० मेरगाँव	रिक्त	2008
16.	रा०इ०का० पुभाऊँ	रिक्त	मार्च, 2012
17.	रा०इ०का० कनरा	रिक्त	2009

1	2	3	4
18.	रा0इ0का0 चौड़ा आनुली	रिक्त	2008
19.	रा0इ0का0 पीपली	रिक्त	2011
20.	रा0इ0का0 सोमेश्वर	रिक्त	2010
21.	रा0इ0का0 गणानाथ	रिक्त	मार्च, 2011
22.	रा0इ0का0 मनान	रिक्त	मार्च, 2011
23.	रा0इ0का0 दड़मिया	रिक्त	मार्च, 2012
24.	रा0इ0का0 मकूना	रिक्त	मार्च, 2010
25.	रा0इ0का0 नाई	रिक्त	मार्च, 2013
26.	रा0इ0का0 ज्वारनैही	रिक्त	—
27.	रा0इ0का0 देवलीखेत	रिक्त	मार्च, 2011
28.	रा0इ0का0 सिलोर महादेव	रिक्त	2011
29.	रा0इ0का0 कुनेलाखेत	रिक्त	2010
30.	रा0इ0का0 भुजान	रिक्त	2009
31.	रा0इ0का0 लोधियाखान	रिक्त	मार्च, 2011
32.	रा0इ0का0 शेर	रिक्त	2010
33.	रा0इ0का0 स्युलीपीपल	रिक्त	मार्च, 2012
34.	रा0इ0का0 बंगोड़ा	रिक्त	मार्च, 2010
35.	रा0इ0का0 जैना	रिक्त	2010
36.	रा0इ0का0 चौगूसार	रिक्त	2011
37.	रा0इ0का0 मण्डलकोट	रिक्त	नव सृजन की तिथि से
38.	रा0इ0का0 चौकुनी	रिक्त	नव सृजन की तिथि से
39.	रा0इ0का0 द्वाराहाट	रिक्त	2009
40.	रा0इ0का0 बग्वालीपोखर	रिक्त	2011
41.	रा0इ0का0 श्रीखेत	रिक्त	सितम्बर, 2014
42.	रा0इ0का0 बिन्ता	रिक्त	मार्च, 2012

1	2	3	4
43.	रा०इ०का० बट्टुलिया	रिक्त	मार्च, 2010
44.	रा०इ०का० असगोली	रिक्त	मार्च, 2012
45.	रा०इ०का० दूनागिरी	रिक्त	मार्च, 2011
46.	रा०इ०का० महतगाँव	रिक्त	मार्च, 2010
47.	रा०इ०का० द्वारसौं	रिक्त	मार्च, 2011
48.	रा०इ०का० मासी	रिक्त	2007
49.	रा०इ०का० खीड़ा	रिक्त	2010
50.	रा०इ०का० कलटी	रिक्त	मार्च, 2011
51.	रा०इ०का० तड़ागताल	रिक्त	2007
52.	रा०इ०का० पटलगाँव	रिक्त	मार्च, 2011
53.	रा०इ०का० चित्रेश्वर	रिक्त	2009
54.	रा०इ०का० चौमसैंण	रिक्त	2010
55.	रा०इ०का० भिकियासैंण	रिक्त	मार्च, 2009
56.	रा०इ०का० चौनलिया	रिक्त	मार्च, 2007
57.	रा०इ०का० उत्तमसाणी	रिक्त	मार्च, 2010
58.	रा०इ०का० पंतस्थली	रिक्त	2010
59.	रा०इ०का० जीनापानी	रिक्त	मार्च, 2009
60.	रा०इ०का० खरखीना	रिक्त	2008
61.	रा०इ०का० नौला	रिक्त	2010
62.	रा०इ०का० नागार्जुन	रिक्त	मार्च, 2007
63.	रा०इ०का० स्याल्दे	रिक्त	मार्च, 2011
64.	रा०इ०का० चौरासी	रिक्त	मार्च, 2010
65.	रा०इ०का० महरौली	रिक्त	मार्च, 2007
66.	रा०इ०का० अगासपुर	रिक्त	मार्च, 2011
67.	रा०इ०का० गैरखेत	रिक्त	मार्च, 2012

1	2	3	4
68.	रा०इ०का० मालीखेत	रिक्त	मार्च, 2010
69.	रा०इ०का० सराईखेत	रिक्त	मार्च, 2011
70.	रा०इ०का० देवायल	रिक्त	मार्च, 2010
71.	रा०इ०का० कोटाबामी	रिक्त	मार्च, 2011
72.	रा०इ०का० मानिला	रिक्त	मार्च, 2014
73.	रा०इ०का० डीपा	रिक्त	मार्च, 2010
74.	रा०इ०का० मौनखाल	रिक्त	मार्च, 2011
75.	रा०इ०का० स्यौराला सल्ट	रिक्त	मार्च, 2011
76.	रा०इ०का० बांगीधार	रिक्त	मार्च, 2010
77.	रा०इ०का० झड़गाँव	रिक्त	मार्च, 2011
78.	रा०इ०का० सौली सल्ट	रिक्त	मार्च, 2009
79.	रा०इ०का० टोटम	रिक्त	2009
80.	रा०इ०का० नैनवालपाली	रिक्त	मार्च, 2010
81.	रा०इ०का० ढिमार	रिक्त	मार्च, 2009
82.	रा०इ०का० बसेड़ी	रिक्त	मार्च, 2008
83.	रा०इ०का० मौनाकोटखाल	रिक्त	2008
84.	रा०इ०का० नगचूलाखाल	रिक्त	2008

बालिका विद्यालय

1.	रा०बा०इ०का० जयन्ती	रिक्त	मार्च, 2011
2.	रा०बा०इ०का० सोमेश्वर	रिक्त	2009
3.	रा०बा०इ०का० ताड़ीखेत	रिक्त	जुलाई, 2014
4.	रा०बा०इ०का० द्वाराहाट	रिक्त	2010
5.	रा०बा०इ०का० बग्वालीपोखर	रिक्त	नव सृजन की तिथि से
6.	रा०बा०इ०का० चौखुटिया	रिक्त	2008

1	2	3	4
7.	रा0बा0इ0का0 भारी	रिक्त	2009
8.	रा0बा0इ0का0 पिकियारौण	रिक्त	मार्च, 2009
9.	रा0बा0इ0का0 स्याल्दे	रिक्त	मार्च, 2008
10.	रा0बा0इ0का0 देवायल	रिक्त	मार्च, 2010

जनपद नैनीताल

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 ओखलकांडा	रिक्त	05.08.2012
2.	रा0इ0का0 जोस्यूड़ा	रिक्त	01.04.2012
3.	रा0इ0का0 ढोलीगाँव	रिक्त	16.08.2010
4.	रा0इ0का0 पैटना	रिक्त	01.04.2013
5.	रा0इ0का0 भीड़ापानी	रिक्त	09.08.2012
6.	रा0इ0का0 गुनियालेख	रिक्त	03.08.2012
7.	रा0इ0का0 सुन्दरखाल	रिक्त	01.04.2009
8.	रा0इ0का0 बवियाड़	रिक्त	03.08.2011
9.	रा0इ0का0 पदमपुरी	रिक्त	01.04.2014
10.	रा0इ0का0 रामगढ़	रिक्त	19.09.2012
11.	रा0इ0का0 प्यूड़ा	रिक्त	31.03.2012
12.	रा0इ0का0 ढोकाने	रिक्त	31.08.2010
13.	रा0इ0का0 सूपी	रिक्त	31.03.2012
14.	रा0इ0का0 ल्वेशाल	रिक्त	31.07.2014
15.	रा0इ0का0 लोहाली	रिक्त	27.07.2012
16.	रा0इ0का0 भतरौंजखान	रिक्त	31.03.2013

1	2	3	4
17.	रा0इ0का0 धनियाकोट	रिक्त	31.03.2013
18.	रा0इ0का0 जितुवापीपल	रिक्त	15.08.2014
19.	रा0इ0का0 हल्सौकोरड़	रिक्त	31.03.2011
20.	रा0इ0का0 भीमताल	रिक्त	01.08.2011
21.	रा0इ0का0 शैंगिल	रिक्त	01.04.2013
22.	रा0इ0का0 हैड़ाखान	रिक्त	02.12.2012
23.	रा0इ0का0 बानना	रिक्त	03.2012
24.	रा0इ0का0 पौकुवियाताल	रिक्त	21.03.2014
25.	रा0इ0का0 बगड़	रिक्त	31.12.2008
26.	रा0इ0का0 करनपुर	रिक्त	01.04.2014
27.	रा0इ0का0 रामनगर	रिक्त	05.11.2014
28.	रा0इ0का0 बैलपड़ाव	रिक्त	01.04.2013
29.	रा0इ0का0 कठघरिया	रिक्त	03.07.2012
30.	रा0इ0का0 दौलतपुर	रिक्त	01.04.2013
31.	रा0इ0का0 लालकुआँ	रिक्त	01.04.2011
32.	रा0इ0का0 बिन्दुखेड़ा	रिक्त	03.08.2012
33.	रा0इ0का0 कनिगाखेड़ा	रिक्त	30.08.2011
34.	रा0इ0का0 नाई	रिक्त	01.04.2014
35.	रा0इ0का0 गरगड़ी	रिक्त	04.03.2014
36.	रा0इ0का0 बारीकटना	रिक्त	04.03.2014
37.	रा0इ0का0 पदमपुरमिढार	रिक्त	01.04.2014
38.	रा0इ0का0 पदमपुरमिढार	रिक्त	04.03.2014
39.	रा0इ0का0 पजणा	रिक्त	01.04.2014
40.	रा0इ0का0 पटरानी	रिक्त	01.04.2014
41.	रा0इ0का0 मुक्तेश्वर	रिक्त	01.05.2014
42.	रा0इ0का0 पोखरी	रिक्त	01.04.2014

1	2	3	4
43.	रा0इ0का0 भूमियाधार	रिक्त	01.04.2014
44.	रा0इ0का0 दोगड़ा	रिक्त	06.01.2014
45.	रा0इ0का0 देवीपुरा	रिक्त	06.01.2014
46.	रा0इ0का0 पवलगढ़	रिक्त	01.04.2014
47.	रा0इ0का0 मोहान	रिक्त	01.04.2014
48.	रा0इ0का0 क्यारी	रिक्त	01.04.2014
49.	रा0इ0का0 गुलरघट्टी	रिक्त	04.03.2014
50.	रा0इ0का0 मौजानी	रिक्त	01.04.2014
51.	रा0इ0का0 सेमलखलिया	रिक्त	01.04.2014
52.	रा0इ0का0 गरजोली	रिक्त	01.04.2014
53.	रा0इ0का0 तल्ली सेठी	रिक्त	03.2014
54.	रा0इ0का0 खुरियाखत्ता	रिक्त	25.02.2014

बालिका विद्यालय

1.	रा0क0इ0का0 भटेलिया	रिक्त	01.04.2011
2.	रा0क0इ0का0 बेतालघाट	रिक्त	31.02.2012
3.	रा0क0इ0का0 भवाली	रिक्त	30.09.2014
4.	रा0क0इ0का0 भीमताल	रिक्त	01.01.2012
5.	रा0क0इ0का0 खुर्पाताल	रिक्त	01.02.2014
6.	रा0क0इ0का0 कोटाबाग	रिक्त	01.10.2014
7.	रा0क0इ0का0 मालधनचौड़	रिक्त	23.08.2011

जनपद चमोली

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 जोशीमठ	रिक्त	13.05.2010
2.	रा0इ0का0 तपोवन	रिक्त	01.01.2006
3.	रा0इ0का0 उर्गम	रिक्त	12.04.2013
4.	रा0इ0का0 पाण्डुकेश्वर	रिक्त	03.11.2006
5.	रा0इ0का0 गणाई	रिक्त	28.08.2014
6.	रा0इ0का0 गडोरा	रिक्त	01.12.2013
7.	रा0इ0का0 सांवरीसैण	रिक्त	01.09.2010
8.	रा0इ0का0 अलकापुरी	रिक्त	01.04.2012
9.	रा0इ0का0 नन्दप्रयाग	रिक्त	01.04.2013
10.	रा0इ0का0 निजमूला	रिक्त	01.09.2010
11.	रा0इ0का0 बछेर	रिक्त	01.01.2013
12.	रा0इ0का0 पीपलकोटी	रिक्त	01.04.2013
13.	रा0इ0का0 नागनाथ	रिक्त	15.10.2008
14.	रा0इ0का0 रडुवा पोंदणीखाल	रिक्त	05.04.2012
15.	रा0इ0का0 गोदली	रिक्त	31.12.2010
16.	रा0इ0का0 देवीखेत	रिक्त	30.09.2006
17.	रा0इ0का0 उखामाण्डा	रिक्त	12.08.2013
18.	रा0इ0का0 चौण्डी	रिक्त	22.12.2007
19.	रा0इ0का0 पोगठा	रिक्त	16.11.2010
20.	रा0इ0का0 नैलसांकरी	रिक्त	10.02.2014
21.	रा0इ0का0 भाट	रिक्त	12.08.2012
22.	रा0इ0का0 बैरासकुण्ड	रिक्त	01.04.2014
23.	रा0इ0का0 बूरा	रिक्त	01.09.2008

1	2	3	4
24.	रा0इ0का0 कनस्यूल	रिक्त	01.06.2011
25.	रा0इ0का0 नैनीसैंण	रिक्त	01.07.2010
26.	रा0इ0का0 सिमली	रिक्त	11.11.2007
27.	रा0इ0का0 केदारूखाल	रिक्त	01.09.2012
28.	रा0इ0का0 उज्जवलपुर	रिक्त	17.08.2010
29.	रा0इ0का0 सलियाणा	रिक्त	10.08.2013
30.	रा0इ0का0 कोटकण्डारा	रिक्त	01.04.2011
31.	रा0इ0का0 सिलंगी	रिक्त	01.01.2013
32.	रा0इ0का0 गैरसैंण	रिक्त	21.08.2014
33.	रा0इ0का0 आदिबद्री	रिक्त	01.04.2013
34.	रा0इ0का0 मेहलचौरी	रिक्त	10.04.2011
35.	रा0इ0का0 कूनीगाड़	रिक्त	13.01.2011
36.	रा0इ0का0 रोहिडा	रिक्त	10.03.2010
37.	रा0इ0का0 देवलकोट	रिक्त	21.07.2012
38.	रा0इ0का0 नन्दासैण	रिक्त	01.01.2009
39.	रा0इ0का0 लाटूगैर	रिक्त	01.02.2009
40.	रा0इ0का0 भराड़ीसैंण	रिक्त	01.04.2010
41.	रा0इ0का0 मरोड़ा	रिक्त	20.10.2010
42.	रा0इ0का0 मालसी	रिक्त	13.09.2009
43.	रा0इ0का0 नारायणबगड़	रिक्त	01.01.2011
44.	रा0इ0का0 रैंसवोपता	रिक्त	फरवरी, 2014
45.	रा0इ0का0 कोठली	रिक्त	21.01.1996
46.	रा0इ0का0 आलकोट	रिक्त	01.04.2014
47.	रा0इ0का0 भगवती	रिक्त	01.03.2014

1	2	3	4
48.	रा0इ0का0 पैठोली	रिक्त	01.04.2014
49.	रा0इ0का0 गढ़कोट	रिक्त	01.08.2010
50.	रा0इ0का0 कौब	रिक्त	21.02.2014
51.	रा0इ0का0 असेड़ सिमली	रिक्त	01.08.2010
52.	रा0इ0का0 बराली	रिक्त	27.08.2014
53.	रा0इ0का0 रानवाड़ी	रिक्त	01.04.2014
54.	रा0इ0का0 डुग्री	रिक्त	01.04.2009
55.	रा0इ0का0 लोल्टी	रिक्त	01.09.2011
56.	रा0इ0का0 नारायणनगर सिनाई	रिक्त	01.07.2009
57.	रा0इ0का0 ग्वालगाँव	रिक्त	11.08.2010
58.	रा0इ0का0 गेठखेत	रिक्त	01.04.2014
59.	रा0इ0का0 मुन्दोली	रिक्त	31.01.2014
60.	रा0इ0का0 बौरागाड़	रिक्त	31.12.2011
61.	रा0इ0का0 सवाड़	रिक्त	01.04.2013

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 गोपेश्वर	रिक्त	01.04.2012
2.	रा0बा0इ0का0 कर्णप्रयाग	रिक्त	01.05.2010
3.	रा0बा0इ0का0 गौचर	रिक्त	01.02.2011
4.	रा0बा0इ0का0 नारायणबगड़	रिक्त	01.08.2010
5.	रा0बा0इ0का0 पोखरी नागनाथ	नवीन उच्चीकृत	05.03.2014

जनपद देहरादून

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 चकराता	रिक्त	23.03.2013
2.	रा0इ0का0 क्वासी	रिक्त	मार्च, 10
3.	रा0इ0का0 क्वानू मझगाँव	रिक्त	मार्च, 13
4.	रा0इ0का0 भटाड़	रिक्त	मार्च, 10
5.	रा0इ0का0 सावड़ा	रिक्त	मार्च, 10
6.	रा0इ0का0 केराड़, चकराता	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
7.	रा0इ0का0 दसऊ, चकराता	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
8.	रा0इ0का0 बैसोलीलानी, चकराता	नवीन उच्चीकृत	सितम्बर, 14
9.	रा0इ0का0 सहिया	रिक्त	15-08-2014
10.	रा0इ0का0 पजिटिलानी	रिक्त	07-08-2013
11.	रा0इ0का0 लखवाड़	रिक्त	अप्रैल, 11
12.	रा0इ0का0 नगऊखोल	रिक्त	30-40-2007
13.	रा0इ0का0 कुन्ना दानुरा	रिक्त	01-04-2013
14.	रा0इ0का0 डाकपत्थर	रिक्त	अप्रैल, 13
15.	रा0इ0का0 बाडवाला	रिक्त	01-04-2012
16.	रा0इ0का0 सोरना डोभरी	रिक्त	अप्रैल, 14
17.	रा0इ0का0 पौन्धा	रिक्त	01-04-2014
18.	रा0इ0का0 मसूरी	रिक्त	अप्रैल, 11
19.	रा0इ0का0 तिमली	रिक्त	अप्रैल, 12
20.	रा0इ0का0 थानो	रिक्त	अप्रैल, 14
21.	रा0इ0का0 निरंजनपुर	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14
22.	रा0इ0का0 नथुवावाला	रिक्त	2013

1	2	3	4
23.	रा0इ0का0 आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश	रिक्त	जुलाई, 14
24.	रा0इ0का0 रायवाला	रिक्त	अप्रैल, 14

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कालसी	रिक्त	अप्रैल, 13

जनपद पौड़ी

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 एकेश्वर	रिक्त	13.06.2012
2.	रा0इ0का0 बग्याली	रिक्त	07.11.2012
3.	रा0इ0का0 मासौं (एकेश्वर)	रिक्त	16.06.2013
4.	रा0इ0का0 मैटाकुण्ड	रिक्त	31.03.2013
5.	रा0इ0का0 रीठाखाल	रिक्त	28.01.2014
6.	रा0इ0का0 श्रीकोटखाल	रिक्त	01.08.2012
7.	रा0इ0का0 नौगाँवखाल	रिक्त	05.02.2014
8.	रा0इ0का0 मोहनचट्टी	रिक्त	11.12.2013
9.	रा0इ0का0 दिउली	रिक्त	01.11.2013
10.	रा0इ0का0 गैन्डखाल	रिक्त	01.06.2013
11.	रा0इ0का0 लक्ष्मणझूला	रिक्त	01.04.2013
12.	रा0इ0का0 द्वारीखाल	रिक्त	07.01.2012
13.	रा0इ0का0 कीर्तिखाल	रिक्त	01.04.2014
14.	रा0इ0का0 कुन्तणी	रिक्त	01.04.2014
15.	रा0इ0का0 कैण्डुल-ढांगर	रिक्त	31.10.2007

1	2	3	4
16.	रा0इ0का0 महादेव-चट्टी	रिक्त	07.02.2009
17.	रा0इ0का0 किनसुर	रिक्त	28.02.2013
18.	रा0इ0का0 सिलोगी	रिक्त	05.01.2009
19.	रा0इ0का0 देवीखेत	रिक्त	16.01.2014
20.	रा0इ0का0 चाक्यूंसैण	रिक्त	20.11.2013
21.	रा0इ0का0 चैलूसैंण (डबरालस्यू)	रिक्त	01.04.2014
22.	रा0इ0का0 अमोला-ढांगू	रिक्त	30.11.2013
23.	रा0इ0का0 घोडियानाखाल	रिक्त	19.05.2014
24.	रा0इ0का0 ढौंण्ड	रिक्त	01.02.2012
25.	रा0इ0का0 बीरोंखाल	रिक्त	17.05.2014
26.	रा0इ0का0 बाढाडाण्डा	रिक्त	30.10.2006
27.	रा0इ0का0 बैजरो	रिक्त	01.02.2010
28.	रा0इ0का0 भरोसीखाल	रिक्त	12.03.2011
29.	रा0इ0का0 भगवती-तलिया	रिक्त	04.02.2014
30.	रा0इ0का0 स्यंसी	रिक्त	01.04.2012
31.	रा0इ0का0 सैन्धार	रिक्त	02.09.2011
32.	रा0इ0का0 बेदीखाल	रिक्त	04.04.2012
33.	रा0इ0का0 फरसाड़ी	रिक्त	24.07.2011
34.	रा0इ0का0 जसपुर	रिक्त	20.07.2011
35.	रा0इ0का0 खोलाचौरी	रिक्त	31.03.2013
36.	रा0इ0का0 बसन्तपुर	रिक्त	24.01.2006
37.	रा0इ0का0 कमलपुर	रिक्त	03.02.2014
38.	रा0इ0का0 कोट	रिक्त	17.12.1999
39.	रा0इ0का0 मसाणगांव	रिक्त	01.04.2014
40.	रा0इ0का0 पिण्डवाड़ा	रिक्त	29.03.2013

1	2	3	4
41.	रा०इ०का० सबधरखाल	रिक्त	21.01.2001
42.	रा०इ०का० दोन्दल	रिक्त	29.07.2006
43.	रा०इ०का० देवप्रयाग	रिक्त	31.07.2013
44.	रा०इ०का० मुच्छियाली	रिक्त	01.04.2013
45.	रा०इ०का० नाहसैण	रिक्त	01.04.2013
46.	रा०इ०का० बड़खोलू	रिक्त	10.09.1999
47.	रा०इ०का० कल्जीखाल	रिक्त	28.08.2011
48.	रा०इ०का० मवाधार	रिक्त	01.04.2014
49.	रा०इ०का० मुण्डनेश्वर	रिक्त	01.08.2009
50.	रा०इ०का० बिलखेत	रिक्त	01.02.2014
51.	रा०इ०का० दिउसी	रिक्त	01.07.2008
52.	रा०इ०का० पुरियाढांग	रिक्त	31.01.2009
53.	रा०इ०का० साकिनखेत	रिक्त	01.09.2009
54.	रा०इ०का० काण्डा	रिक्त	31.03.2014
55.	रा०इ०का० कटुली	रिक्त	05.08.2013
56.	रा०इ०का० खनेताखाल	रिक्त	22.10.2007
57.	रा०इ०का० बड़खेत	रिक्त	25.03.2009
58.	रा०इ०का० डुंगलगढ़ी	रिक्त	01.04.2012
59.	रा०इ०का० कर्तिया	रिक्त	22.08.2010
60.	रा०इ०का० रिखणीखाल	रिक्त	05.09.2012
61.	रा०इ०का० सिद्धखाल	रिक्त	23.01.2005
62.	रा०इ०का० डाबरी	रिक्त	22.09.2009
63.	रा०इ०का० मासौं (थलीसैंण)	रिक्त	01.04.2013
64.	रा०इ०का० मौंजखाल	रिक्त	14.08.2006
65.	रा०इ०का० त्रिपालीसैंण	रिक्त	25.01.2006

1	2	3	4
66.	रा0इ0का0 पैठाणी	रिक्त	08.07.2013
67.	रा0इ0का0 स्योली	रिक्त	17.08.2010
68.	रा0इ0का0 चाकीसैंण	रिक्त	01.04.2014
69.	रा0इ0का0 पौरीखाल	रिक्त	25.07.2008
70.	रा0इ0का0 बुलियारी	रिक्त	28.08.2005
71.	रा0इ0का0 चौंरा	नवीन उच्चीकृत	01.04.2013
72.	रा0इ0का0 उफरैखाल	नवीन उच्चीकृत	01.11.2010
73.	रा0इ0का0 कठुड़खाल	नवीन उच्चीकृत	04.10.2007
74.	रा0इ0का0 कपरोली	नवीन उच्चीकृत	01.01.2007
75.	रा0इ0का0 खण्ड–मल्ला	रिक्त	22.01.2009
76.	रा0इ0का0 बगवाड़ी	रिक्त	06.08.2011
77.	रा0इ0का0 काली	रिक्त	23.11.2005
78.	रा0इ0का0 बिडोली	रिक्त	19.09.2014
79.	रा0इ0का0 बिपलघाट	रिक्त	17.06.2006
80.	रा0इ0का0 पार्वी	रिक्त	30.11.2013
81.	रा0इ0का0 साकमरीण	रिक्त	31.03.2014
82.	रा0इ0का0 चन्देश्वर	रिक्त	22.07.2003
83.	रा0इ0का0 चौपड़ियू	नवीन उच्चीकृत	31.03.2013
84.	रा0इ0का0 गडिगाँव	रिक्त	31.03.2014
85.	रा0इ0का0 पोखड़ा	रिक्त	17.02.2010
86.	रा0इ0का0 सकनोलीखाल	रिक्त	31.03.2012
87.	रा0इ0का0 दमदेवल	रिक्त	30.09.2012
88.	रा0इ0का0 क्वार्क	रिक्त	01.02.2014
89.	रा0इ0का0 कालेश्वर	रिक्त	17.09.2013
90.	रा0इ0का0 निसणी	रिक्त	01.04.2014

1	2	3	4
91.	रा0इ0का0 उज्याड़ी	रिक्त	31.03.2014
92.	रा0इ0का0 धोबीघाट	रिक्त	31.12.2011
93.	रा0इ0का0 बल्ली	रिक्त	04.12.2011
94.	रा0इ0का0 कोठड़ीधांग	रिक्त	01.01.2013
95.	रा0इ0का0 माण्डई	रिक्त	01.01.2013
96.	रा0इ0का0 सुखरौं	रिक्त	01.04.2014
97.	रा0इ0का0 कगलखेत	रिक्त	17.07.2006
98.	रा0इ0का0 मठाली	रिक्त	20.08.2010
99.	रा0इ0का0 थल्दा	रिक्त	28.08.2010
100.	रा0इ0का0 सिद्धपुर	रिक्त	26.03.2011
101.	रा0इ0का0 सारी	रिक्त	27.01.2006
102.	रा0इ0का0 सौली–कौडिया	रिक्त	28.07.2009
103.	रा0इ0का0 जयहरीखाल	रिक्त	15.10.2008
104.	रा0इ0का0 अधारियाखाल	रिक्त	25.05.2013
105.	रा0इ0का0 कमान्दा	रिक्त	03.07.2012
106.	रा0इ0का0 खिरैरीखाल	रिक्त	20.12.2012
107.	रा0इ0का0 हल्दूखाल	रिक्त	01.04.2011
108.	रा0इ0का0 पटोटिया	नवीन उच्चीकृत	20.02.2014
109.	रा0इ0का0 पीपली	नवीन उच्चीकृत	16.11.2011
110.	रा0इ0का0 शंकरपुर	नवीन उच्चीकृत	08.05.2013

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 पैडूल	रिक्त	07.01.2013
2.	रा0बा0इ0का0 बीरौंखाल	रिक्त	09.04.2008
4.	रा0बा0इ0का0 तैन्सबौन	रिक्त	31.03.2014

जनपद रूद्रप्रयाग

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 फाटा	रिक्त	01.04.2013
2.	रा0इ0का0 ऊखीमठ	रिक्त	01.04.2014
3.	रा0इ0का0 पलद्वाड़ी	रिक्त	मई, 13
4.	रा0इ0का0 मक्कू	रिक्त	जुलाई, 14
5.	रा0इ0का0 नारायण कोटी	रिक्त	30.01.2014
6.	रा0इ0का0 मनसूना	रिक्त	अप्रैल, 11
7.	रा0इ0का0 दैड़ा	रिक्त	01 मई, 13
8.	रा0इ0का0 खुमेरा	रिक्त	31.03.2012
9.	रा0इ0का0 कोटमा	रिक्त	जुलाई, 09
10.	रा0इ0का0 परकण्डी	रिक्त	अप्रैल, 12
11.	रा0इ0का0 राऊँलेंक	रिक्त	01.04.2012
12.	रा0इ0का0 त्रियुगीनारायण	रिक्त	अप्रैल, 12
13.	रा0इ0का0 रामाश्रम	रिक्त	04.10.2012
14.	रा0इ0का0 कोटबांगर	रिक्त	01.04.2012
15.	रा0इ0का0 जवाड़ी	रिक्त	21.03.2014
16.	रा0इ0का0 तिलकनगर	रिक्त	31.07.2011
17.	रा0इ0का0 घंसारू बांगर	रिक्त	01.04.2012
18.	रा0इ0का0 बुढ़ना	रिक्त	15.06.2010
19.	रा0इ0का0 पांजणा	रिक्त	31.03.2011
20.	रा0इ0का0 जाखाल	रिक्त	31.03.2013
21.	रा0इ0का0 सौंराखाल	रिक्त	01.04.2012
22.	रा0इ0का0 क्वीलाखाल	रिक्त	31.03.2011
23.	रा0इ0का0 खरगेड़	रिक्त	01.04.2013

1	2	3	4
24.	रा0इ0का0 जयन्ती कोठियाड़ा	रिक्त	01.04.2012
25.	रा0इ0का0 मोठीं लस्या	रिक्त	31.03.2010
26.	रा0इ0का0 स्वीली-सेम	रिक्त	31.03.2010
27.	रा0इ0का0 तिमली बड़मा	रिक्त	01.04.2012
28.	रा0इ0का0 चन्द्रापुरी	रिक्त	31.03.2010
29.	रा0इ0का0 कण्डारा	रिक्त	31.03.2011
30.	रा0इ0का0 रतूड़ा	रिक्त	30.06.2010
31.	रा0इ0का0 बाड़ा	रिक्त	31.03.2010
32.	रा0इ0का0 नगरासू	रिक्त	01.04.2010
33.	रा0इ0का0 भीरी	रिक्त	31.03.2013
34.	रा0इ0का0 गणेशनगर	रिक्त	31.03.2014
35.	रा0इ0का0 मणिपुर	रिक्त	31.03.2011
36.	रा0इ0का0 चोपता	रिक्त	10.08.2010
37.	रा0इ0का0 मयकोटी	रिक्त	31.03.2013
38.	रा0इ0का0 काण्डई दशज्यूला	रिक्त	06.10.2009
39.	रा0इ0का0 क्यूजा	रिक्त	01.02.2012
40.	रा0इ0का0 लदोली	रिक्त	12.06.2013
41.	रा0इ0का0 टैंठी	रिक्त	01.08.2009
42.	रा0इ0का0 पीड़ा धनपुर	रिक्त	05.09.2009
43.	रा0इ0का0 भणज	रिक्त	31.08.2012
44.	रा0इ0का0 मयाली	नवीन उच्चीकृत	12.08.2013
45.	रा0इ0का0 कण्डाली जखोली	नवीन उच्चीकृत	31.03.2011

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 अगस्त्यमुनि	रिक्त	22.04.2010
2.	रा0बा0इ0का0 काण्डा भरदार	नवीन उच्चीकृत	04.03.2014

जनपद उत्तरकाशी

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 हर्षिल	रिक्त	2012 से
2.	रा0इ0का0 भटवाड़ी	रिक्त	2009 से
3.	रा0इ0का0 गोरसाली	रिक्त	2005 से
4.	रा0इ0का0 सौरा	रिक्त	उच्चीकरण 2009 से
5.	रा0इ0का0 गंगोरी	रिक्त	2013 से
6.	रा0इ0का0 भुरिटकसौड़	रिक्त	2010 से
7.	रा0इ0का0 जोशियाड़ा	रिक्त	2012 से
8.	रा0इ0का0 मातली	रिक्त	2010 से
9.	रा0इ0का0 श्रीकालखाल	रिक्त	2002 से
10.	रा0इ0का0 गडबरसाली	रिक्त	2013 से
11.	रा0इ0का0 कवा एट साली	रिक्त	2009 से
12.	रा0इ0का0 थाती धनारी	रिक्त	2008 से
13.	रा0इ0का0 बडेथ	रिक्त	2003 से
14.	रा0इ0का0 धौन्तरी	रिक्त	2002 से
15.	रा0इ0का0 कमद	रिक्त	उच्चीकरण 2005 से
16.	रा0इ0का0 गेंवला	रिक्त	2010 से
17.	रा0इ0का0 बौन पंजियाला	रिक्त	2010 से
18.	रा0इ0का0 मंजगाँव	रिक्त	2007 से
19.	रा0इ0का0 मालनाधार	रिक्त	2006 से
20.	रा0इ0का0 चिन्यालीसौड़	रिक्त	2008 से
21.	रा0इ0का0 जोगथ	रिक्त	2004 से
22.	रा0इ0का0 बनचोरा	रिक्त	2012 से
23.	रा0इ0का0 बल्डोगी	नवीन उच्चीकृत	2006 से

1	2	3	4
24.	रा0इ0का0 चपियारी	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014 से
25.	रा0इ0का0 खालसी	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2013 से
26.	रा0इ0का0 रौतल	नवीन उच्चीकृत	उच्चीकरण वर्ष 2013 से
27.	रा0इ0का0 कामदा	नवीन उच्चीकृत	उच्चीकरण वर्ष 2013 से
28.	रा0इ0का0 दिचली	नवीन उच्चीकृत	उच्चीकरण वर्ष 2013 से
29.	रा0इ0का0 बड़कोट	नवीन उच्चीकृत	2010 से
30.	रा0इ0का0 राजगढ़ी	रिक्त	मार्च, 2013 से
31.	रा0इ0का0 खरादी	रिक्त	मार्च, 2013 से
32.	रा0इ0का0 धनारीगाड	रिक्त	मार्च, 2012 से
33.	रा0इ0का0 गडोली	रिक्त	वर्ष 2008 से
34.	रा0इ0का0 गंगटाडी	रिक्त	वर्ष 2005 से
35.	रा0इ0का0 सरनौल	रिक्त	वर्ष 2009 से
36.	रा0इ0का0 नौगाँव	रिक्त	वर्ष 2008 से
37.	रा0इ0का0 कण्डारी	नवीन उच्चीकृत	उच्चीकरण वर्ष 2013 से
38.	रा0इ0का0 पुरोला	रिक्त	वर्ष 2008 से
39.	रा0इ0का0 डुण्डोली	रिक्त	वर्ष 2009 से
40.	रा0इ0का0 मोल्टाडी	रिक्त	वर्ष 2008 से
41.	रा0इ0का0 मोरी	रिक्त	वर्ष 2008 से
42.	रा0इ0का0 नैटवाड़	रिक्त	वर्ष 2008 से
43.	रा0इ0का0 टिकोची	रिक्त	वर्ष 2008 से
44.	रा0इ0का0 आराकोट	रिक्त	वर्ष 2008 से
45.	रा0इ0का0 जखोल	रिक्त	वर्ष 2008 से
46.	रा0इ0का0 दोणी	नवीन उच्चीकृत	वर्ष 2008 से
47.	रा0इ0का0 सांकरी	नवीन उच्चीकृत	वर्ष 2008 से

1	2	3	4
	बालिका विद्यालय		
1.	रा0बा0इ0का0 डुण्डा	रिक्त	2009
2.	रा0बा0इ0का0 बड़कोट	रिक्त	2008
3.	रा0बा0इ0का0 पुरोला	रिक्त	2009
4.	रा0बा0इ0का0 उत्तरकाशी	रिक्त	2011
5.	रा0बा0इ0का0 चिन्यालीसौड़	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 14

जनपद हरिद्वार

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 सलेमपुर	रिक्त	31.03.2011
2.	रा0इ0का0 इमलीखेड़ा	रिक्त	31.07.20110
3.	रा0इ0का0 लाठरदेवा हूण	नवीन उच्चीकृत	01.04.20114
4.	रा0इ0का0 खुन्जाबहादरपुर	नवीन उच्चीकृत	01.04.2014
5.	रा0इ0का0 पथरी	नवीन उच्चीकृत	01.04.2014
6.	रा0इ0का0 कासमपुर	नवीन उच्चीकृत	01.04.2014
7.	रा0इ0का0 सिकरौढा	नवीन उच्चीकृत	01.04.2014
8.	रा0इ0का0 पांढोवाली	नवीन उच्चीकृत	01.04.2014
9.	रा0इ0का0 निरंजनपुर	नवीन उच्चीकृत	01.09.2014
	बालिका विद्यालय		
1.	रा0बा0इ0का0 झबरेडा	रिक्त	30.06.2010
2.	रा0बा0इ0का0 मंगलौर	रिक्त	01.07.2006
3.	रा0बा0इ0का0 सिकरौढा	रिक्त	30.06.2010
4.	रा0बा0इ0का0 बुग्गावाला	रिक्त	31.03.2014
5.	रा0बा0इ0का0 भौरी, रुड़की	रिक्त	01.04.2014
6.	रा0बा0इ0का0 गुलाबशाहपीर, रामपुर	रिक्त	01.04.2014
7.	रा0क0इ0का0 सफीपुर	नवीन उच्चीकृत	01.04.2014

जनपद टिहरी

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	रिक्ति का वर्ष एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रा0इ0का0 अखोड़ी	रिक्त	30.06.2008
2.	रा0इ0का0 मटगाँव	रिक्त	30.06.2008
3.	रा0इ0का0 बिनकखाल	रिक्त	जून, 2012 से
4.	रा0इ0का0 डांगी नैलचामी	रिक्त	31.03.2011
5.	रा0इ0का0 पौढ़ीखाल	रिक्त	31.03.2011
6.	रा0इ0का0 धोपड़धार	रिक्त	31.03.2012
7.	रा0इ0का0 पुरोटीधार	रिक्त	अगस्त, 2010 से
8.	रा0इ0का0 कटूड़ हिन्दाव	रिक्त	31.03.2010
9.	रा0इ0का0 किरेथ कोमर	रिक्त	31.03.2013
10.	रा0इ0का0 कुमशिला मिलग	रिक्त	अगस्त, 2013 से
11.	रा0इ0का0 नौलबासर	रिक्त	अगस्त, 2009 से
12.	रा0इ0का0 पढ़ागली	रिक्त	अगस्त, 2009 से
13.	रा0इ0का0 पौखाल	रिक्त	अगस्त, 2009 से
14.	रा0इ0का0 नागेश्वर सौड़	रिक्त	जून, 2012 से
15.	रा0इ0का0 थाती बूढ़ाकेदार	रिक्त	अगस्त, 2009 से
16.	रा0इ0का0 ढैलानैलचामी	रिक्त	जुलाई, 2011 से
17.	रा0इ0का0 रानीचौरी	रिक्त	31.03.2014
18.	रा0इ0का0 बंगासूधार	रिक्त	अगस्त, 2009 से
19.	रा0इ0का0 बांगी मठियाण गाँव	रिक्त	31.03.2012
20.	रा0इ0का0 छपरापार	रिक्त	31.03.2012
21.	रा0इ0का0 डुंगीधार	रिक्त	31.03.2014
22.	रा0इ0का0 गजा	रिक्त	अगस्त, 2009
23.	रा0इ0का0 ज्ञानसू	रिक्त	अगस्त, 2009

1	2	3	4
24.	रा०इ०का० केशरबार नैथोल	रिक्त	अगस्त, 2011
25.	रा०इ०का० नागदेव पथल्द	रिक्त	अगस्त, 2009
26.	रा०इ०का० नागड़ी	रिक्त	31.03.2013
27.	रा०इ०का० नागराजधार बमुण्ड	रिक्त	अगस्त, 2006
28.	रा०इ०का० नकोट	रिक्त	अगस्त, 2009 से
29.	रा०इ०का० पांगर खाल	रिक्त	31.03.2012
30.	रा०प्र०इ०का० बौराड़ी नई टिहरी	रिक्त	30.06.2009
31.	रा०इ०का० श्रीदेव सुमन चम्बा	रिक्त	जुलाई, 2010 से
32.	रा०इ०का० बछेलीखाल	रिक्त	31.03.2012
33.	रा०इ०का० भल्लेगाँव	रिक्त	31.03.2012
34.	रा०इ०का० हिण्डोलाखाल	रिक्त	मार्च, 2012 से
35.	रा०इ०का० कुण्ड भरपूर खाल	रिक्त	31.03.2014
36.	रा०इ०का० लछुड़ीखाल	रिक्त	अप्रैल, 2009 से
37.	रा०इ०का० महड़धारी	रिक्त	31.03.2012
38.	रा०इ०का० मुन्नाखाल	रिक्त	31.03.2013
39.	रा०इ०का० रणसोली धार	रिक्त	31.03.2010
40.	रा०इ०का० सजवाण काण्डा	रिक्त	मार्च, 2014 से
41.	रा०इ०का० अंजनीसैण	रिक्त	अप्रैल, 2009 से
42.	रा०इ०का० घरेटीधार	रिक्त	अप्रैल, 2010 से
43.	रा०इ०का० चन्द्रेश्वर सैण	रिक्त	31.03.2013
44.	रा०इ०का० धारकोट	रिक्त	अप्रैल, 2012 से
45.	रा०इ०का० जाख्णीधार	रिक्त	अप्रैल, 2011 से
46.	रा०इ०का० कनेलधार	रिक्त	31.03.2012
47.	रा०इ०का० मदननेगी	रिक्त	06.06.2013
48.	रा०इ०का० रजाखेत	रिक्त	अप्रैल, 2009 से
49.	रा०इ०का० सिमण्डीधार	रिक्त	अप्रैल, 2006
50.	रा०इ०का० टिपीर	रिक्त	जुलाई, 2008
51.	रा०इ०का० बड़कोट	रिक्त	अप्रैल, 2014

1	2	3	4
52.	रा0इ0का0 कपरियाणीसैंण	रिक्त	अप्रैल, 2009 से
53.	रा0इ0का0 डुंग	रिक्त	अप्रैल, 2009 से
54.	रा0इ0का0 कफलोग	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014
55.	रा0इ0का0 बंगसील	रिक्त	अगस्त, 2009 से
56.	रा0इ0का0 भवान	रिक्त	31-03-2014
57.	रा0इ0का0 गरखेत	रिक्त	अगस्त, 2009 से
58.	रा0इ0का0 काटल	रिक्त	31-03-2013
59.	रा0इ0का0 केमटी	रिक्त	जुलाई, 2014
60.	रा0इ0का0 पुजारगाँव	रिक्त	अगस्त, 2013 से
61.	रा0इ0का0 श्रीकोट	रिक्त	जुलाई, 2012 से
62.	रा0इ0का0 नैनबाग	रिक्त	अगस्त, 2008 से
63.	रा0इ0का0 रंगडगाँव	रिक्त	अगस्त, 2012 से
64.	रा0इ0का0 थत्यूड़	रिक्त	अगस्त, 2013 से
65.	रा0इ0का0 म्याणी	रिक्त	जुलाई, 2009 से
66.	रा0इ0का0 दौंक	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014 से
67.	रा0इ0का0 क्यारी	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014 से
68.	रा0इ0का0 आनन्दचौक	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014 से
69.	रा0इ0का0 धारीडुण्डाशिर	रिक्त	31-03-2012
70.	रा0इ0का0 जखण्ड	रिक्त	अगस्त, 2013 से
71.	रा0इ0का0 नागराजाधार चिलेडी	रिक्त	31-03-2014
72.	रा0इ0का0 भैरयाऊ	रिक्त	अगस्त, 2011
73.	रा0इ0का0 फकोट	रिक्त	अगस्त, 2012 से
74.	रा0इ0का0 गुलरदोगी	रिक्त	31-03-2014
75.	रा0इ0का0 जाजल	रिक्त	31-03-2014
76.	रा0इ0का0 नौघर	रिक्त	जुलाई, 2011 से
77.	रा0इ0का0 पावकीदेवी	रिक्त	31-03-2014
78.	रा0इ0का0 रणाकोट	रिक्त	अगस्त, 2008 से
79.	रा0इ0का0 बेड़धार	रिक्त	जुलाई, 2013 से

1	2	3	4
80.	रा0इ0का0 बैरनी	रिक्त	सितम्बर, 2008 से
81.	रा0इ0का0 धेराधार	रिक्त	31-08-2013
82.	रा0इ0का0 तिमली	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014
83.	रा0इ0का0 मठियाली	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014
84.	रा0इ0का0 देवताधार ओण	रिक्त	वर्ष 2010 से
85.	रा0इ0का0 मालूखधार	रिक्त	31-03-2009
86.	रा0इ0का0 लम्बगाँव	रिक्त	01-04-2012
87.	रा0इ0का0 ओखलाखाल	रिक्त	अप्रैल, 2008
88.	रा0इ0का0 प्रतापनगर	रिक्त	31-03-2009
89.	रा0इ0का0 रौणद रमोली	रिक्त	अप्रैल, 2010
90.	रा0इ0का0 सिलारी	रिक्त	2009 से
91.	रा0इ0का0 थापला ओण	रिक्त	अगस्त, 2008 से
92.	रा0इ0का0 गरवाणगाँव	रिक्त	31-03-2011
93.	रा0इ0का0 तोलीसैण मुखेम	अगस्त	अगस्त, 2008 से
94.	रा0इ0का0 मिश्रवाणगाँव	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014
95.	रा0इ0का0 बगियाल	रिक्त	अप्रैल, 2008 से
96.	रा0इ0का0 वैरगणी पाली	रिक्त	01-04-2012
97.	रा0इ0का0 काण्डीखाल	रिक्त	31-03-2012
98.	रा0इ0का0 नागराजाधार नगूण	रिक्त	31-03-2013
99.	रा0इ0का0 छाम	रिक्त	अप्रैल, 2011 से
100.	रा0इ0का0 पैण्डखाल	रिक्त	अप्रैल, 2009 से
101.	रा0इ0का0 मंजकोट नगुण	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014
102.	रा0इ0का0 बाड़ा	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014

बालिका विद्यालय

1.	रा0बा0इ0का0 पम्मा	रिक्त	वर्ष, 2010 से
2.	रा0बा0इ0का0 बौराड़ी नई टि0	रिक्त	अप्रैल, 2012 से
3.	रा0बा0इ0का0 लम्बगाँव	रिक्त	अप्रैल, 2010 से
4.	रा0क0इ0का0 थत्यूड़	नवीन उच्चीकृत	मार्च, 2014 से

संलग्नक–1

विधान सभा प्रश्न संख्या–7 के सम्बन्ध में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपदवार व्यवस्था पर कार्यरत/सम्बद्ध शिक्षकों का विवरण

जनपद पौड़ी गढ़वाल

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था/सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री पंकज नैथानी	प्रवक्ता	रसायनवि०	रा०इ०का० सरस्वती सैंण, पौड़ी	रा०इ०का० सिमली, देहरादून	28.08.2014	क्रमांक–1 से 12 तक अंकित शिक्षकों को निदेशालय स्तर से नव उच्चीकृत विद्यालयों में कक्षा संचालन/विषय अध्यापन हेतु विभागीय अस्थायी तैनाती की गयी है।
2.	श्री राजीव आर्य	प्रवक्ता	नाग०शा०	रा०इ०का० दिवली, पौ०ग०	रा०इ०का० ज्वालापुर, हरिद्वार	28.08.2014	
3.	श्री रामकुमार	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० जोगीमढ़ी, पौ०ग०	रा०इ०का० कुआँबहादुरपुर [?], हरिद्वार	28.08.2014	
4.	श्री अरविन्द रावत	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० मरगई [?], पौ०ग०	रा०इ०का० नकुरी [?] जौनपुर, टिहरी	28.08.2014	
5.	श्री सौरभ घिल्डियाल [?]	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० कल्जीखाल, पौ०ग०	रा०इ०का० बुल्लावाला [?], देहरादून	28.08.2014	
6.	श्रीमती मुक्ता नेगी	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० कफलगाड़ी [?], पौ०ग०	रा०इ०का० [illegible], देहरादून	07.08.2014	
7.	श्रीमती कुसुम कठोरी [?]	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० पौड़ी	जनपद देहरादून	29.08.2014	
8.	श्रीमती संगीता घनाई	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० पौड़ी	जनपद देहरादून	29.08.2014	
9.	ऋचा गैरोला	स०अ० (एल०टी०)	गणित	रा०उ०मा०वि० बिलखेत [?], पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० भागवाली [?], देहरादून	24.08.2013	
10.	सुगन्धा बलोदी [?]	स०अ० (एल०टी०)	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० धरगा [?], पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० डोसनी [?], हरिद्वार	25.08.2013	
11.	श्री ओमकार सिंह	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० मुण्डनेश्वर, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० मीरपुर, हरिद्वार	28.08.2013	
12.	श्रीमती कविता	स०अ० (एल०टी०)	अंग्रेजी	रा०इ०का० चौबट्टा [?], पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० मुबारकपुर, हरिद्वार	25.08.2014	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	श्री कनक सिंह सिंगवाल	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा०इ०का० स्यूंसी तल्ली, पौ०ग०	रा०इ०का० मुण्डियाली, पौ०ग०	19.09.2014	क्रमांक–13 से 26 तक अंकित शिक्षकों को इस कार्यालय द्वारा नव उच्चीकृत विद्यालयों में कक्षा संचालन / विषय अध्यापन हेतु नितान्त अस्थायी तैनाती की गयी है।
14.	श्री एस०एल० बहुगुणा	प्रवक्ता	संस्कृत	रा०इ०का० पाबौ, पौड़ी	रा०इ०का० नरखोला, पौ०ग०	07.11.2014	
15.	श्री बीर सिंह	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० धुनियाली, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० मन्याखोली, पौ०ग०	21.05.2012	
16.	श्री मदन मोहन	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० तलसारीसैण पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० रिखी, पौ०ग०	26.03.2011	
17.	सुभागी भट्ट	स०अ० (एल०टी०)	विज्ञान	रा०बा०उ०मा०वि० बड़कोट, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० बगानीखाल, पौ०ग०	15.11.2011	
18.	रचना सिलवाल	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० धुनियाली, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० बगानीखाल, पौ०ग०	12.07.2012	
19.	पुष्पा नौटियाल	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० कालापुर, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० बगानीखाल, पौ०ग०	01.11.2011	
20.	श्री आनन्द प्रकाश नौटियाल	स०अ० (एल०टी०)	अंग्रेजी	रा०इ०का० खिर्सू, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० धीड़ू, पौ०ग०	13.06.2014	
21.	नीतू रावत	स०अ० (एल०टी०)	कला	रा०क०उ०मा०वि० लालपानी, पौ०ग०	रा०क०उ०मा०वि० लालपुर, पौ०ग०	28.06.2014	
22.	गीता रानी	स०अ० (एल०टी०)	कला	रा०बा०इ०का० चोपड़ा, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० कालिकाखाल, भरसोड़ू, पौ०ग०	20.09.2014	
23.	श्री जितेन्द्र देवराल	स०अ० (एल०टी०)	हिन्दी	रा०इ०का० कालूखेत, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० कालिकाखाल, भरसोड़ू, पौ०ग०	12.07.2014	
24.	श्री रजनीकान्त बड़थ्वाल	स०अ० (एल०टी०)	गणित	रा०इ०का० जामलाखाल पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० कण्डीचट, पौ०ग०	01.07.2014	
25.	श्री रमेश चन्द्र सेमवाल	स०अ० (एल०टी०)	सामान्य	रा०इ०का० टेकहवीरी,	रा०उ०मा०वि० चन्दूखाल, पौ०ग०	01.07.2014	
26.	श्री इम्तियाज अहमद	स०अ० (एल०टी०)	गणित	रा०इ०का० कालूखेत, पौ०ग०	रा०उ०मा०वि० बिलार्व, पौ०ग०	01.08.2014	

जनपद रूद्रप्रयाग

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था/सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री नरेन्द्र दत्त गौड़	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 बसुकेदार	रा0उ0मा0वि0 क्यार्क, बरसूड़ी	20.08.2014	नवीन राजकीयकृत विद्यालय संचालनार्थ
2.	श्री राधाकृष्ण नौटियाल	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 धौरी	रा0उ0मा0वि0 क्यार्क, बरसूड़ी	23.08.2014	-तदैव-
3.	श्री प्रदीप कुमार	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 भांजगा	रा0उ0मा0वि0 गैठाणा	04.08.2014	-तदैव-
4.	श्री शिवराज सिंह भण्डारी	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 कुहना लस्या	रा0उ0मा0वि0 खाँगी, भरदार	13.08.2014	-तदैव-
5.	श्री चन्द्रशेखर राम पटेल	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 डौला	रा0उ0मा0वि0 पाला, कुराली	22.08.2014	-तदैव-
6.	श्री देवी प्रसाद शर्मा	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 रूद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 गबनी	11.08.2014	-तदैव-
7.	श्री गया लाल	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 म्वालखाल	रा0उ0मा0वि0 बधीर	20.10.2011	-तदैव-
8.	श्री राकेश मोहन कण्डारी	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 पनकोट	रा0उ0मा0वि0 गंधारी	13.08.2011	-तदैव-
9.	श्री मनमोहन बमोला	सहायक अध्यापक		रा0इ0का0 कैलाशबांगर	रा0उ0मा0वि0 किरोड़ा	16.03.2011	-तदैव-
10.	श्रीमती भुवनेश्वरी मनवानी	प्रवक्ता		रा0इ0का0 त्रियुगीनारायण	रा0इ0का0 कण्डारी	25.08.2014	-तदैव-
11.	श्री विजय बमोला	प्रवक्ता		रा0इ0का0 मणिपुर	रा0इ0का0 फाटलीसार	30.08.2014	-तदैव-
12.	श्री कैलाश चन्द्र बहुगुणा	प्र0अ0		रा0इ0का0 अगस्त्यमुनि	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून	09.08.2010	-तदैव-
13.	श्री सुशील नेगी	प्रवक्ता		रा0इ0का0 सौराखाल	रा0इ0का0 कण्डारी	पूर्व विद्यालय में वापस दि0 25.11.14 से	-तदैव-
14.	श्री राजेश प्रसाद पुरोहित	प्रवक्ता		रा0इ0का0 बसुकेदार	रा0इ0का0 फाटलीसार	03.08.2014	-तदैव-
15.	श्री अमित गोस्वामी	स0अ0		रा0इ0का0 स्यूंसार लस्या	रा0उ0मा0वि0 क्यार्क, बरसूड़ी	02.09.2014	-तदैव-

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	श्री अंकित जोशी	प्रवक्ता		रा०इ०का० [illegible]	रा०इ०का० [illegible], देहरादून	24.08.2014	–तदैव–
17.	श्रीमती मीनू चौधरी	स०अ०		रा०इ०का० [illegible]	रा०इ०का० [illegible], देहरादून	24.08.2014	–तदैव–
18.	श्रीमती [illegible] रावत	प्रवक्ता		रा०बा०इ०का० [illegible]	रा०बा०इ०का० [illegible] टिहरी	20.08.2014	–तदैव–
19.	श्री सुखदेव प्रसाद	प्रवक्ता		रा०इ०का० [illegible]	रा०इ०का० [illegible]	मूल विद्यालय को वापस	–तदैव–

जनपद चमोली

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था/ सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री [illegible] सिंह,	स०अ० एल०टी०	हिन्दी	रा०इ०का० [illegible], चमोली	रा०उ०मा०वि० [illegible], चमोली	05.08.14	
2.	श्री [illegible] लाल	स०अ० एल०टी०	सामान्य	रा०इ०का० [illegible], सिनाई, चमोली	रा०इ०का० उर्गम, चमोली	05.08.14	
3.	श्री बचन सिंह [illegible],	स०अ० एल०टी०	सामान्य	रा०इ०का० [illegible], चमोली	रा०उ०मा०वि० [illegible], चमोली	05.08.14	
4.	श्री [illegible] प्रसाद [illegible]	स०अ० एल०टी०	सामान्य	रा०इ०का० कनखुल, चमोली	रा०उ०मा०वि० [illegible], देवाल, चमोली	05.08.14	
5.	श्री अनुसूया प्रसाद गौड़	स०अ० एल०टी०	गणित	रा०इ०का० [illegible], चमोली	रा०उ०मा०वि० [illegible], चमोली	05.08.14	
6.	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	स०अ० एल०टी०	गणित	रा०इ०का० [illegible], चमोली	रा०उ०मा०वि० [illegible], चमोली	05.08.14	
7.	डॉ० [illegible] प्रसाद [illegible]	स०अ० एल०टी०	सामान्य	रा०इ०का० [illegible], चमोली	रा०इ०का० [illegible], चमोली	05.08.14	
8.	श्रीमती [illegible] पुरोहित	स०अ० एल०टी०	सामान्य	रा०इ०का० [illegible], चमोली	रा०इ०का० नन्दप्रयाग, चमोली	05.08.14	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री बलवीर सिंह बुटोला	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 कण्डवालगाँव चमोली	रा0उ0मा0वि0 कुनखुंग, चमोली	05.08.14	
10.	श्री नरेन्द्र सिंह गुसाईं	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 अरोड़ सिमली, चमोली	रा0इ0का0 महालगवगड़, चमोली	05.08.14	
11.	श्री दीवान सिंह कठैत	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 अरोड़ सिमली, चमोली	रा0उ0मा0वि0 कुनखुंग, चमोली चमोली	05.08.14	
12.	श्री परमेन्द्र सिंह नेगी	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 बांजबगड़ चमोली	रा0उ0मा0वि0 घाटीबेटी, चमोली	05.08.14	
13.	श्री महेश चन्द्र किमोठी	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 नन्दानगर, चमोली	रा0उ0मा0वि0 सलना, चमोली	05.08.14	
14.	श्री अनिल कुमार	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 निजमुला, चमोली	रा0इ0का0 नन्दप्रयाग चमोली	05.08.14	
15.	श्री मोहन प्रसाद खण्डूड़ी	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 सिमली, चमोली	रा0इ0का0 घिंघ्याल, चमोली	05.08.14	
16.	श्री आर0एस0 नेगी	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0उ0मा0वि0 सिलनाथ, चमोली	रा0उ0मा0वि0 कोठगा, चमोली	05.08.14	
17.	श्रीमती दमयन्ती	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 हरमनी, चमोली	रा0उ0मा0वि0 मैठाणा, चमोली	05.08.14	
18.	श्री सुनील कुमार	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 हरमनी, चमोली	रा0उ0मा0वि0 देवलधार, चमोली	05.08.14	
19.	श्रीमती अंजना नेगी	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 रैंस चोपता, चमोली	रा0उ0मा0वि0 कौलना, चमोली	12.07.12	
20.	श्री सुशील चन्द्र सेमवाल	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0उ0मा0वि0 कण्डवालगाँव चमोली	रा0उ0मा0वि0 नवगाँव, चमोली	23.04.12	
21.	श्री किशोर प्रसाद देवली	प्रवक्ता	भौ0वि0	रा0इ0का0 देवीखेत, चमोली	रा0इ0का0 सरपोला, चमोली	28.08.14	
22.	श्रीमती उषा बिष्ट	प्रवक्ता	रसा0वि0	रा0इ0का0 कल्याणपुर चमोली	रा0इ0का0 गडकोट, टिहरी	26.08.14	

जनपद देहरादून

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था/सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीमती शैलेन्द्री	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 कुल्हाल, देहरादून	20.10.2014	
2.	श्रीमती मीनू चौधरी	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 धर्मपुर, देहरादून	20.10.2014	
3.	श्रीमती आभा गैरोला?	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 [illegible], पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	20.10.2014	
4.	श्री अरविन्द शुक्ला	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 गोमुख, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	20.10.2014	
5.	श्रीमती [illegible] सिंह	स0अ0 एल0टी0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 भटवाड़ी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	22.10.2014	
6.	श्रीमती संगीता घनाई?	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 पौड़ी	कार्यालय मु0शि0अ0, देहरादून	22.10.2014	
7.	श्रीमती कुसुम कठोली?	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 पौड़ी	कार्यालय मु0शि0अ0, देहरादून	22.10.2014	
8.	श्रीमती नीमा जोशी?	स0अ0 एल0टी0	—	रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	रा0इ0का0 [illegible], देहरादून	20.10.2014	
9.	श्रीमती मुक्ता गौड़	स0अ0 एल0टी0	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	20.10.2014	
10.	श्री आनन्द प्रकाश नैथानी	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	05.11.2014	
11.	श्री गिरीश रावत?	स0अ0 एल0टी0	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	रा0उ0मा0वि0 धर्मपुर, देहरादून	21.10.2014	
12.	श्रीमती अंजू श्रीवास्तव	स0अ0 एल0टी0	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 अटाल?, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 धर्मपुर, देहरादून	18.10.2014	
13.	श्रीमती [illegible]	स0अ0 एल0टी0	कला	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	27.08.2014	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	श्री राजेन्द्र कुमार चौबे	स०अ० एल०टी०	सा०वि०	रा०इ०का० इठारना, देहरादून	रा०उ०मा०वि० भगवन्तपुर, देहरादून	27.08.2014	
15.	श्री देव प्रकाश बडोनी	स०अ० एल०टी०	गणित	रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून	रा०उ०मा०वि० भगवन्तपुर, देहरादून	28.08.2014	
16.	श्रीमती शान्ति बिष्ट	स०अ० एल०टी०	कला	रा०उ०मा०वि० खरोड़ा, देहरादून	रा०उ०मा०वि० भगवन्तपुर, देहरादून	27.08.2014	
17.	श्रीमती मंजू नौटियाल	स०अ० एल०टी०	कला	रा०इ०का० नागथात, देहरादून	रा०उ०मा०वि० कुल्हाल, देहरादून	25.08.2014	
18.	श्री गोविन्द सिंह चौहान	स०अ० एल०टी०	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० बिरसौन, देहरादून	रा०उ०मा०वि० गोरखा, देहरादून	27.08.2014	
19.	श्री अनिल जोशी	प्रवक्ता	रा०शा०	रा०इ०का० नावघाट, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० माजरी माफी, देहरादून	22.10.2014	
20.	श्रीमती वनिता शाह	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० पुरोला, उत्तरकाशी	रा०बा०इ०का० हरिपुर कालसी, देहरादून	20.10.2014	
21.	श्रीमती अनिता बहुगुणा	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० इकबालपुर, हरिद्वार	रा०बा०इ०का० हरिपुर कालसी, देहरादून	22.10.2014	
22.	श्रीमती मुक्ता गौड़	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० कलालघाटी, पौड़ी	रा०बा०इ०का० बल्लूपुरी, कौलागढ़ देहरादून	22.10.2014	
23.	श्री अवनीश उनियाल	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० सत्यों, टिहरी	रा०इ०का० माजरीमाफी, देहरादून	22.10.2014	
24.	श्री श्यामलाल शर्मा	प्रवक्ता	[illegible]	रा०इ०का० कालसी, देहरादून	रा०इ०का० दसऊ, चकराता देहरादून	16.08.2014	
25.	श्री ऋषिपाल सिंह	प्रवक्ता	हिन्दी	रा०इ०का० पण्डितवाड़ी, देहरादून	रा०इ०का० कटापत्थर देहरादून	16.08.2014	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0 माजरीग्रांट, देहरादून	रा0इ0का0 माजरीमाफी, देहरादून	17.08.2014	
27.	श्री शिवचरण बडोनी	प्रवक्ता	—	रा0इ0का0 [illegible], देहरादून	रा0इ0का0 टिमली, विकासनगर, देहरादून	25.08.2014	
28.	श्रीमती कल्पना	प्रवक्ता	—	रा0इ0का0 नागथात, देहरादून	रा0इ0का0 टिमली विकासनगर, देहरादून	18.08.2014	
29.	श्री योगेन्द्र पाल सिंह	प्रवक्ता	संस्कृत	रा0इ0का0 साहिया, देहरादून	रा0इ0का0 दसऊ चकराता देहरादून	01.09.2014	
30.	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0 तिलवाड़, देहरादून	रा0इ0का0 कैराड़ चकराता, देहरादून	09.09.2014	
31.	श्री विष्णु प्रसाद भट्ट, प्रवक्ता भौतिक	प्रवक्ता	भौतिक	रा0इ0का0 लखवाड़	रा0इ0का0 बुरांसखण्डा, रायपुर देहरादून	17.08.2014	
32.	कु0 श्रद्धा जौहरी	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	रा0बा0इ0का0 साहिया, देहरादून	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कालसी, देहरादून	17.08.2014	
33.	श्री महेन्द्र बिष्ट	प्रवक्ता	—	रा0इ0का0 क्वांसी	रा0इ0का0 टिमली, देहरादून	16.08.2014	
34.	श्री संतराम सैनी	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0 क्वानू	रा0इ0का0 कटापत्थर विकासनगर देहरादून	16.08.2014	
35.	श्री दिव्यराज बहुगुणा	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0 बाड़वाला, देहरादून	रा0इ0का0 टिमली, देहरादून	18.08.2014	
36.	प्रीति चौधरी	प्रवक्ता	—	रा0इ0का0 कालसी,	रा0इ0का0 टिमली, देहरादून	16.08.2014	
37.	श्री दिनेश चौहान	प्रवक्ता	—	रा0इ0का0 नागथात	रा0इ0का0 दसऊ, देहरादून	27.08.2014	
38.	श्री ओम सिंह चौधरी	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0 लाखामण्डल, देहरादून	रा0इ0का0 दसऊ, देहरादून	28.10.2014	

जनपद हरिद्वार

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था/सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री सुधीर चन्द	स०अ०	सामान्य	रा०इ०का० भेल	रा०उ०मा०वि० आन्नेकी	20.08.2014	
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार	स०अ०	व्यायाम	रा०बा०इ०का० [illegible]	रा०उ०मा०वि० भागपुर	20.08.2014	
3.	डॉ० जीतेन्द्र कुमार	स०अ०	वाणिज्य	रा०इ०का० भेल	रा०उ०मा०वि० [illegible]	20.08.2014	
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार	स०अ०	—	रा०उ०मा०वि० [illegible]	रा०उ०मा०वि० पीतपुर	20.08.2014	
5.	श्री सतीश सैनी	स०अ०	विज्ञान	रा०इ०का० भेल	रा०उ०मा०वि० गढ़मीरपुर	20.08.2014	
6.	श्री विनोद कुमार	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० लालढांग	रा०उ०मा०वि० संधीपुर	20.08.2014	
7.	श्री सुमित कुमार	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० भेल	रा०इ०का० कासमपुर	20.08.2014	
8.	श्री महेश सिंह	स०अ०	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० लोढ़ी शिकोहपुर	रा०उ०मा०वि० ढेलना	20.08.2014	
9.	श्री गोपालकृष्ण शर्मा	प्रधानाध्यापक	—	रा०उ०मा०वि० भौरापुरी भौरी	रा०बा०इ०का० भौरी	20.08.2014	
10.	श्रीमती उर्मिला चन्दोला	प्रधानाध्यापिका	—	रा०बा०उ०मा०वि० चन्द्रपुरी	रा०बा०इ०का० गुलाब शाहपीर रामनगर	20.08.2014	
11.	श्री शैलेन्द्र गौड़	स०अ०	गणित	रा०बा०उ०मा०वि० चन्द्रपुरी	रा०उ०मा०वि० अकबरपुर झांडेकी	20.08.2014	
12.	श्री जीतेन्द्र कुमार	स०अ०	गणित	रा०उ०मा०वि० [illegible]	रा०उ०मा०वि० कबूलपुर पटी	20.08.2014	
13.	श्री हरिनारायण सिंह	स०अ०	गणित	रा०उ०मा०वि० कुआंखेड़ा कला	रा०उ०मा०वि० मुबारिकपुर	20.08.2014	
14.	श्री राजकुमार सैनी	स०अ०	गणित	रा०इ०का० लम्बौता	रा०उ०मा०वि० [illegible]	20.08.2014	
15.	श्री जगपाल सिंह	स०अ०	सामान्य	रा०उ०मा०वि० संजीपुर	रा०उ०मा०वि० बन्दाखेड़ी	20.08.2014	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	श्री पंकज प्रकाश	स०अ० 1	कला	रा०उ०मा०वि० सिमरा भागीरथ	रा०उ०मा०वि० टाण्डा बनोड़ा	20.08.2014	
17.	श्री शिवकुमार	स०अ०	कृषि	रा०उ०मा०वि० रामनगर	रा०उ०मा०वि० टिकोला कलां	20.08.2014	
18.	श्रीमती तबस्सुम	स०अ०	कला	रा०उ०मा०वि० निजामपुर	रा०क०उ०मा०वि० लखनौता	20.08.2014	

जनपद उत्तरकाशी

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था / सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीमती रिंकू	प्रवक्ता	संस्कृत	रा०बा०इ०का० डुण्डा, उत्तरकाशी	रा०बा०इ०का० चिन्यालीसौड़	12.07.2014	
2.	श्री रमेश कुमार	प्रवक्ता	राजनीतिशास्त्र	रा०इ०का० बन्धोगी, उत्तरकाशी	रा०बा०इ०का० धनियारी, उत्तरकाशी	14.07.2014	
3.	श्री कृष्ण मोहन भट्ट	प्रवक्ता	संस्कृत	रा०बा०इ०का० डुण्डा, उत्तरकाशी	रा०इ०का० मातली, उत्तरकाशी	14.07.2014	
4.	श्री धर्मेन्द्र सिंह भण्डारी	प्रवक्ता	[illegible]	रा०इ०का० [illegible], उत्तरकाशी	रा०इ०का० बड़ेथी [illegible], उत्तरकाशी	12.07.2014	
5.	श्री ओम प्रकाश बडोनी प्रवक्ता भौतिकी	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० हर्षिल, उत्तरकाशी	रा०इ०का० धौंतरी, उत्तरकाशी	12.07.2014	
6.	श्री अरुण [illegible]	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० जोगथ, उत्तरकाशी	रा०इ०का० दिचली, उत्तरकाशी	14.07.2014	
7.	श्री दिनेश सिंह चौहान	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० दिकोली, उत्तरकाशी	रा०इ०का० दोणी, उत्तरकाशी	21.07.2014	
8.	श्री ओम प्रकाश चौहान	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा०इ०का० नैटवाड़ मोरी, उत्तरकाशी	रा०इ०का० सांकरी, उत्तरकाशी	12.07.2014	
9.	श्री मदन सिंह पंवार	प्रवक्ता	इतिहास	रा०इ०का० दिकोली, उत्तरकाशी	रा०इ०का० दिचली, उत्तरकाशी	19.08.2014	
10.	श्री मुरारी प्रसाद नौटियाल	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० बार्शिगाड़ी, उत्तरकाशी	रा०इ०का० पुरोला, उत्तरकाशी	19.07.2014	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री अनिल मोहन भट्ट	प्रवक्ता	जी0वि0	रा0इ0का0 कोठार गमरी, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 मानपुर, उत्तरकाशी	17.07.2014	
12.	श्री राकेश चन्द्र राणा	स0अ0 एल0टी0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 [illegible], उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 उतरौं, उत्तरकाशी	12.07.2014	
13.	श्री परवीन सिंह राणा	स0अ0 एल0टी0	कला	रा0उ0मा0वि0 डाडा, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], उत्तरकाशी	17.07.2014	
14.	श्री रणवीर सिंह	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 बनचौरा, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 सूरी, उत्तरकाशी	15.07.2014	
15.	श्री सतीश चन्द्र [illegible]	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 कोट्यालगमरी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 बगोरी, उत्तरकाशी	16.07.2014	
16.	श्री चन्द्रमणि नौटियाल	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 कोट्यालगमरी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], उत्तरकाशी	12.07.2014	
17.	श्री दिनेश रमोला	स0अ0 एल0टी0	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 नागणी गमरी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], उत्तरकाशी	12.08.2014	
18.	श्री राम लाल	स0अ0 एल0टी0	गणित	रा0इ0का0 मझगाँव, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], उत्तरकाशी	05.08.2014	
19.	श्री राजू सिंह	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0उ0वि0 [illegible], उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], उत्तरकाशी	अप्रैल, 2010	
20.	श्री महेश चन्द्र रमोला	स0अ0 एल0टी0	सामान्य	रा0इ0का0 [illegible], उत्तरकाशी	रा0पू0मा0वि0 [illegible] उत्तरकाशी	मई, 2011	
21.	श्रीमती शैलेन्द्री	स0अ0 एल0टी0	—	रा0बा0इ0का0 उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 कुल्हान, देहरादून	25.08.2014	
22.	श्रीमती अल्का सिंह	स0अ0 एल0टी0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 [illegible], उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 [illegible], देहरादून	25.08.2014	

जनपद टिहरी

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर तैनाती विद्यालय का नाम	व्यवस्था/सम्बद्धीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी	प्रवक्ता	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० बागी, मठियाणगांव	रा०इ०का० गैर	21.10.2014	
2.	श्री रवीन्द्र सिंह राणा	प्रवक्ता	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० पवेली कणाड़	रा०इ०का० थौक	21.10.2014	
3.	श्री जगदम्बा प्रसाद सेमवाल	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा०इ०का० टिहरी	रा०इ०का० मखुड़ी	21.10.2014	
4.	श्रीमती ममता	प्रवक्ता	जी०वि०	रा०इ०का० कातल	रा०इ०का० थौक	21.10.2014	
5.	श्री निरंजन सिंह बिष्ट	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० कुण्डमगुसाल	रा०इ०का० कंगुड़ाखाल	07.08.2014	
6.	श्री सौभागी कुमार	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० लसुड़ीखाल	रा०इ०का० नवनागकणध	07.08.2014	
7.	श्री भगवान विजल्वाण	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० बैली	रा०इ०का० छाम	07.08.2014	
8.	श्री विश्वनाथ भट्ट	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० बैली	रा०इ०का० मठियाली	07.08.2014	
9.	श्री विजयपाल सिंह चौहान	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० कोटी अनुष्का	रा०इ०का० कमलोग	07.08.2014	
10.	श्रीमती पुष्पा चौहान	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० धौड़ी	रा०इ०का० थौक	07.08.2014	
11.	श्री नरेन्द्र भट्ट	प्रवक्ता	हिन्दी	रा०इ०का० नकोट	रा०इ०का० गैर	14.08.14	
12.	श्री विनोद नौटियाल	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० पांगरखाल	रा०इ०का० आनन्दचौक	14.08.14	
13.	श्रीमती मन्जू चौहान	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०बा०इ०का० चम्बा	रा०बा०इ०का० धनगुड़	14.08.14	
14.	श्री जयराम कुड़ियाल	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० नैखर पालकोट	रा०इ०का० गैर	14.08.14	
15.	श्रीमती मंजू चौहान	प्रवक्ता	भौ०वि०	रा०इ०का० नैण्डखाल	रा०इ०का० तौलु की बेली	14.08.14	
16.	श्री संतोष भट्ट	प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का० सैनपानी	रा०इ०का० टिपरी	14.08.14	

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	श्रीमती डॉ0 नीतू नवलियाल	प्रवक्ता	हिन्दी	रा0इ0का0 बडेथ	रा0इ0का0 मसूरी	14.08.14	
18.	डॉ0 अम्बरीश चन्द्र चमोली	प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0 चोपड़ाधार	रा0इ0का0 थानाकरी	14.08.14	
19.	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	प्रवक्ता	भौतिक	रा0इ0का0 कटखेत गगुल	रा0इ0का0 थांकर	14.08.14	
20.	श्री नरेन्द्र प्रसाद बंगवाल	प्रवक्ता	नागरिकशास्त्र	रा0इ0का0 डिमरियासार	रा0इ0का0 तिमली	14.08.14	
21.	श्री राम सिंह चौहान	प्रवक्ता	हिन्दी	रा0इ0का0 भीतवार	रा0इ0का0 टौंक	14.08.14	
22.	श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	रा0इ0का0 नागराजाधार टिहरी	रा0इ0का0 मंजकोट चौरास	14.08.14	
23.	श्रीमती ऐंजी मद्र	स0अ0	भाषा	रा0इ0का0 रयाकोट, टि0ग0	रा0उ0मा0वि0 रिंगालगढ़, टि0ग0	21.10.14	
24.	श्री सुनील कुमार	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 पीरमारी	रा0उ0मा0वि0 घटोली, टि0ग0	21.10.14	
25.	श्री मायाराम चमोली	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 महानी	रा0उ0मा0वि0 रिंगालगढ़, टि0ग0	21.10.14	
26.	श्री उमेश कुमार सिंह	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 रणाकोट	रा0उ0मा0वि0 गवनी, नरेन्द्रनगर	07.08.2014	
27.	श्री नीरेन्द्र लाल	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 पेटवार	रा0उ0मा0वि0 नजिकाड़ी, नरेन्द्रनगर	07.08.2014	
28.	श्री भगवान सिंह	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 आमखेतपुट	रा0उ0मा0वि0 पीपलियाल, कीर्तिनगर	07.08.2014	
29.	श्री चन्द्र कुमार कश्यप	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 कपूतार	रा0उ0मा0वि0 मैगली ऐथल, जाखणीधार	07.08.2014	
30.	श्री रमाशंकर प्रसाद	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 बोंगीधार	रा0उ0मा0वि0 टोल गडुर, देवप्रयाग	07.08.2014	
31.	श्री राजशंकर कुशवाह	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 भीकोट	रा0उ0मा0वि0 कण्डा जाल, जौनपुर	07.08.2014	
32.	श्री महमूद हसन	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 नरसीत	रा0उ0मा0वि0 गुटगांव, जौनपुर	07.08.2014	
33.	श्री धर्मेन्द्र राणा	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 जामणीत	रा0उ0मा0वि0 उनालगांव, पट्टा, प्रतापनगर	07.08.2014	

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 गातुखाल	रा0उ0मा0वि0 चौटना (रमसा के अन्तर्गत) प्रतापनगर	07.08.2014	
35.	श्री चन्दन सिंह बिष्ट	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 डीण्ड रमोली	रा0उ0मा0वि0 कोटी प्रतापनगर	07.08.2014	
36.	श्री धनराज	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 बापलाखेत	रा0उ0मा0वि0 मिलनीधार प्रतापनगर	07.08.2014	
37.	श्री सुरेश कुमार	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 बापलाखेत	रा0उ0मा0वि0 बौंठी, प्रतापनगर	07.08.2014	
38.	श्री संतोष कुमार वर्मा	स0अ0	कृषि	रा0इ0का0 नागेश्वरसौड़	रा0उ0मा0वि0 दोगी, रमसा, भिलंगना	07.08.2014	
39.	श्री गिरीश कुमार उपाध्याय	स0अ0	कला	रा0इ0का0 देवली	रा0उ0मा0वि0 बडीर, नरेन्द्रनगर	13.08.14	
40.	श्री गौतम रावत	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 कसूर	रा0उ0मा0वि0 बडीर, नरेन्द्रनगर	13.08.14	
41.	श्रीमती अलका बलूनी	स0अ0	भाषा	रा0इ0का0 नाग0 मगुण्ड	रा0उ0मा0वि0 बैराईगीत, नरेन्द्रनगर	13.08.14	
42.	श्री विनोद पसारी	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 डांगी गैरसाणी	रा0उ0मा0वि0 कण्डोली, कीर्तिनगर	13.08.14	
43.	श्री भेरवान सिंह बिष्ट	स0अ0	कला	रा0इ0का0 कफुलर	रा0उ0मा0वि0 लासीवाल, जाखणीधार	13.08.14	
44.	श्री बांके लाल भट्ट	स0अ0	भाषा	रा0इ0का0 रमोलीसैंण	रा0उ0मा0वि0 बागी बगवाड़, देवप्रयाग	13.08.14	
45.	श्री चवनी वल्लभ मलासी	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 नौनीखाल	रा0उ0मा0वि0 लखनौली, देवप्रयाग	13.08.14	
46.	श्री रिपुदमन सिंह नेगी	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 सिमलीधार	रा0उ0मा0वि0 बरसोली, देवप्रयाग	13.08.14	
47.	श्री पुनीत उनियाल	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 शिवालीधार	रा0इ0का0 बरसोली	13.08.14	
48.	श्रीमती विनीता उनियाल	स0अ0	कला	रा0इ0का0 किनकखाल	रा0उ0मा0वि0 लखनौली	13.08.14	
49.	श्री देव सिंह नेगी	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 मदननेगी	रा0उ0मा0वि0 तुंगोली, चम्बा	13.08.14	
50.	श्रीमती कादम्बरी बिष्ट	स0अ0	व्यायाम	रा0इ0का0 कीर्तीखाल	रा0उ0मा0वि0 तुंगोली, चम्बा	13.08.14	

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	श्री अनिल कुमार	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 ठेला गैलखानी	रा0उ0मा0वि0 रणोगी, जौनपुर	13.08.14	
52.	श्रीमती सीमा नौटियाल	स0अ0	कला	रा0इ0का0 धोळागुरी	रा0उ0मा0वि0 भटोली, जौनपुर	13.08.14	
53.	श्री मनोहर सिंह	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 काटल	रा0उ0मा0वि0 भटोली, जौनपुर	13.08.14	
54.	श्री जबर सिंह नेगी	स0अ0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 बीराड़ी	रा0उ0मा0वि0 रिंगालगढ़, जौनपुर	13.08.14	
55.	श्रीमती रेखा सेमवाल	स0अ0	विज्ञान	रा0इ0का0 डांगचौरा	रा0उ0मा0वि0 कुमाल्डा, जौनपुर	13.08.14	
56.	श्री आनन्द सिंह चौहान	स0अ0	व्यायाम	रा0इ0का0 देवलसारी	रा0उ0मा0वि0 कुमाल्डा, जौनपुर	13.08.14	
57.	श्री शिवराज सिंह रावत	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 सिलकितोलार	रा0उ0मा0वि0 कुमाल्डा, जौनपुर	13.08.14	
58.	श्री शिव प्रसाद असवाल	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 भवान	रा0उ0मा0वि0 रानपुर	13.08.14	
59.	श्री गिरीश कोटियाल	स0अ0	कला	रा0इ0का0 खरसाड़ी	रा0उ0मा0वि0 टोस	13.08.14	
60.	श्री आनन्द सिंह रावत	स0अ0	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 खोला कफलकोट	रा0उ0मा0वि0 बरसोली, देवप्रयाग	13.08.14	
61.	श्रीमती पुष्पा बर्त्वाल	स0अ0	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 खोला कफलकोट	रा0उ0मा0वि0 रिंगालगढ़ जौनपुर	13.08.14	
62.	श्री त्रिभुवन प्रकाश	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 पलेठी, बनगढ़	रा0उ0मा0वि0 बनाणा	13.08.14	
63.	श्री मनोहर लाल शाह	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 बाडी भुड़केटल	रा0उ0मा0वि0 कांगड़ा	13.08.14	
64.	श्री सतेश्वर पैन्यूली	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 कुमीला बिलगा	रा0उ0मा0वि0 कांगड़ा	13.08.14	
65.	श्री भगवान सिंह राणा	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 सन्निधानसौड़	रा0उ0मा0वि0 भेलदा	13.08.14	
66.	श्री सुनील कुमार	स0अ0	शि/शा	रा0इ0का0 पैन्यारी	रा0उ0मा0वि0 खरसा	13.08.14	
67.	श्री किशोर लाल जोशी	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 सिलोग डांडा, टि0ग0	रा0उ0मा0वि0 दुवला, जौनपुर	01.09.14	

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	श्री पवन सिंह नेगी	स0अ0	भाषा	रा0उ0मा0वि0 [illegible]	रा0इ0का0 भोलगढ़, नई टिहरी, टि0ग0	21.10.14	
69.	श्री अरविन्द उनियाल	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 नागदेव पथ[illegible]	रा0उ0मा0वि0 सैंदुल की बेली जौनपुर, टि0ग0	31 जुलाई, 2010	
70.	श्री कुलबीर सिंह राणा	स0अ0	विज्ञान	रा0इ0का0 सैण्ड रतोली	रा0उ0मा0वि0 सैंदुल की बेली जौनपुर, टि0ग0	06 अगस्त, 2010	
71.	श्री धनेन्द्र सिंह राणा	स0अ0 अंग्रेजी	अंग्रेजी	रा0इ0का0 डांगी नैलचामी	रा0उ0मा0वि0 सौड़ाल–भिलंगना, टि0ग0	11 अगस्त, 2010	
72.	श्री जीतपाल चन्द रमोला	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 बनियाल	रा0उ0मा0वि0 कौशल–कीर्तिनगर, टि0ग0	07 अगस्त, 2010	
73.	श्री रणवीर सिंह पंवार	स0अ0	विज्ञान	रा0इ0का0 सेमन्डीधार	रा0उ0मा0वि0 कौशल–कीर्तिनगर टि0ग0	06 अगस्त, 2010	
74.	श्री मान सिंह नेगी	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 थापाकुडीसैण	रा0उ0मा0वि0 कठैती–भिलंगना, टि0ग0	31 जुलाई, 2010	
75.	श्री प्रभु दत्त बलोदियाल	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 नौल बागर	रा0उ0मा0वि0 क्यार्टी–भिलंगना, टि0ग0	23 अगस्त, 2010	
76.	श्री भरत सिंह रावत	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 गरखेत	रा0उ0मा0वि0 सटल–जौनपुर, टि0ग0	16 अगस्त, 2010	
77.	श्री रविन्द्र सिंह रावत	स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 किर्तिनगर	रा0उ0मा0वि0 पुन्था, टि0ग0	03 दिसम्बर, 2012	
78.	श्री विनोद किशोर डंगवाल	स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 बादशाही थौल	रा0उ0मा0वि0 दुबड़ा, टि0ग0	02 फरवरी, 2013	
79.	श्री विजय प्रकाश डबराल	स0अ0	गणित	रा0इ0का0 कुण्डलापुरघाट	रा0उ0मा0वि0 बलोली	15 मार्च, 2013	
80.	श्री जयपाल सिंह	स0अ0	—	रा0इ0का0 सिराईसैण	रा0उ0मा0वि0 पिपोला टि0ग0	12 मार्च, 2013	

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	श्री मोहनदास आर्य	स०अ०	सामान्य	रा०इ०का० कोटी अनुष्या	रा०उ०मा०वि० ढोल्टा गैरसाणी	14 फरवरी, 2013	
82.	श्री कान्ती शरण कटैत	स०अ०	सामान्य	रा०इ०का० [illegible]	रा०उ०मा०वि० पैरा	14 फरवरी, 2013	
83.	श्री विरेन्द्र दत्त सेमवाल	स०अ०	भाषा	रा०इ०का० पुनेठीयार	रा०उ०मा०वि० कोठियाड़ा	14 फरवरी, 2013	
84.	श्री विनोद सिंह	स०अ०	भाषा	रा०इ०का० बौगियाड़ा	रा०उ०मा०वि० [illegible]	14 फरवरी, 2013	
85.	श्री पदमदास	स०अ०	व्यायाम	रा०इ०का० [illegible]	रा०उ०मा०वि० कोटियाड़ा	17 अप्रैल, 2013	
86.	श्री सर्वेश प्रसाद	स०अ०	सामान्य	रा०इ०का० म्याणी	रा०उ०मा०वि० चामसारी	13 अगस्त, 2013	
87.	श्री विनोद भट्ट	स०अ०	व्यायाम	रा०इ०का० [illegible]	म० शिक्षा मंत्री विधान सभा भवन देहरादून	27 जून, 2012	
88.	श्री ओम प्रकाश नैथानी	स०अ०	चित्रकला	रा०इ०का० सिलकी	रा०उ०मा०वि० कोटी	15 जुलाई, 2013	
89.	श्री हरीश चन्द्र चमोली	प्रवक्ता	जीव०वि०	रा०इ०का० [illegible]	रा०बा०मा०वि० [illegible]	दिसम्बर 2013 से	जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में धरना प्रदर्शन, तालाबन्दी आमरण अनशन किये जाने के कारण
90.	श्रीमती दिव्या डंगवाल	प्रवक्ता	संस्कृत	रा०इ०का० [illegible]	रा०बा०मा०वि० [illegible]	दिसम्बर 2013 से	
91.	श्री वीरेन्द्र मोहन डोभाल	प्रवक्ता	भौतिकी	रा०इ०का० [illegible]	रा०बा०मा०वि० [illegible]	दिसम्बर 2013 से	

विधान सभा प्रश्न संख्या–7 के सम्बन्ध में कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत जनपदवार व्यवस्था पर कार्यरत/सम्बद्ध शिक्षकों का विवरण

स0अ0 एल0टी0

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	विषय	मूल विद्यालय का नाम	व्यवस्था पर भेजे गये या सम्बद्धीकृत विद्यालय का नाम	व्यवस्था/सम्बद्धीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	मीना कुटियाल, स0अ0	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 रामनगर, नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 हिम्मतपुर बीगवाल, (हल्द्वानी) नैनीताल	30.07.2014
2.	श्री रघुनाथ सिंह, स0अ0	गणित	रा0उ0मा0वि0 मोहान, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, शिवपुर (रामनगर) नैनीताल	30.07.2014
3.	श्री चन्द्री प्रसाद बलोदी, स0अ0	गणित	रा0उ0मा0वि0 पिकिलकाण, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, मोतीमहल (रामनगर) नैनीताल	30.07.2014
4.	श्री किशोर कुमार, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 ढोनपरेवा, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, भतीन (रामनगर) नैनीताल	30.07.2014
5.	श्री सतीश चन्द्र, स0अ0	गणित	रा0इ0का0 गहतोलाखाल, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, लुठियागाज (रामनगर) नैनीताल	30.07.2014
6.	श्री गिरिजेश कुमार सिंह, स0अ0	अंग्रेजी	रा0इ0का0 पाटकोट, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, चन्द्रनगर (रामनगर) नैनीताल	30.07.2014
7.	रेखा पतलिया, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 भंगोली, नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, गौजाजाली (हल्द्वानी) नैनीताल	30.07.2014
8.	दुर्गा सरकार, स0अ0	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 शिवलालपुर, भई बाती नैनीताल	———	30.07.2014
9.	श्री धर्मेन्द्र पनेरू, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0 पाटलीट, नैनीताल	———	30.07.2014
10.	श्री पारसनाथ सिंह, स0अ0	गणित	रा0इ0का0, रामगढ़ नैनीताल	रा0उ0मा0वि0, इन्द्रनगर (हल्द्वानी) नैनीताल	30.07.2014
11.	श्री प्रदीप सत्याल, स0अ0	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 महरागाँव नैनीताल	———	30.07.2014

1	2	3	4	5	6
12.	श्री नवीनचन्द्र पैठाकोटी, स०अ०	सामान्य	रा०इ०का०, त्रिशुलापीपल, नैनीताल	———	30.07.2014
13.	श्री रितेश प्रसाद टम्टा, स०अ०	संस्कृत	रा०इ०का०, बीजपाती, नैनीताल	रा०उ०मा०वि०, किशनपुर (हल्द्वानी) नैनीताल	30.07.2014
14.	दीपिका जोशी, स०अ०	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि०, पंदा, नैनीताल	———	30.07.2014
15.	भगवती अधिकारी, स०अ०	सामान्य	रा०उ०मा०वि०, पीत, नैनीताल	———	30.07.2014
16.	श्रीमती सविता भट्ट, स०अ०	सामान्य	रा०उ०मा०वि०, खनस्यू, नैनीताल	रा०उ०मा०वि०, नयागाँव कटान (हल्द्वानी) नैनीताल	30.07.2014
17.	श्री जगत सिंह मेवाड़ी, स०अ०	विज्ञान	रा०इ०का०, बिन्दुखत्ता, नैनीताल	———	30.07.2014
18.	श्री संदीप कुमार, स०अ०	सामान्य	रा०इ०का०, गुनियालेख, नैनीताल	रा०उ०मा०वि०, ओखलढूंगा (भीमताल) नैनीताल	30.07.2014
19.	श्री राहुल पवार, स०अ०	व्यायाम	रा०इ०का०, गुनियालेख, नैनीताल	रा०इ०का०, नौकुचियाताल (भीमताल) नैनीताल	30.07.2014
20.	श्रीमती हेमलता पाण्डे, स०अ०	सामान्य	रा०उ०मा०वि०, चितकुनेली, अल्मोड़ा	रा०इ०का०, देवलाल, अल्मोड़ा	30.11.2014
21.	श्री विनोद कुमार सोहनी, स०अ०	सामान्य	रा०उ०मा०वि०, धनियाल, अल्मोड़ा	रा०उ०मा०वि०, पौधार अल्मोड़ा	01.11.2014
22.	श्री प्रदीप तिवारी, स०अ०	अंग्रेजी	रा०इ०का०, जलगोली, अल्मोड़ा	रा०उ०मा०वि०, फतीनाखाल अल्मोड़ा	17.9.2014
23.	डा० मनोज कुमार, स०अ०	सामान्य	रा०इ०का०, सूपाकोटी, अल्मोड़ा	रा०उ०मा०वि०, कामाकनलगाँव, अल्मोड़ा	18.09.2014
24.	श्री सत्यपाल कुमार, स०अ०	गणित	रा०इ०का०, भीताकोटखाल, अल्मोड़ा	रा०इ०का०, खुमाड़, अल्मोड़ा	18.09.2014

1	2	3	4	5	6
25.	श्री हेमन्त कुमार जोशी, स०अ०	सामान्य	रा०इ०का०, सोलीसल्ट, अल्मोड़ा	रा०इ०का०, खुमाड़ अल्मोड़ा	29.08.2014
26.	कु० लता वर्मा, स०अ०	कला	रा०इ०का०, पल्यूड़ा, अल्मोड़ा	रा०उ०मा०वि०, दौला, अल्मोड़ा	28.08.2014
27.	श्रीमती अनीता पाण्डे, स०अ०	सामान्य	रा०उ०मा०वि० बसर, अल्मोड़ा	रा०उ०मा०वि०, दौला, अल्मोड़ा	वर्ष 2008 से
28.	श्री नवीन वर्मा, स०अ०	व्यायाम	रा०उ०मा०वि०, जूड़कफून अल्मोड़ा	जिला क्रीडासमन्वयक अल्मोड़ा	वर्ष 2012
29.	श्री मनोहर सिंह बोरा, स०अ०	सामान्य	रा०इ०का०, बौबाटी, पिथौरागढ़	रा०उ०मा०वि०, सानदेव, पिथौरागढ़	27.04.2011
30.	श्री बंशीधर चन्दोली, स०अ०	हिन्दी	रा०इ०का०, नाचनी, पिथौरागढ़	रा०उ०मा०वि०, हरकझुटिया, पिथौरागढ़	अगस्त, 2014
31.	श्री मदनलाल शाह, स०अ०	—	रा०इ०का०, कान्डेकिरौली, पिथौरागढ़	रा०उ०मा०वि०, संगोड़, पिथौरागढ़	अगस्त, 2014
32.	श्री संदीप कुमार शर्मा, स०अ०	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि०, जोशा, पिथौरागढ़	रा०उ०मा०वि०, रांथी, पिथौरागढ़	10.01.2011
33.	श्री महेशलाल टम्टा, स०अ०	—	रा०इ०का०, कान्डेकिरौली, पिथौरागढ़	रा०उ०मा०वि०, संगोड़, पिथौरागढ़	10.08.2011
34.	श्री रमेशचन्द्र जोशी, स०अ०	—	रा०इ०का०, कटौली, पिथौरागढ़	रा०इ०का०, मुवानी, पिथौरागढ़	10.08.2014
35.	श्री मनीष पंत, स०अ०	गणित	रा०इ०का०, दुबौला, पिथौरागढ़	रा०उ०मा०वि०, नाचीनेत, पिथौरागढ़	10.08.2014
36.	श्री नरेश कुमार भारद्वाज, स०अ०	कला	रा०उ०मा०वि०, ढकिया नं०-1, ऊधमसिंह नगर	रा०उ०मा०वि०, गुलजारपुर, ऊधमसिंह नगर	14.08.2014
37.	श्री अनिल कुमार सिंह, स०अ०	सामान्य	रा०इ०का०, बौंजना, ऊधमसिंह नगर	रा०उ०मा०वि०, सजना, ऊधमसिंह नगर	18.08.2014

1	2	3	4	5	6
38.	श्री रामपूर्ति लाल, स0अ0	कला	रा0उ0मा0वि0, कुल्हा, ऊधमसिंह नगर	रा0उ0मा0वि0, गिदनपुर, ऊधमसिंह नगर	13.08.2014
39.	श्री प्रेमसिंह, स0अ0	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0, दभरा, अल्मोड़ा	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	14.08.2014
40.	श्री हरपाल सिंह, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, रामपुर, ऊधमसिंह नगर	रा0क0उ0मा0वि0, बाजरखेड़ा, ऊधमसिंह नगर	14.08.2014
41.	श्री जयवीर सिंह, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, पैठा, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, लमचूला, बागेश्वर	11.08.2014
42.	श्री भागीरथ पन्त, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, कौसानी, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, मुनारई, बागेश्वर	11.08.2014
43.	श्री बहिमन सिंह पैठानी, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, गढ़खेत, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, घेटिंग, बागेश्वर	23.09.2014
44.	श्रीमती प्रमिला, स0अ0	संस्कृत	रा0इ0का0, गढ़खेत, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, घेटिंग, बागेश्वर	13.01.2014
45.	श्री चन्द्रशेखर टम्टा, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, स्याकोट, बागेश्वर	रा0इ0का0, देवलधार, बागेश्वर	07.04.2013
46.	श्री भवानसिंह नेगी, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, पन्तपुरा, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, मधुरवाल्सी	01.05.20143
47.	श्री रामेश्वर, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, बैहाल, बागेश्वर	रा0इ0का0, भनी, बागेश्वर	18.09.2014
48.	श्री मुकुल भागुनी, स0अ0	सामान्य	रा0इ0का0, बगीकोट, बागेश्वर	रा0इ0का0, पटखोला, बागेश्वर	18.09.2014
49.	श्री पुष्कर सिंह बिष्ट, स0अ0	विज्ञान	रा0इ0का0, गन्धलतोरा, बागेश्वर	रा0क0उ0मा0वि0, हीराली, बागेश्वर	09.05.2012
50.	श्री हरीश सिंह दफौटी, स0अ0	कला	रा0इ0का0, रतनी, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, भनार, बागेश्वर	03.10.2013

1	2	3	4	5	6
51.	श्रीमती कुसुम पाण्डे, स0अ0	गणित	रा0इ0का0, दौना, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0, मधुराघाटी, बागेश्वर	01.08.2013
52.	श्री राकेश कुमार, स0अ0	संस्कृत	रा0इ0का0, दौना, बागेश्वर	रा0इ0का0, अमस्यारी, बागेश्वर	11.08.2014
53.	श्री नरेन्द्र सिंह जोशी, स0अ0	कला	रा0इ0का0, बिनवालगाँव, चम्पावत	रा0इ0का0, लोहाघाट चम्पावत	19.02.2014
54.	श्री किशनसिंह बोहरा	सामान्य	रा0इ0का0, दुगाकोली, चम्पावत	रा0उ0मा0वि0, मोराड़ी, चम्पावत	03.09.2014

प्रवक्ता वेतनक्रम–

1.	श्री प्रेमनारायण सिंह, प्रवक्ता	जीवविज्ञान	रा0इ0का0, जोस्यूड़ा, नैनीताल	रा0इ0का0, दोगड़ा, नैनीताल	30.07.2014
2.	सुश्री प्रेमानन्दा, प्रवक्ता	राज0विज्ञान	रा0इ0का0, जोस्यूड़ा, नैनीताल	रा0इ0का0, ओखलकाण्डा, नैनीताल	30.07.2014
3.	श्री ईश्वर सिंह बिष्ट, प्रवक्ता	भौतिक	रा0इ0का0, ढोलीगाँव, नैनीताल	रा0इ0का0, कसियालेख, नैनीताल	30.07.2014
4.	श्री शंकर सिंह बोरा, प्रवक्ता	गणित	रा0इ0का0, ढोलीगाँव, नैनीताल	रा0इ0का0, दोगड़ा, नैनीताल	30.07.2014
5.	सुश्री मृदुला आर्या, प्रवक्ता	रसा0विज्ञान	रा0इ0का0, ढोलीगाँव, नैनीताल	रा0इ0का0, कसियालेख, नैनीताल	30.07.2014
6.	श्री रतन सिंह राणा, प्रवक्ता	नाग0शा0	रा0इ0का0, ल्वेशाल, नैनीताल	रा0इ0का0, गुलरघट्टी, नैनीताल	30.07.2014
7.	श्री कृष्ण चन्द्र जोशी प्रवक्ता	हिन्दी	रा0इ0का0, खाड़ीघाट, नैनीताल	रा0इ0का0, गुलरघट्टी, नैनीताल	30.07.2014
8.	श्री महेन्द्र कुमार जोशी प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0, रामनगर, नैनीताल	रा0इ0का0, नथारी, नैनीताल	30.07.2014

1	2	3	4	5	6
9.	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी प्रवक्ता	रसा0वि0	रा0इ0का0, धनियाकोट, नैनीताल	रा0इ0का0, ओखलकाण्डा, नैनीताल	30.07.2014
10.	श्रीमती रेखा तिवारी प्रवक्ता	अर्थ0शा0	रा0इ0का0, भीड़ापानी, नैनीताल	रा0इ0का0, भूमियाधार, नैनीताल	30.07.2014
11.	श्री राहुल सिंह प्रवक्ता	हिन्दी	रा0इ0का0, भुजियाघाट, नैनीताल	रा0इ0का0, भूमियाधार, नैनीताल	30.07.2014
12.	श्रीमती शिखा आर्या, प्रवक्ता	अर्थ0शा0	रा0इ0का0, डँगाकोट, नैनीताल	रा0इ0का0, सामाजीदा, नैनीताल	10.01.2010
13.	श्री मदन मोहन मिश्रा, प्रवक्ता	संस्कृत	रा0इ0का0, रामगढ़, नैनीताल	कार्यालय अ0शि0 माध्यमिक शिक्षा नैनीताल (विधि अधिकारी)	05.07.2014
14.	श्री नरसिंह बोरा, प्रवक्ता	रसा0वि0	रा0इ0का0, नाई, अल्मोड़ा	रा0इ0का0, हवालबाग, अल्मोड़ा	15.07.2014
15.	श्रीमती सविता लुन्ठी, प्रवक्ता	रा0शा0	रा0इ0का0, धनदेव, पिथौरागढ़	रा0इ0का0, भड़कटिया, पिथौरागढ़	15.11.2014
16.	श्री आसिफ रहमान, प्रवक्ता	गणित	रा0इ0का0, जुलाघाट, पिथौरागढ़	रा0इ0का0, हल्दीखिरपी, पिथौरागढ़	13.09.2014
17.	श्री संतोष चन्द्र भट्ट, प्रवक्ता	रसायनविज्ञान	रा0इ0का0, प्यालीडी, पिथौरागढ़	रा0इ0का0, भड़कटिया, पिथौरागढ़	27.08.2014
18.	श्री प्रदीप कुमार, प्रवक्ता	भौतिकी	रा0इ0का0, मड़नदेव, पिथौरागढ़	रा0इ0का0, क्वांकोट, पिथौरागढ़	08.11.2014
19.	श्री सुशील कुमार मण्डल, प्रवक्ता	अंग्रेजी	रा0इ0का0, टेढ़ी, ऊधमसिंह नगर	रा0इ0का0, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	23.08.2014
20.	श्रीमती नमिता वर्मा, प्रवक्ता	भूगोल	रा0इ0का0, सहुरसोहरागंज, ऊधमसिंह नगर	रा0इ0का0, सहुरसोहरागंज, ऊधमसिंह नगर	14.08.2014
21.	डॉ0 पूरनचन्द्र पाठक, प्रवक्ता	जीवविज्ञान	रा0इ0का0, बदियाकोट, बागेश्वर	रा0इ0का0, काफलीगैर बागेश्वर	10.09.2012

1	2	3	4	5	6
22.	श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत, प्रवक्ता	जीवविज्ञान	रा०इ०का०, कौसानी, बागेश्वर	रा०इ०का०, उमरवाड़ी, बागेश्वर	11.08.2014
23.	श्री राधेश्याम, प्रवक्ता	संस्कृत बदियाकोट, बागेश्वर	रा०इ०का०, बहुली, बागेश्वर	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय,	23.10.2013
24.	श्री दीप गोस्वामी, प्रवक्ता	नागरिकशास्त्र	रा०इ०का०, कर्मी, बागेश्वर	रामनगर बोर्ड कार्यालय	20.02.2013
25.	श्री दीवान सिंह गड़ुनी, प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का०, सुमेड़, बागेश्वर	रा०इ०का०, ग्वाईखाल, बागेश्वर	11.08.2014
26.	श्री दीपक सौराठी, प्रवक्ता	गणित	रा०इ०का०, चौड़ापीपल, चम्पावत	रा०इ०का०, बनिगाव, चम्पावत	16.10.2014

नत्थी "ढ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 48 पर)

अनुलग्नक 'अ'

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	योजनाओं का नाम	स्वीकृत योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्था का विवरण	योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि	योजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि	अब तक व्यय की गई धनराशि	निर्माण कार्यों की प्रगति (प्रतिशत)	योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्व० हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के बुघाणी स्थित पैतृक आवास को हैरिटेज भवन/संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना	निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर गढ़वाल	272.94	192.34	192.34	60	31-3-2015
2.	रामनगर (जनपद नैनीताल) में नगर पालिका परिषद् के भवन/प्रेक्षागृह को सुसज्जित प्रेक्षागृह के रूप में विकसित किया जाना	लोक निर्माण विभाग, रामनगर, नैनीताल	50.00	50.00	8.82	कार्य अन्तिम चरण में है।	30-11-2014
3.	देहरादून में रिस्पना पुल के निकट आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	334.80	293.37	293.37	80	30-04-2015
4.	उत्तराखण्ड में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	199.36	199.36	199.36	80	31-03-2015
5.	कोटद्वार में प्रेक्षागृह का निर्माण	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)	138.80 (पुनरीक्षित) 374.69	130.00	130.00	60	पुनरीक्षित आगणन ₹ 374.69 की स्वीकृति प्रगति पर है। तदुपरान्त विभागीय आय-व्ययक में धनराशि उपलब्धता के अन्तर्गत 31.12.2015 तक

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	बागेश्वर में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	193.21	162.63	167.63	65	विभाग के आय–व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अन्तर्गत 31–12–2015 तक
7.	रुद्रपुर में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	167.37	108.90	108.90	68	विभाग के आय–व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अन्तर्गत 31–12–2015 तक
8.	चम्पावत में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	189.28	135.00	135.00	50	विभाग के आय–व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अन्तर्गत 31–12–2015
9.	रुद्रप्रयाग में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	109.82	40.00	40.00	भूमि चयन की कार्यवाही प्रगति पर है।	प्रेक्षागृह निर्माण हेतु वन भूमि विभाग की भूमि विभाग से प्राप्त हुई किन्तु वर्ष 2013 की आपदा से दरार व भूस्खलन के कारण आवंटित भूमि उपयुक्त न होने के दृष्टिगत जिला प्रशासन से पुनः उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	गोपेश्वर (चमोली) में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	217.29	40.00	40.00	22	विभाग के आय-व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अन्तर्गत 31-03-2016 तक
11.	हरिद्वार में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	167.37	120.00	120.00	60	जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बी०एच०ई०एल० की भूमि में उक्त निर्माण कार्य किया जा रहा है। संस्कृति विभाग को विधिवत् भूमि हस्तान्तरित न होने के कारण जिला प्रशासन एवं बी०एच०ई०एल० से अनुरोध किया गया है। वर्तमान समय में बी०एच०ई०एल० द्वारा निर्माण कार्य रोका गया है।
12.	टिहरी में आडिटोरियम का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	190.07	40.00	40.00	–	भूमि चयन की कार्यवाही प्रगति पर है।
13.	पौड़ी में पुराना जेल परिसर में संग्रहालय भवन का निर्माण	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम	प्रथम चरण के कार्यों हेतु 9.50	9.50	9.50	प्रथम चरण के कार्य एवं डी०पी०आर० गठित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।	प्रथम चरण के कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृति के सापेक्ष भूमि परीक्षण एवं विस्तृत ड्राईंग तथा आगणन तैयार किया गया। पुरानी जेल परिसर के भवन एवं भूमि को संस्कृति विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की शासन स्तर पर कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	विधान सभा क्षेत्र काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के काशीपुर नगर में प्रेक्षागृह का निर्माण	लोक निर्माण विभाग, काशीपुर ऊधमसिंह नगर	16.01	16.01	16.01	प्रथम चरण के कार्य पूर्ण एवं डी०पी०आर० आदि गठन एवं इसकी स्वीकृति अन्तिम चरण में है।	विस्तृत आगणन की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है।
15.	13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत- 1-राज्य स्तरीय संग्रहालय का निर्माण	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि० (एन०बी०सी०सी०)	2500	18.75	18.75	60	विभाग के आय-व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अन्तर्गत 31-03-2016 तक
	2-राज्य स्तरीय प्रेक्षागृह/सभागार का निर्माण। (हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, देहरादून), आई०एस०बी०टी० परिसर, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।		2000	1500	1500	60	-तदैव-

दिनेश धनै,
मंत्री
संस्कृति विभाग।

नत्थी "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न–49 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 50–51 पर)

अनुलग्नक –1

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में दिनांक 31–10–13 को प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति पर पदस्थापित विषयों के नाम

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	विषय जिनमें प्रवक्ता की पदस्थापना की गयी			
1.	रा०इ०का० पीपलकोट	ना०शा०	अर्थशा०	संस्कृत	3
2.	रा०इ०का० थानले				
3.	रा०इ०का० झूलाघाट	हिन्दी			1
4.	रा०इ०का० मावालेख	अर्थशा०			1
5.	रा०इ०का० गौड़ीहाट	जी० विज्ञान	संस्कृत		2
6.	रा०इ०का० दोबांस	अंग्रेजी			1
7.	रा०इ०का० टोटानौला	अंग्रेजी	भौतिक		2
8.	रा०इ०का० कनालीछीना	गणित	अर्थशा०		2
9.	रा०इ०का० नारायणनगर	गणित	भूगोल		2
10.	रा०इ०का० देवलथल		संस्कृत	भूगोल	2
11.	रा०इ०का० रसीपाटा	रसायन			1
12.	रा०इ०का० पीपली				
13.	रा०इ०का० अस्कोट				
14.	रा०इ०का० गर्खा	संस्कृत			1
15.	रा०इ०का० सिंगाली				
16.	रा०इ०का० क्वींकोट	हिन्दी	ना०शा०		2
17.	रा०इ०का० छड़नदेव			इतिहास	1
18.	रा०इ०का० बगड़ीहाट				
19.	रा०इ०का० मुवानी	गणित	भौ०वि०	जी०वि०	3
20.	रा०इ०का० डीडीहाट	हिन्दी	गणित	इतिहास	3
21.	रा०इ०का० जौरासी		अर्थशा०	संस्कृत	2
22.	रा०इ०का० चौबाटी				
23.	रा०इ०का० थल	जी०विज्ञान	सैन्य वि०	अंग्रेजी	3
24.	रा०इ०का० सनीला				
25.	रा०इ०का० दूनाकोट				
	कुल				32

नत्थी "ख"

परिशिष्ट–1

(देखिए अतारांकित प्रश्न–70 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 66–67 पर)

प्रदेश के ऐसे प्राथमिक पाठशालाओं का विधानसभावार विवरण जहाँ वर्तमान तक में पहली कक्षा के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रतिदिन कम से कम 02 किमी पैदल चलना पड़ता है।

क्र0सं0	जनपदवार	विधान सभा का नाम		विद्यालयों की संख्या
1.	उत्तरकाशी	समस्त विधान सभा		शून्य
2	टिहरी	घनसाली		37
		नरेन्द्रनगर		30
		टिहरी		33
		धनोल्टी		37
		देवप्रयाग		46
		प्रतापनगर		29
			योग	212
3.	पौड़ी	समस्त विधान सभा		शून्य
4.	रुद्रप्रयाग	केदारनाथ		3
		रुद्रप्रयाग		3
			योग	6
5.	चमोली	बद्रीनाथ		5
		कर्णप्रयाग		12
		थराली		24
			योग	41
6.	देहरादून	समस्त विधान सभा		शून्य
7.	हरिद्वार	समस्त विधान सभा		शून्य
8.	ऊधमसिंह नगर	समस्त विधान सभा		शून्य
9.	नैनीताल	समस्त विधान सभा		शून्य
10.	अल्मोड़ा	जागेश्वर		3
		सोमेश्वर		1
			योग	4
11.	पिथौरागढ़	समस्त विधान सभा		शून्य
12.	बागेश्वर	कपकोट		4
			योग	4
13.	चम्पावत	चम्पावत		1
		लोहाघाट		1
			योग	2
			कुल योग	269

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 67 पर)

संलग्नक–1

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा राज्य के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों का विधान सभा व वर्षवार विवरण

क्र0 सं0	विधान सभा	जनपद	वर्षवार उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों की संख्या										क्रय किये गये कम्प्यूटरों का अनुरक्षण अनुबन्ध किया गया था				
			2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	योग	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	बारामण्डल	अल्मोड़ा	6	8	10	14	0	8	18	16	6	86					
2	सोमेश्वर		2	2	2	2	0	4	10	4	4	30					
3	द्वाराहाट		2	4	2	4	0	18	20	10	6	66					
4	रानीखेत		6	4	2	4	14	16	8	4	6	64					
5	सल्ट		4	4	8	4	0	18	14	4	12	68					
6	जागेश्वर		4	4	4	4	12	10	10	16	18	82					
		योग	24	26	28	32	26	74	80	48	52	390	0.00	93500.00	47064.00	367560.00	0.00
7	बागेश्वर	बागेश्वर	12	12	8	12	12	34	22	12	0	124					
8	कपकोट		8	8	12	8	8	32	30	32	0	138					
		योग	20	20	20	20	20	66	52	44	0	262	100000.00	88145.00	37456.00	0.00	0.00
9	कर्णप्रयाग	चमोली	4	4	6	6	4	19	45	27	0	115					
10	थराली		8	8	8	8	0	0	31	28	0	91					
11	बद्रीनाथ		6	6	6	6	18	40	19	8	0	109					
		योग	18	18	20	20	22	59	95	63	0	315	0.00	163590.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	चम्पावत	चम्पावत	28	26	13	16	12	18	12	37	0	161					
13	लोहाघाट		32	34	14	20	24	16	12	40	0	192					
		योग	60	60	26	36	36	34	24	77	0	353	0.00	112000.00	103000.00	0.00	0.00
14	चकराता		0	10	4	6	0	2	12	15	24	73					
15	विकासनगर		4	0	4	2	32	4	12	12	16	86					
16	सहसपुर		4	0	4	2	0	8	18	15	22	75					
17	रायपुर		4	2	2	2	0	20	12	12	12	66					
18	डोईवाला	देहरादून	0	0	2	4	0	20	22	12	4	70					
19	धर्मपुर		0	2	2	0	2	8	0	6	0	20					
20	कैन्ट		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	राजपुर		0	0	0	0	0	0	0	3	0	3					
22	ऋषिकेश		0	2	0	0	0	0	2	0	0	4					
23	मसूरी		0	2	0	2	0	2	2	0	2	10					
		योग	16	16	18	18	34	54	80	75	80	405	0.00	0.00	130400.00	0.00	0.00
24	हरिद्वार ग्रामीण		12	2	15	3	8	12	8	16	0	70					
25	रुड़की		4	4	6	0	0	2	4	6	0	14					
26	भगवानपुर		4	6	25	3	0	14	21	11	3	79					
27	खानपुर		3	2	25	3	0	12	14	2	0	61					
28	मंगलौर		4	2	15	3	0	6	6	0	0	36					
29	रानीपुर	हरिद्वार	0	2	11	0	8	0	0	4	0	25					
30	ज्वालापुर		0	2	12	3	12	2	14	8	0	53					
31	झबरेड़ा		0	2	19	6	0	14	6	10	0	57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	लक्सर		0	2	23	9	8	6	14	16	0	72					
33	नगर हरिद्वार		0	2	0	0	4	0	0	0	0	6					
34	पिरान कलियर		0	0	21	0	0	2	0	14	0	37					
		योग	27	20	194	30	32	70	90	80	0	513	0.00	0.00	0.00	0.00	14653.00
35	कालाढूंगी	नैनीताल	0	0	4	4	2	17	2	4	0	33					
36	भीमताल		4	0	6	12	20	16	24	26	8	116					
37	नैनीताल		0	6	4	14	12	18	18	26	0	98					
38	रामनगर		0	4	0	10	2	10	6	12	4	48					
39	लालकुआं		0	2	2	0	0	12	5	2	0	23					
40	हल्द्वानी		0	0	2	0	0	2	2	4	0	10					
		योग	4	12	18	40	36	75	57	74	12	328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	यमकेश्वर	पौड़ी	1	6	4	4	6	8	12	18	0	62					
42	पौड़ी		6	4	4	6	6	8	6	6	0	46					
43	श्रीनगर		5	6	12	12	6	17	16	22	0	96					
44	चौबट्टाखाल		5	3	4	4	20	8	8	4	0	56					
45	लैंसडौन		4	5	3	10	12	20	22	24	0	100					
46	कोटद्वार		3	3	7	4	12	22	16	6	0	68					
		योग	24	28	34	40	44	83	80	80	0	411	0.00	0.00	0.00	0.00	201250.00
47	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	6	9	55	10	15	25	18	12	0	150					
48	डीडीहाट		6	4	41	4	5	13	18	15	0	109					
49	धारचूला		5	8	46	5	6	22	20	27	0	138					
50	गंगोलीहाट		7	7	55	5	0	16	24	15	0	132					
		योग	24	28	197	24	26	75	80	75	0	529	0.00	0.00	0.00	166275.00	173400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51	देवप्रयाग	टिहरी	3	3	60	4	0	17	36	18	0	113					
52	[illegible]		4	5	36	10	0	48	10	12	0	126					
53	घनसाली		2	2	32	4	20	2	8	25	0	95					
54	नरेन्द्रनगर		2	4	28	4	0	0	14	6	0	58					
55	प्रताप नगर		2	2	28	2	0	0	8	15	0	57					
56	टिहरी		3	4	52	4	10	8	14	14	0	100					
		योग	16	18	224	28	30	70	80	80	0	556	0.00	46400.00	128800.00	0.00	0.00
57	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	4	6	17	14	14	16	36	36	20	150					
58	[illegible]		6	12	8	12	8	24	44	24	15	156					
		योग	10	20	20	26	22	40	80	60	35	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	खटीमा	ऊधमसिंह नगर	2	4	0	4	0	8	18	0	4	40					
60	नानकमत्ता		0	2	4	2	0	8	12	2	10	40					
61	सितारगंज		2	0	6	2	6	18	12	6	10	54					
62	किच्छा		2	2	2	4	12	4	2	0	0	28					
63	रुद्रपुर		4	0	0	0	8	8	0	4	14	34					
64	गदरपुर		2	2	4	4	0	8	8	12	22	62					
65	बाजपुर		4	4	4	4	0	12	18	12	12	70					
66	काशीपुर		2	2	2	2	0	6	2	4	2	22					
67	जसपुर		2	4	2	4	0	10	8	10	6	46					
		योग	20	20	24	28	4	72	80	50	83	386	0.00	14000.00	60867.00	100334.40	38133.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68	यमुनोत्री	उत्तरकाशी	0	9	55	25	14	12	15	28	36	194					
69	पुरोला		0	4	4	46	6	12	18	6	10	106					
70	गंगोत्री		0	8	8	44	6	20	32	36	18	172					
		योग	0	21	67	115	26	44	65	70	64	472	0.00	0.00	209000.00	216300.00	0.00

सूचना का स्रोत–जनपदों से प्राप्त सूचना

नोटः– सर्व शिक्षा अभियान के कम्प्यूटर ऐडेड लर्निंग प्रोग्राम (काल्प) के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों के क्रय किये गये कम्प्यूटर पर सम्बन्धित पूर्तिकर्ता फर्मों के द्वारा तीन वर्ष की वारन्टी दी गयी थी। वर्ष 2008–09 में जनपद बागेश्वर, 2009–10 में जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, टिहरी तथा ऊधमसिंह नगर, वर्ष 2010–11 में जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी तथा ऊधमसिंह नगर वर्ष 2011–12 में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर तथा उत्तरकाशी एवं वर्ष 2012–13 में जनपद हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ तथा ऊधमसिंह नगर के द्वारा अपने वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्लान में इस मद के अन्तर्गत कम्प्यूटरों के रख–रखाव हेतु ए0एम0सी0 की व्यवस्था की गयी थी, अतः उन जनपदों की समस्त अच्छादित विधान सभाओं में आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0 की गई थी। वर्ष 2012–13 के उपरान्त भारत सरकार से उक्त मद के अन्तर्गत किसी भी जनपद के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

संलग्नक–2

विधान सभा के तृतीय सत्र 2014 हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 71 का प्रत्युत्तर

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा का नाम	आरोही योजना का वर्ष	आरोही योजना के कम्प्यूटरों की संख्या	ITC योजना का वर्ष	ITC योजना योजना के कम्प्यूटरों की संख्या	कुल योग	एडुकॉम्प पर भुगतान की गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	टिहरी	घनसाली	2003 से 2006 तक	171	2010–11	20	191	0
2.		टिहरी	2003 से 2006 तक	166	2010–11	20	186	0
3.		नरेन्द्र नगर	2003 से 2006 तक	139	2010–11	30	169	0
4.		धनोल्टी	2003 से 2006 तक	135	2010–11	50	185	0
5.		देवप्रयाग	2003 से 2006 तक	202	2010–11	10	212	0
6.		प्रताप नगर	2003 से 2006 तक	131	2010–11	0	131	0
7.	पिथौरागढ़	धारचूला	2003 से 2006 तक	133	2010–11	10	144	0
8.		डीडीहाट	2003 से 2006 तक	180	2010–11	20	200	0
9.		गंगोलीहाट	2003 से 2006 तक	200	2010–11	20	220	0
10.		पिथौरागढ़	2003 से 2006 तक	153	2010–11	30	183	0
11.	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	2003 से 2006 तक	100	2010–11	20	120	0
12.		रानीखेत	2003 से 2006 तक	221	2010–11	20	241	0
13.		सोमेश्वर	2003 से 2006 तक	120	2010–11	0	120	0
14.		सल्ट	2003 से 2006 तक	221	2010–11	0	221	0
15.		जागेश्वर	2003 से 2006 तक	151	2010–11	30	181	0
16.		अल्मोड़ा	2003 से 2006 तक	140	2010–11	20	160	0
17.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	2003 से 2006 तक	131	2010–11	20	151	0
18.		श्रीनगर	2003 से 2006 तक	240	2010–11	0	240	0
19.		चौबट्टाखाल	2003 से 2006 तक	278	2010–11	20	298	0
20.		लैन्सडौन	2003 से 2006 तक	239	2010–11	20	259	0
21.		यमकेश्वर	2003 से 2006 तक	209	2010–11	10	219	0
22.		कोटद्वार	2003 से 2006 तक	112	2010–11	0	112	0
23.	बागेश्वर	बागेश्वर	2003 से 2006 तक	152	2010–11	50	202	0
24.		कपकोट	2003 से 2006 तक	166	2010–11	10	176	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	उत्तरकाशी	गंगोरी	2003 से 2006 तक	97	2010-11	40	137	0
26.		यमुनोत्री	2003 से 2006 तक	122	2010-11	40	162	0
27.		पुरोला	2003 से 2006 तक	61	2010-11	80	141	0
28.	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	2003 से 2006 तक	45	2010-11	10	55	21012.00
29.		सितारगंज	2003 से 2006 तक	68	2010-11	10	78	4116.00
30.		किच्छा	2003 से 2006 तक	72	2010-11	10	82	50312.00
31.		खटीमा	2003 से 2006 तक	78	2010-11	0	78	50639.00
32.		नानकमत्ता	2003 से 2006 तक	46	2010-11	0	46	0
33.		बाजपुर	2003 से 2006 तक	100	2010-11	20	120	0
34.		काशीपुर	2003 से 2006 तक	47	2010-11	10	57	0
35.		गदरपुर	2003 से 2006 तक	81	2010-11	0	81	0
36.		जसपुर	2003 से 2006 तक	100	2010-11	10	110	0
37.	चमोली	कर्णप्रयाग	2003 से 2006 तक	246	2010-11	20	266	0
38.		बद्रीनाथ	2003 से 2006 तक	201	2010-11	40	241	0
39.		गौचर	2003 से 2006 तक	219	2010-11	20	239	0
40.	हरिद्वार	रुड़की	2003 से 2006 तक	56	2010-11	10	66	0
41.		[illegible]	2003 से 2006 तक	6	2010-11	30	36	0
42.		झबरेड़ा	2003 से 2006 तक	7	2010-11	10	17	0
43.		मंगलौर	2003 से 2006 तक	20	2010-11	10	30	0
44.		हरिद्वार शहर	2003 से 2006 तक	58	2010-11	20	78	0
45.		हरिद्वार ग्रामीण	2003 से 2006 तक	14	2010-11	20	34	0
46.		भेल रानीपुर	2003 से 2006 तक	0	2010-11	20	20	0
47.		भगवानपुर	2003 से 2006 तक	16	2010-11	20	36	0
48.		पिरान कलियर	2003 से 2006 तक	13	2010-11	10	23	0
49.		ज्वालापुर	2003 से 2006 तक	30	2010-11	10	40	0
50.		लक्सर	2003 से 2006 तक	3	2010-11	10	13	0
51.	चम्पावत	लोहाघाट	2003 से 2006 तक	118	2010-11	20	138	0
52.		चम्पावत	2003 से 2006 तक	174	2010-11	30	204	0
53.		चकराता	2003 से 2006 तक	118	2010-11	30	148	0
54.		विकासनगर	2003 से 2006 तक	74	2010-11	50	124	0
55.		सहसपुर	2003 से 2006 तक	90	2010-11	0	90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	देहरादून	कैंट	2003 से 2006 तक	98	2010-11	0	98	0
57.		धर्मपुर	2003 से 2006 तक	79	2010-11	0	79	0
58.		रायपुर	2003 से 2006 तक	95	2010-11	10	105	0
59.		राजपुर	2003 से 2006 तक	79	2010-11	10	89	0
60.		मसूरी	2003 से 2006 तक	57	2010-11	0	57	0
61.		डोईवाला	2003 से 2006 तक	107	2010-11	20	127	0
62.		ऋषिकेश	2003 से 2006 तक	70	2010-11	0	70	0
63.	रुद्रप्रयाग	केदारनाथ	2003 से 2006 तक	195	2010-11	20	215	0
64.		रुद्रप्रयाग	2003 से 2006 तक	196	2010-11	10	206	0
65.	नैनीताल	कालाढूंगी	2003 से 2006 तक	136	2010-11	120	256	0
66.		हल्द्वानी	2003 से 2006 तक	122	2010-11	0	122	0
67.		भीमताल	2003 से 2006 तक	202	2010-11	10	212	0
68.		रामनगर	2003 से 2006 तक	157	2010-11	0	157	0
69.		नैनीताल	2003 से 2006 तक	350	2010-11	10	360	0
70.		लालकुँआ	2003 से 2006 तक	92	2010-11	0	92	0
			योग	8618		1250	9868	130579

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 विधान सभा/317-31-12-2016-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।